हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 मार्च, 1988

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विष्य सूची

बुधवार 23 मार्च, 1988

पृष्ठ संख्या

शहीद–ए–आजम भगत सिंह तथा उनके साथियों को श्रद्धाजलि देना	(6)1
तारांकित प्रश्न एव उत्तर	(6)3
नियम 45 के अधनिसदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों	(6)26

के लिखित उत्तर	
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(6)29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
भिवानी शहर में पीलिया के फैलने सम्बन्धी	(6)31
वक्तव्य–	
स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(6)31
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(6)37
वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त)पर चर्चा तथा मतदान–	
(1)राज्य के राजस्वों पर प्रभारित अनुमानों पर चर्चा	(6)40
(2)अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(6)40
बैठक का समय बढाना	(6)83
वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त)पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)83

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 23 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा)ने अध्यक्षता की।

शहीद–ए–आजम सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों को श्रद्धांजलि देना

श्री अध्यक्षः अब सिंचाई तथा बिजली मंत्री, चौधरी वीरेन्द्र सिंह, एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, आज 23 मार्च का दिन है। आज के दिन मैं एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख लाना चाहता हूं। 23 मार्च के दिन हमारी जगे आजादी के सबसे अग्रणी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फासी के तख्ते पर लटकाया गया था और उसी दिन उनकी अंत्येष्टि सतलुज नदी के किनारे पर की गई थी। हमारे इन तीन शहीदों को इस लिए फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था क्योंकि यह लोग भारत को आजाद देखना चाहते थे। उन शहीदों कें प्रयत्न और कुर्बानियों के कारण ही, स्पीकर साहब, 15 अगस्त, 1947 को यह देश आजाद हुआ था और आज हम जैसे लोगों को इस सदन में आने का मौका मिला है। स्पीकर साहब, जिन लोगों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में बडी–से–बडी कुर्बानियां दी, उनके प्रति कम–सें–कम हमारा इतना फर्ज तो जरूर बनता है कि हम उन्हें

याद कर लें और श्रद्धाजली अर्पित करें। चालीस साल की स्वतन्त्रता के बाद हम उनके नक्शे–कदम पर चल पाए हैं या नहीं, यह हमने देखना है। उस वक्त उन्होंने आजाद भारत का जो सपना संजोया था, हम उनकी इच्छाओं के अनुकूल पूरे उतरे हैं या नहीं, इस बात की चर्चा मैं नही करूगा क्योंकि यह मसला इस समय बहस करने का नहीं है। किन्तु यह स्पष्ट है कि इन शहीदों के कारण ही आज यह देश आजाद है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि यह सारा सदन इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम सब आज यह संकल्प लेते है कि हम इन शहीदों के नक्शें–कदम पर चलते रहेगे और इस देश की अखण्डता और आजादी को कायम रखेगें। इस आसव का प्रस्ताव मैं सदन में पेश करता हूं।

श्री मंगल सैन (रोहतक): आदरणीय स्पीकर साहब, हमारी विधान सभा के संसदीय मामलों के मन्त्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने थे प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि 23 मार्च का दिन आजाद भारत के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन उन शहीदों की याद में इस प्रस्ताव में केवल संकल्प लेने की बात ही दोहरायी गयी है। यदि इस सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोक दी जाती और मौन रख लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। स्पीकर साहब, जंगे आजादी में जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेज यहां की दौलत लूट कर अपने देश को मालामाल कर रहे थे तो आजादी के परवानों ने आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष छेड़

दिया। ब्रिटिश सरकार ने साईमन कमीशन भारत में भेजा लेकिन जनसाधारण ने लाहौर में साईमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक जलूस निकाला जिस की आगवानी भारत केसरी लाला लाजपतराय जौ कर रहे थे। अंग्रेजी पुलिस ने बड़ी निर्दयता से लाठी चार्च किया। लाठी की चोटों के कारण लाला लाजपतराय जी घायल हो गये, उनका शरीर लहू–लुहान हो गया और देहान्त से कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक–एक लाठी अग्रेज सरकार के कफन में कील का काम देगी। स्पीकर साहब, उस समय वहाँ पर खड़े इन नौजवानों ने यह संकल्प लिया था कि हम लाला लाजपतराय जी की मौत का बदला लेंगे। उन महान् देशभक्तों ने अपने संकल्प को पूरा किया और सरदार भगत सिंह और उनके दोनों साथियों ने लाला लाजपतराय जी की मौत का बदला अग्रेज सरकार से लिया। स्पीकर साहब हम सब जानते हैं कि लाहौर की जेल में उनको फांसी दे दी गई और चुपचाप यहां सतलुज के तट पर तेल छिड़ककर उनका दाह संस्कार कर दिया। स्पीकर साहब, शायद आपको वहां जाने का मौका मिला हो। मैंने शहीदों का वह स्थान देखा है। स्पीकर साहब, कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते है। इन लोगों ने कितनी. हिम्मत से अंग्रेजों के साम्राज्य को उखाड़ने के लिए ऐसी बहादुरी से काम किया था। किस लिए किया था? इस लिए किया था कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, प्यारा भारत स्वाधीन हो जाए। आज स्वाधीन भारत में क्या हो रहा है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पुलिस पर और सी० आर० पी० एफ० पर मिजायलों से हमला किया गया है। देश को तोड़ने के लिये कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। वीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा है कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि

हम इस देश की आजादी को कायम रखेंगे, अखंड रखेंगे और इन शहीदों के नक्शे कदम पर चलते हुए देश को आजाद रखने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस–प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी तैयब हुसैन (तावडू): स्पीकर साहब, जो रैजोल्यूशन मोहतरिम पार्लियामैंटरी अफेयर्ज वजीर साहब ने रखा है, मै उसकी अपनी पार्टी की तरफ से तथा अपनी तरफ से पुरजोर ताईद करता हूं। इन्होंने यह ठीक फरमाया कि इन लोगो ने किस तरह से देश को आजाद करवाने के लिए काम किया। शहीदे–आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपतराय की कुर्बानियों को सारा देश जानता है। लाला जी के गांव ढूढीके में तो मुझे जाने का भी इतफाक हुआ है। इसी तरह हुसैनीवाला बार्डर जहां इन शहीदों की समाधियां बनी हुई हैं, वहां भी मुझे जाने का इतफाक हुआ है। वहां जाकर सही मायनों में रौंगटे खड़े हो जाते हैं। एहसास होता है कि इन लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी, वे कितनी अमर हैं। उस वक्त यह किसी को मालूम नहीं था कि हम कब आजाद होंगे लेकिन इन लोगों ने जिस तरह बेहिसाब कुर्बानियां दीं, उसकी वजह से हम आजाद हुए और आज हम आजादी में सांस ले रहें हैं। जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दीं, मै उन सब कौ तह दिल से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और इस रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, आज का दिन उन तीन महान शहीदों, जिनको दरिया के किनारे पर डाल कर और उनके

वाली–वारिसों को बताए बगैर जला दिया गया था, की याद का है। आज देश का एक–एक बच्चा उन शहीदों को हर वक्त याद करता है। मैं इस रैजोल्यूशन पर सहमति प्रकट करते हुए हाउस से प्रार्थना करूंगा कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय शहीदों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cases of Murders Registered in Police Station Rohtak

***285. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for home be pleased to State -

(a) the number of Murder cases registered in each Police Station in district Rohtak during the month of January, 1988 together-with the names of alleged accused; and

(b) whether any of the accused, as referred to in part (a) above, have been arrested, if so, the names thereof ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

	थाना का नाम	मुकदमों की संख्या		कथित अपराधियों के नाम
(क)	सिविल लाईन्स	1	1	धर्मपाल पुत्र अमी लाल और

	रोहतक			5 अन्य
	सांपला	1	1	हंस राज उर्फ हंसू
			2	वरिन्दर उर्फ काला पुत्रान रतन
	महम	1	1.	जगदीश
			2.	जितेन्द्र
			3.	कविता, पुत्र और पुत्री सुरजीत

(ख)हां, थाना सिविल लाईन्स रोहतक के मुकदमों में दोषी धर्मपाल, थाना सांपला के मुकदमा में दोषी, हंसराज उर्फ हंसू व वरिन्दर उर्फ काला और थाना मेहम के मुकदमों में दोषी जगदीश, जितेन्द्र और कविता को गिरफ्तार किया गया है।

श्री मंगल सैनः क्या गृह मंत्री महोदय फरमायेंगे कि बालम्मा गांव के श्री रूप राम राठी की मृत्यु की जांच के लिये कोई आदेश दिये गये हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, बालम्मा गांव के श्री रूप राम राठी को चोटें आयी। उसके बाद उनको उनके दामाद सीधे कोर्ट में ले गये वहां से मैडीकल कालेज में जाने की डायरैक्शन हुई। उसके बाद जब दो दिन बाद उनकी मृत्यु हो गयी तो उस वक्त जो पोस्ट मटिम

हुआ, उसमें दो घुटनों पर खरोंचे थी और आई–बरोज पर भी चोटें थी। इसके बाद पुलिस ने 302 का केस रजिस्टर कर लिया था। केस रजिस्टर करने के बाद जब इस बात का शोर–शराबा हुआ कि इसकी इन्कवारी करायी जाये तो गवर्नमैंट ने सी० आई० डी० को केस दे दिया। जब यह मालूम हुआ कि केस अगर कोई इन्टर–स्टेट हो, तभी सी० आई० डी० को केस दिया जातां है तो सरकार के कहने पर पुलिस ने फिर इसकी इन्वैस्टीगेशन की।

श्री मंगल सैनः क्या गृह मंत्री महोदय फरमायेंगे कि श्री रूप राम राठी ने मरने से पहले मैजिस्टेरट को कोई व्यान दिया था। अगर दिया था, तो वह क्या था?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, उन्होंने मरने से पहले व्यान दिया था। उस ब्यान में जिस धर्मपाल का नाम लिया गया था, उसको, स्पीकर साहब, याद मे गिरफ्तार भी किया गया।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, 17 जून 1987 को जब इलैक्शन हुए ये, तो जींद में भी एक गोली कोड हुआ था।

श्री अध्यक्षः आप इसी सवाल से सम्बन्धित प्रश्न पूछिए।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 2 जनवरी, 1988 को रईया गांव में एक मर्डर हुआ था

श्री अध्यक्षः आप मेन सवाल पर सप्लीमैंट्री पूछो।

कामरेड हरपाल सिंहः सर, यह रोहतक जिले से ही सम्बन्धित सवाल है और उससे ही ताल्लुक रखता है। झज्जर तहसील के अन्दर रईया नांव है जो रोहतक मिले में पडता है। वहां पर श्री मान सिंह का मर्डर हआ था। क्या उस बारे में बतायेंगे कि किन लोगों के मानें लिए गए हैं और किन लोगों को पकड़ा गया है?

प्रो० सम्पत सिंहः सर रोहतक जिले के मैंने तीन केसिज बताए हैं। तीन ही रजिस्टर हुए थे। तीनों का विवरण मैंने दे रखा है। (व्यवधान व शोर)

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, जब किसी केस के बारे में पुलिस के आचरण पर संदेह की अंगुली उठाई जाती हो तौ क्या ऐसी स्थिति में पुलिस से उस केस की जांच न करा कर किसी और ऐजेन्सी से जांच नहीं कराई जा सकती?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, पुलिस पर कोई संदेह की अंगुली नहीं उठाई गई। बाकायदा और प्रोपर इंवैस्टीगेशन हुई है।

श्री हीरा नन्द आर्यः मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी को दोषी पाया गया है और अगर पाया गया है तो क्या दोष पाया गया?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, किसी पुलिस अधिकारी का कोई दोष नहीं पाया गया।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। रईया गांव का मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो इन्होने जवाब दिया है वह इन्होंने पूरा नहीं दया है। जनवरी के अन्दर केस रजिस्टर हुआ है। मंन्त्री महोदय ने जवाब पूरा नहीं दिया है।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, तीन केस दर्ज हुए थे। मैंने तीनों की जानकारी दे दी है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया है। मैं रईया के बारे पूछ रहा हूं

Mr. Speaker : Please have your seat. He has given the reply.

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, part (a) of the question was—

the number of murder cases registered in each Police Station in district Rohtak during the month of January, 1988."

ये रईया गांव का जिक्र कर रहे हैं जो इन्होंने जवाब दिया है वह स्पैसिफिक है कि तीन मर्डर केस दर्ज हैं और उनकी डिटेल्ज भी दी गई है।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो रईया गांव में कत्ल के बारे में पूछ रहा हूं। मन्त्री महोदय उसका जवाब नही दं रहे ई,। मेरे सवाल का जवाब तो आय ही नही है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This is not the way. I say that the Hon'ble

Minister has replied to the question. You e n send the question regarding Raiya village separately.

Comrade Harpal Singh : Sir, I want to know. (Noise & interruptions)

Mr Speaker : I will not allow you. You may send the question regarding Raiya village separately. This question does not relate to Raiya village.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, सवाल रोहतक जिले से सम्बन्धित है।

Mr. Speaker : You please take your seat.

श्री रधु यादवः अध्यक्ष महोदय, रूप राम रुप के बारें मे यहा जवाब दिया गया है लेकिन उस सम्बन्ध में अभी भी विवाद चल रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस केस में महिलाओं के साथ बदसलूकी और बच्चों को थाने मे ले जाने के बारे में इनके पास कोई शिकायत आई है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्यो से कहना चाहूंगा कि मुकदमें का चालान चाहे अब तक कोर्ट में पुट अप न हुआ हो लेकिन चूंकि फैक्ट आफ दि केस यह है कि मैटर सब–जुडिस है इसलिए ज्यादा खोजबीन न की जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

Faridabad Complex

4392. Shri Yogesh Chand Sharma : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) the year-wise total income accrued from Faridabad Complex togetherwith the expenditure incurred on the development of the said complex during the years 1983-84 to 1987-88 (upto 31.12.87); and

(b) whether any complaint has been received regarding disconnection of Ballabgarh Zone in the matter of level of developmental activities of the said Complex; if so, the action taken thereon ?

उपमुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क)अपेक्षित सूचना संलग्न अ–नुबन्ध द्वारा विधान सभा के पटल पर रखी जाती हैं।

(ख)जी नहीं।

अनुबन्ध

फरीदाबाद प्रशासन की वर्ष 1983– 84 से 1987–88 (31– 12– 87)तक की आय तथा व्यय का विवरण इस प्रकार है:

मद का नाम	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
	83– 84	84– 85	85– 86	86– 87	87– 88 (31–12–87

					तक)
					(राशि लाखों में)
आय	662—00	689—00	743—00	776—00	659—52
व्यय	665—00	688—00	740—00	765—00	619—86

विकास कार्य और रखरखाव पर फरीदाबाद प्रशासन द्वारा वर्ष 1983— 84 से 1987— 88 (31— 12— 87 तक)का खर्चा किया गया है उसका विवरण इस प्रकार से है —

मद का नाम	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
	83— 84	84— 85	85— 86	86— 87	87— 88 (31—12—87 तक)
					(राशि लाखों में)
विकास कार्य और रख रखाव	392—00	364—00	384—00	378—00	294—27

श्री योगेश चन्द शर्माः स्पीकर साहब, बल्लभगढ़ जोन में इन्कम बाकी जोनों से अधिक है। वहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, डिवेल्पमैंटल एंक्टिविटीज बिल्कुल बन्द हैं और वहां पर पीने का पानी भी नहीं मिलता। पिछले इलैक्शन के समय पानी की कमी के बारे में ध्यान दिलाया गया था। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का विचार है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः स्पीकर साहब, काम्पलैक्स के सीमित साधन हैं और उनको देखते हुए काम्पलैक्स के सभी एरियाज में और जौन में डिवैल्पमैंट के काम सामान्य गति से किए जा रहे हैं। किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं किया आ रहा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव कराए गए और प्रतिनिधियों को अधिकार दिए गए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कम्पलैक्स की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वहां पर चुनाव कराएंगे और अगर कराएंगे तो कब तक कराएंगे?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि, कम्पलैक्स का जो एक्ट है उसमें 1990 तक चुनाव करवाने का कोई प्रवाधान नहीं है। हां, उस ऐक्ट की सैक्शन स के तहत एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाने का प्रावधान है जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 40 हो सकती है। और उनका कार्यकाल पांच–छः सालों का हौ सकता है। यह एउडवाजरी कमेटी बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री योगेश चन्द्र शर्माः अध्दक्ष महोदय, मैं उपमुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद कम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऐक्ट में अमैन्डमैंट कर्ल्क चुनाव नही करवाये जा सकते? वहां के लोगों को इस चुनाव प्रक्रिया से वंचित क्यों रखा जा रहा है? इसके मुख्य कारण क्या हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है। उसकी एक विशेष स्थिति है और औद्योगिक दृष्टि से उसका समुचित विकास किया जा रहा बै। इन सब बातों को देखते हुए वहां चुनाव करवाने का या कम्पलैक्स के ऐक्ट में संशोधन करने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी उप मुख्य मंत्री महोदय जी ने कहा कि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है। मैं यह कहना चाहता हू कि उस औद्योगिक नगर में मजदूर भी बसते हैं। उन झुग्गी–झोपड़ियों वालों की अपनी समस्याए हैं। मैं इस से यह जानना चाहता हूं कि जो 40 आदमियों की ऐडवाईजरी कमेटी आप बनाने जा रहे हैं उनकी नियुक्ति का क्या क्रायटेरिया है? कौन–कौन महानुभाव उसमें शामिल किये जाएंगे?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सभी वर्गो के लौगों को उसमे प्रतिनिधित्व देने का सरकार का विचार है। हमने वहां की ऐडमिनिस्ट्रेशन से पैनल मांग रखा है। पैनल आने पर विचार किया जाएगा कि किन–किन महानुभावों को उसमें शामिल किया जाएगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में फरीदाबाद प्रशासन की वर्ष 1983–84 से 1987– 88 तक की आय तथा व्यय का जो विवरण दिया है उसमें वर्ष 1987– 88 की आय की जो फिगर्ज दी हैं वे 659.52 लाख हैं जो पिछले वर्षों से कम हैं। मैं मन्त्री महोदय से यी जानना चाहता हूं कि इस के क्या कारण हैं? क्या यह ऐडमिनिस्ट्रेशन की नाअहलियत और कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा का प्रमाण नहीं है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्य अगर ध्यान से देखते तो इन्हे पता चलता कि जो आकडे 1987–88 के दिये गये है ने 31– 12– 87 तक के हैं। अभी तीन महीनों की आय उसमें शामिल होनी बाकी है।

श्री योगेश चन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ जोन में लगभग 22–23 अन–औथोराइजड कालौनीज है जहां पर लोग रह रहे है। क्या उनको ऐप्रूवल देने का सरकार का कोई विचार है जबकि वे सभी प्रकार के डिवैल्पमैन्ट चार्जिज और हर तरह का टैक्स पे करते हैं। अगर ऐसी कालोनीज को ऐप्रूवल दे दी जायेगी तो वहां के रहने वाले लोगों का जीवन काफी सुधर जाएगा।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह इनकी बात ठीक है कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, इन सारे क्षेत्रों में कई अनाधिकृत बस्तियों का निर्माण हुआ है उनको औथोराइजड करार देने के लिये कुछ नियम हैं। उन्हे सब तरह के डिवैल्पमैंट चार्जिज देने पड़ते

है। यदि लोग डिवै ल्पमैन्ट चार्जिज देने के लिये तैयार होंगे, उस बस्ती की कंडीशन ठीक ठाक होगी, वहा स्लम्ज नहीं होंगे तो उसको अधिकृत करार दे दिया जाएगा।

Conversion of Transport Workshop Gurgaon into Corporation/Board

***306 Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert the Transport Workshop, Gurgaon into a Corporation/Board; if so, the time by which a decision, in the matter is likely to be taken ; and

(b) the mode by which the employees of the Corporation/
Board are likely to be appointed ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह):

(क)हरियाणा राज्य परिवहन की गुडगांव स्थित बौडी बिल्डिंग कर्मशाला को दिनांक 27– 11– 1987 से निगम में परिवर्तित कर दिया गया है।.

(ख)(1)परिवहन विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2)जो कर्मचारी आरम्भ में ही बौडी बिल्डिंग कर्मशाला के लिये भर्ती किये गये थे उनकी सेवायें स्थानांतरित करके।

(3)भविष्य में बाई लाज जो अभी बनाये जाने हैं, के प्रावधान के अनुसार।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कारपोरेशन में जो कर्मचारी आन डैपुटेशन लिए जाऐंगे क्या उन कर्मचारियों को डैपुटेशन अलाउंस मिलेगा और क्या क्लास थी और क्लास फोर कर्मचारियों को भी डैंपुटेशन अलाऊंस दिया जाएगा?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, डैपुटेशन अलाऊस क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारियो को भी दिया जाएगा।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, हरियाणा राज्य परिवहन की गुड़गांव स्थित बौडी बिल्डिंग वर्कशौप को दिंनाक 27– 11– 1987 से निगम में परिवर्तित कर दिया है मैं मती जी सें यह जानना चाहूंगा कि इस वर्कशौप को निगम में परिवर्तित करने की क्या जरूरत पड़ गई थी क्योंकि वर्कशौप को निगम बनाने के बाद से मती जी का या ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट का डायरैक्ट कंट्रोल इस पर से बहुत कम हो जाता है?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार को पैसे की जरूरत है इस वर्कशौप को कारपोरेशन बनाने से हमें इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट बैक आदि से लोन मिल जाता है उन बैंकों से लोन मिलने से हम ज्यादा बसिज खरीद कर चला सकेंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, बोर्ड या कारपोरेशन बनाने से पहले उसके बाईलाज बनाए जाते है लेकिन इस वर्कशौप को

कारपोरेशन में परिवर्तित करने से पहले बडिलाज नहीं बनाए गए। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस वर्कशौप को कारपोरेशन में बदलने से पहले वाई लाज क्यों नहीं बनाए गए?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, इस वर्कशौप को 2711 1987 को कारपोरेशन में बदला गया णै अब जल्दी ही इसके बाई लाज बना लिए जाएंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने यह बताया है कि क्लास थी और क्लास फौर कर्मचारियों को भी डैपुटेशन अलाऊंस मिलेगा। मैं मती जी से यह जानता चाहूंगा कि ये इस बारे में पता कर लें कि उनको डैपुटेशन अलाऊस मिलेगा या नही, कहीं मंत्री जी को इस बारे में गलत इन्फर्मेशन तो नहीं दी गई है?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, इस कारपोरेशन में जो कर्मचारी आन डैपुटेशन गए हैं उनको डैपुटेशन अलाऊंस दिया जाएगा और कारपोरेशन के बाईलाज अनुसार ही कर्मचारी भती किए जाएंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कर्मशाला को निगम में परिवर्तित करने के बाद बसों की बौडी बनाने पर कौस्ट कम आइ है यह पहले से ज्यादा कोस्ट आई है। इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पहले बसों की बौडी बनाने पर जो कौस्ट आती थी उसमें और अब जो कौस्ट आती है उपमें कितना फर्क है।

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, बसों की बौडी बनाने पर जो पहले कौस्ट आती थी अब उससे कम कौस्ट आती है।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज की बसों की बौडी ऐसी है कि सिवाय हौर्न के उसका सब कुछ बजता है इसलिए मैं मैं तो जी से पूछना चाहता हू कि जिस समय इन बसों की बौडीज बनवाई गई उस समय जो घोटाला हुआ क्या उस बारे में जाँच करवाने का सरकार का कोई विचार है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो पहले की बसों की बौडीज बनवाई हुई हैं क्या उन बौडीज की जगह नई बौडीज बन दाने का सरकार का कोई विचार है?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, ऐसा कोई घौटाला नहीं हुआ है। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसी कोई बात है तो हमारे नोटिस में लाएं।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मली जी से यह जानना चाहता हूं कि इस कर्म शाला को निगम में परिवर्तित करने से पहसे बसों की बौडी बनाने सर जो कौस्ट आती थी वह कितनी थी और इस कर्मशाला को निगम में परिवर्तित करने के बाद कितनी कौस्ट आती है?

श्री धर्मबीर सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में माननीय सदस्य सैपरेट नोटिस दे दे।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जाना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है कि पहले ले–लैड और मरसरी की

गाड़ियां खरीदी जाती थी लेकिन अब आयशर की बसें ख दीदी जाती है जो कि बहुत ही घटिया किस्म की हैं?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, जो बड़ी चौसिज की बसें हैं वे केवल टाटा और ले–लैड की खरीदी जाती हैं। माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं वह मिनि बसिज के बारे में है।

श्री सीता राम सिंगलाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूगा कि गुडगावां वर्कशाप को निगम में परिवर्तित करने के बाद कुल कितने कर्मचारी लिए गए हैं यानी उसमें जितने कर्मचारी हैं उनमें से कितने रैगुलर हैं, कितने ऐडहौक हैं और कितने डेली चेजिज पर हैं?

श्री धर्मवीर सिंहः स्पीकर साहब, उस कारपोरेशन में कुल 400 का स्टाफ है। उनमें से कुछ औन डैपुटेशन हैं, कुछ वे कर्मचारी हैं जो पहले वर्क शाप में थे उनको कारपोरेशन में बदल दिया गया है और ज्यों–ज्यों जरूरत पड़ती है, त्यों त्यों डेली वेजिज पर भी भर्ती कर ली जाती है।

Purchase of Malathene

***344. Chaudhri Shiv Lal :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the total quantity of Malathene purchased by the Health Department during the year 1987-88 (upto 29-2-88) together with the cost thereof ;

(b) the total quantity of Malathene, out of that as referred to in part (a) above, used during the afore-said period together-with the purpose/places of utilisation; and

(c) the cost and quantity of Malathene, if any, lying unused with the Department ?

स्वास्थ्य तथा औयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)1400 मीट्रिक टन

191.12 लाख रुपये।

(ख)मलेरिया की रोकथाम के लिये 395 मीट्रिक टन स्प्रे कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई मैलाथिन का प्रयोग 41 खण्डों के गांवों में किया गया। खण्डों का विवरण निम्नप्रकार से है:—

क्रम सं०	जिला	खण्डों की संख्या	खण्डों के नाम
1	अम्बाला	8	पिंजौर, रायपुररानी, बराड़ा, जगाधरी, अम्बाला, छछरोली, बिलासपुर, नारायणगढ़।
2	फरीदाबाद	1	होडल।
3	गुडगावा	3	नुह, फिरोजपुर झिरका, पुनहाना।

4	हिसार	3	नारनौंद, बरवाला, टोहाना।
5	जीन्द	1	सफीदों।
6	करनाल	8	करनाल, घरोंडा, समालखा, पानीपत असंध, निसिंग, मतलोडा, नीलोखेड़ी।
7	कुरुक्षत्र	5	कैथल, गुहला, थानेसर, शाहबाद, लाडवा।
8	रोहतक	5	रोहतक, सांपला, झझर, बेरी, बहादुरगढ़।
9	सोनीपत	7	गन्नौर, मुडलाना, गोहाना, कथूरा, खरखोदा, राई, सोनीपत।

(ग)118.30 लाख रुपए मोल को 850 मीट्रिक टन।

10.00 बजे

श्री सीता राम सिंगलाः मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो मैलाथीन खरीदी गई है क्या वह सब–स्टैडर्ड खरीदी गई थी? यदि वह सब–स्टैडर्ड खरीदी गई है तो क्या सरकार ने संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट करार दिया है?

श्रीमती कमला वर्माः सर, हमने जितने मीट्रिक टन मैलाथीन खरीदी थी उसमें से 520 मीट्रिक टन दवाई गलत पाई गई थी। दवाई गलत होने की वजह से उसे संबंधित फर्म को वापिस कर दिया गया।

वापस करने पर संबंधित फर्म ने जो रिप्लेस करके दवाई भेजी, उसमें से 150 मीट्रिक टन दवाई फिर गलत पाई गई। और फर्म को वापिस भेज दी गई जिस फर्म से हम दवाई लेते है उनके साथ हमारी यह शर्त होती है कि जबूर उसका सैम्पल पास हो जाएगा उसके बाद ही उसे पेमेंट दी जाएगी।

श्री महा सिंहः मैं मंत्री जी सें जानना चाहता हूं कि जिस फर्म से यह दवाई खरीदी गई क्या उसकी दवाई से कोई मच्छर मरा भी है या नहीं?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, हम तो बीमारी से ग्रस्त रोगियों से ही अनुमान लगा सकते है। 1986 के अन्दर मलेरिया के केस 62 हजार 575 नोटिस में आये थे और अबकी बार 1987 के अंत तक सिर्फ 18 हजार 916 ही केस नोटिस में आये हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि इस दवाई का काफी अधिक असर हुआ है।

चौधरी शिव लालः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन ब्लाकों का जिकर इन्होने अपने जवाब में किया है क्या उनमें दवाई छिड़कने के बाद मलेरिया का असर पहले की अपेक्षा कम हुआ है। यदि असर दवाई का अधिक हुआ है तो जो दवाई बची हुई है क्या वह यूज होने तक इफैक्टिव रहेगी, क्योंकि जितनी दवाई खरीदी गई है और जितनी यूज की गई णै उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जब तक यह दवाई यूज की जायेगी उसका असर जाता रहेगा यानी उसकी डेट–एक्सपायर हो जायेगी।

श्रीमती कमला वर्माः हां अवश्य मलेरिया का प्रकोप कम हुआ है, दवाई अवश्य प्रभाव त्हरने वाली रहेगी जब हम कोई दवाई खरीदते हैं तो उसके लिए टैण्डर मंगवाने पड़ते है। टैडर पास होने के बाद संबंधित फर्म से जितनी दवाई लेनी हाती है वह दवाई ले लेते हैं। दवाई आने के बाद सैम्पल पास होने में भी समय लग जाता है। इसलिए रुटीन मे जो समय लगना होता है उस दौरान के लिए भी हमे दवाई की जरुरत पड़ती है। एक राउड में तकरीबन 1200 मीट्रिक टन दवाई स्प्रे में लग जाती शै। जब पहला राउंड पूरा हो जाता है, उसके बाद ही दूसरा राउंड शुरू किया जाता है। डेट ऐक्सपायर का प्रश्न ही नही उठता।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद की आबादी 10 लाख के करीब है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वहां पर दवाई कम क्यों दी गई?

श्रीमती कमला वर्माः जिस एरिया में मलेरिया का अधिक असर होता है, वहां पर दवाई अधिक प्रयोग में लाई जाती है और जहां पर मलेरिया का असर कम होता है वहां पर दवाई कम खर्च की जाती है।

श्री परमा नन्दः अध्यक्ष महोदय, जो दवाई इन्होंने 1400 मीट्रिक टन खरीदी है, उसमें से सिर्फ 395 मीट्रिक टन दवाई ही प्रयोग में अभी तक पाई गई है। जिस हिसाब से दवाई यूज हुई है उस हिसाब से यदि दवाएं यूज होती रही तो आने वाले 3 सालों में यह दवाई यूज हो पायेगी। क्या मंत्री जी बतायेगी कि दवाई यूज होने तक इसकी डेट

ऐक्सपायर नहीं हो जायेगी। दूसरे क्या इतनी अधिक मात्रा एक साथ खरीदने से राजस्व भी अधिक नही खर्च करना पड़ा?

श्रीमती कमला वर्माः जो दवाई बची हुई है, उसे मई तक स्प्रे करके खर्च कर दिया जायेगा।

श्री नर सिंह ढांडाः अभी मंत्री महोदया ने अपने जवाब में माना है कि पिछले साल मलेरिया के 62 हजार केस नोटिस में आये और अबकि बार सिर्फ 18 हजार केस ही नोटिस में आये हैं। क्या यह ऐसा इसलिए नही ददुआ कि इस साल सूखा पड़ा है जिसकी वजह से मच्छर पैदा नहीं हुए।

श्रीमती कमला वर्माः आप ऐसा कह सकते शै लेकिन वास्तविकता में विभाग की दक्षता ही इनके कम होने का कारण है।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, ढांडा साहब की बात ठिक है कि इस साल बारिश न होने की वजह से जो सूखा पड़ा है उससे गन्दगी कम हुई है, गढडों में पानी खड़ा न होने से भी मच्छर कम पैदा हुए है और सूखा रहने से भी मच्छर वाम पैदा हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि जब मच्छर कम पैदा हुए हैं तो जो दवाई यूज की गई है, वह कहां पर यूज की गई है? (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्षः इस प्रश्न का उत्तर पहले ही आ चुका है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि नौ जिलों में दवाई का छिड़काव किया गया

लेकिन नारनौल, भिवानी और सिरसा में इस दवाई का छिड़काव नहीं किया गया। क्या वहां पर मच्छर पैदा नहीं होते है और अगर होते हैं तो वहां पर दवाईयां क्यों नही छिडकी गई?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने सवाल में मैलाथिन का पूछा था। जहां पर बी० एच० सी० और डी० डी० टी० का रेस्पोंस ठीक न हो वहां पर मैलाथिन छिड़की जाती है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हरियाणा के बाकी जिलों में बी० एच० सी० या डी० डी० टी० का स्प्रे किया जाता है।

चौधरी शिव लालः स्पीकर साहब मंत्री महोदया ने बताया कि अगर कोई खराब दवाएँ सप्लाई की जाती है तो उसे रिप्लेस कराया जाता है। मैं आपके जरिए मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिस फर्म ने सब–स्टैन्डर्ड मैलाथिन सप्लाई की उस फर्म के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया?

श्रीमती कमला वर्माः जिस फर्म की मैलाथिन सब–स्टैन्डर्ड पायी गई है उससे आने वाले सालों में टैन्डर इन्वाइट नहीं करेंगे। इन दवाईयों को परचेज करने के लिए एक हाई–पावर्ड परचेज कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी टैन्डर पास करती है। जब वे दवाई सप्लाई करते हैं तो उसके सैम्पल भरे जाते हैं। अगर सैम्पल फेरर हो जाता है तो उस दवाई को बदलवाया जाता है और पेमैंट नहीं की जाती यी केस चौकसी विभाग को दे दिया गया है।

श्री भागी रामः क्या यह बात सही है कि बाहर तो छोटे मच्छर हैं लेकिन इनके स्टोरों में जहां पर दवाई रखी जाती है वहां पर मक्खियों जैसे बड़े–बड़े मच्छर **श्रीमती कमला वर्माः** भागी राम जी, स्टोरों के विषय में तो मैं नहीं कह सकती पर जिन गावों में पानी गढ़े में खड़ा रहता है वहां पर मच्छर बहुत होते हैं इसलिए वहां पर भी छिड़काव आदि का प्रबंध किया जाता है।

श्री भागी रामः मैंने आपसे शह पूछा है कि आपके जो स्टोर दवाईयां रखने के लिए बने हुएहैं क्या उनको कभी चौक किया गया है क्यों कि वहां पर बहुत बड़े– बड़े मच्छर हैं?

श्रीमती कमला वर्माः हमारे स्टोरों में मच्छर नही होते है। पूरा ध्यान रखा जाता है।

श्री बलबीर सिंहः चौधरी स्पीकर साहब, हर सात दवाईयों की लागत बढ़ रही है और मलेरिया के केसिज भी कम हो रहे हैं लेकिन मच्छर बढ रहे हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हू कि क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार करके लोकल सैल्फ गवर्नमैंट को भेजी जाती है कि फलां शहर या गांवो में पानी के गढ़े भरे रहने की वजह से मच्छर बढ रहे हैं क्या स्वास्थ्य विभाग इस ओर उनका ध्यान दिलायेगा?

श्रीमती कमला वर्माः बिल्कुल दिलायेंगे अभी भी श्यान दिलाया जाता है?

श्री हीरा नन्द आर्यः मंत्री महोदय ने अभी बताया था कि हाई पावर्ड– कमेटी दवाइयां परचेज करती है। मैं आपके जरिए मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिन फार्मो ने सब–स्टैन्डर्ड दवाईयां सप्लाई की, हैं, उनको ब्लैक लिस्ट करने में क्या अड़चन है?

श्रीमती कमला वर्माः कोई अड़चन नही जिन फर्मो ने दवाईयां ठीक सप्लाई नही की, उनकी आगे से दवाईयां नहीं ली जायेंगी और उचित दण्ड दिया जायेगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः आरा उन फर्मों को प्रोटैक्ट क्यों कर रही हो, ब्लैट लिस्ट क्यों नही करती?

श्रीमती कमला वर्माः ब्लैक लिस्ट वह स्वयं हो गई, जब उससे आगे दवाई नहीं ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्षः स्पीकर साहब, जिला जीन्द में केवल सफीदों ब्लौक में ही मैलाथिन का छिड़काव किया गया है। मैं आपके द्वररा मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि. दवाई छिड़कने का क्या क्राइटेरिया है? मैलाथिन कहा पर छिडकी जाती है और बी०एच०सी० कहां पर छिडकी जाती है?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, मैंनै पहले ही बताया है कि पहले सर्वेक्षण किया जाता है कि किस ब्लौक में किस दवाई से मच्छर मरते है, कौन सी दवाई असर करती है। सर्वेक्षण के हिसाब से कुछ खण्डों में मैलाथिन का और जिनमें बी०एच०सीश से मच्छर मरते है, उनमे बी०एच०सी० का छिड़काव करते हैं। सर्वे क्षण के हिसाब से

इलाके चु ने जाते हैं। मेलाथिन बहुत ही तेज दवाई है हर दवाई का हर जगह पर असर नही होता है।

श्री हरनाम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि जो मैला थिन खरीदी गई थी उसमें से 520 मीट्रिक टन मैलायिन सब–स्टैण्डर्ड पाई गई और उसे सम्बन्धित फर्म को वापिस कर दिया गया। 520 मीट्रिक टन जे फर्म ने बाद में सप्लाई की उसमें से भी 150 मीट्रिक टन सब–स्टैण्ड ई पाई गई और फिर उसको भी बदलवाया गया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता कि दोबारा दवाई वापस करने पर भी जब ठीक दवाई फर्म नहीं मे व रही थी तो उसी फर्म से ही यह मैलाथिन क्यों खरीदी गई?

श्रीमती कमला वर्मा: फर्मो को दवाई का कोटा पहले निर्धारित कर दिया जाता है सो वहीं से मंगानी पड़ता है। 530 और फिर 150 मीट्रिक टन जो दवाई सब–स्टैण्डर्ड पाई गई थी, वह सम्बन्धित फर्म कैं वापिस भेज दो थी और फर्म ने उस दवाई को बदन दिया था। फर्मों के साथ हमारी यह शर्त प्रारम्भ मे तय होती है। पैसा तब तक नही दिया जाता जब तक दवाई ठीक रूप से प्राप्त न हो। अगली टर्म में उसे ब्लैक लिस्ट ही माना जाता है।

चौधरी सतबीर सिंह कादियान : क्या मंत्री जी बताएंगी कि मैँलाभिन, बी०एच०सी०, या डी०डी०टी० के चोरी करने के आरोप में कितने कर्मचारियों को दोषी पाया गया है? यदि कोई दोपी पाए गएऋ हैं तो उनके खिलाफ क्या पूक्शन हुआ है?

श्रीमती कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे आठ लोग हैं जिनके ऊपर मैलाथिन या बी०एच०सी० की चोरी करने के कारण केस दर्ज करवाए गए हैं। इस का ब्योरा इस प्रकार है:

	नाम एवं पद संज्ञा	तिथि	दवाई का नाम	मात्रा कि०ग्रा०
1.	श्री देस राज निझावन	20— 9— 86	मैलाथिन	5524
2.	श्री फतेह सिंह	17— 11—87	मैलाथिन	3500
3.	श्री अब्दुल सत्तार	10— 12—86	बी०एच०सी०	9999
4.	श्री राम नारायण	यथो	यथो	4408
5.	श्री दलीप सिंह	यथो	यथो	3254
6.	श्री दरबारा सिंह एम०पी०डब्ल्यू०	यथो	यथो	232
7.	श्री गुरचरण सिंह	यथो	यथो	4749
8.	श्री अवतार सिंह	यथो	यथो	550

पहले दो व्यक्तियों का केस संबंधित थाने में दर्ज है। पुलिस रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। इन्क्वायरी रिकार्ड बेस पर होती है। उसमें देखा जाता है कि एक–एक व्यक्ति कितनी बी०एच०सी० मैलाथिन या डी०डी०टी० छिड़कने के लिए ले गया और दवाई कहां कंज्यूम हुई या इस्तेमाल हुई। ऐसी इन्क्वायरी करने में थोड़ी देर लग जाती है लेकिन दोषी व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाता। जिन व्यक्तियों का मैंने ऊपर जिक्र किया है उनमें से नम्बर 3 से 8 तक को चार्जशीट किया गया था और उन्होंने अपना जवाब भी विभाग को दे दिया है। विभाग इस पर जल्दी ही निर्णय ले लेगा।

श्री आत्मा राम गोदाराः मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि केवल कर्मचारियों के खिलाफ ही क्यों ऐक्शन लिया जा रहा है, क्या इसमें कोई आफिसर्ज इन्वौल्व नहीं हैं? यदि हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?

श्रीमती कमला वर्माः जांच रिपोर्ट आने पर यदि कोई अधिकारी इस में लिप्त पाया गया तो उसके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः जिन ठेकेदारों का माल सय–स्टैण्डडं पाया नया उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं कराए गए या उनको ब्लैक–लिस्ट क्यों नहीं करवावा गया क्योंकि सब–स्टैण्डर्ड माल सप्लाई करना भी एक औफेंस है।

श्रीमती कमला वर्मा: चौकसी विभाग का निर्णय आने पर ही इस बारे में कोई फैसला हो सकता है क्योंकि जो माल खरीदा जाता है वह हाई–पावर्ड परचेज कमेटी द्वारा खरीदा जाता है।

श्री योगेश चन्द शर्मा: मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि ऐसे केसिज में अभी कुछ व्यक्तियों के खिलाफ जांच हो रही है। मैं मती महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके खिलाफ कोई केस भी दर्ज किया गया है या नही।

श्रीमती कमला वर्मा: मैंने पहले ही दोषी व्यक्तियों के नाम व केस के विषय में बता दिया हैं दो व्यक्तियों का केस पुलिस के पास है। अन्य की विभागीय जांच पूरी हो चुकी है, निर्णय लेना है। माननीय सदस्य यदि कुछ अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस बारे में सैपरेट नोटिस दे दे, जवाब दे दिया जाएगा।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि हम 3–4 किस्म की दवाई खरीदते हैं और मलेरिया का प्रभाव देख कर उसका वितरण करते हैं। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या अलग–अलग किस्म के मच्छर होते हैं या एक ही किस्म के मच्छर होते हैं? यदि अलग–अलग किस्म के मच्छर होते हैं, तो क्या मन्त्री महोदया उन मच्छरों का नाम बताने का कष्ट करेंकी? (हंसी)

श्रीमती कमला वर्मा: मच्छरों की किस्मों का तो आपको ज्यादा पता होगा।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, आम तौर पर देखा जाता है कि जब दवाईयां स्प्रे की जाती हैं उसके बाद भी मच्छर मरते नहीं। क्या मंत्री जी बताएगी कि किसी दवाई को इफैक्टिवनैस के लिए टैस्ट भी किया जाता है या नहीं।

श्रीमती कमला वर्माः इसका जवाब मे पहले दे चुकी हूं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, आपेके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो सब स्टैण्डर्ड माल सप्लाई किया गया क्या उस पर आपकी परचेज कमेटी और अन्पकी निगाह नहीं गई? फिर उस सब स्टैण्डर्ड माल को वापिस लौटा दिया गया ताकि वह दोबारा बाजार में आ जाए। उस माल को खत्म करने के लिए कोई इन्तजाम क्यों नही किया गया? जितने भी चोरी के केस है, उनमें आपने चोरों को पकड़ा है। लेकिन जिन्होंने चोरी करवाई, उन अधिकारियों के ऊपर निगाह नहीं डाली। क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की जाएगी?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही बताया है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसको उक्त सजा दी जाएगी।

Construction of Hathni Kund Barrage

***254 Shri Jagpal Singh Chaudhri :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration

of the Government to construct Hathni Kund Barrage ;

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started/completed ;

(c) the name and details of the areas which are likely to be covered by the Canal emanating from the said Barrage; and

(d) whether the proposed Canal is likely to be completed simultaneously with the completion of the said Barrage ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क)हां जी।

(ख)इस कार्य को अक्तुबर 1989 में शुरू करने का प्रस्ताव है और इसे तीन वर्षो में पूरा किया जाएगा।

(ग)कोई भी नया क्षेत्र तामिल नहीं होगा।

(घ)बैराज से नई नहरें निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी बैराज के साथ–साथ वर्तमान पश्चिमी यमुना नहर के नए हैड–रेगुलेटर से मिलती हुई आवश्यक लिंक चौनल को पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

श्री जगपाल सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जव यह स्कीम बनी थी तो यह अम्बाला जिला के हायर लैवल के क्षेत्रोंको नहरी पानी देने के लिए बनी थी? आज मंत्री जी का जवाब सुनकर अम्बाला जिले के सभी विधायकों को बड़ा धक्का लगा है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका

कोई आल्टरनेटिव सोचेंगे कि इस इलाके को पानी मिल सके। अब जो पानी मिल रहा है, उसके इरीगेशन रेट्स आगरा कैनाल से भी ज्यादा हैं, ये रेट्स कम से कम दूसरी कैनाल के पानी के बराबर होने चाहिएं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल हथनी कुंड बैराज का था लेकिन माननीय सदस्य ने अपने सवाल में किसी नहर का चर्चा किया है और कहा है कि अम्बाला जिले के सदस्यों को धक्का लगा है। मेरी समझ में तो इनकी बात नही आई। यह हथनी कुंड बैराज का मामला है जो 15–20 साल से पैंडिंग था मौजूदा सरकार ने इस 15–20 साल के उनसे हुए मामले को क्लीयर करवा लिया है। ग्रीन सिगनल ले लिया है कि हम यह काम चालू करें। इसके लिये जो रैगुलेटर्ज बनने हैं, वह दो बनने हैं। एक डब्ल्यू० थे० सी० पर और दूसरा ईस्टर्न कैनाल पर उनकी कैपेसिटी का डिसीजन होना बाकी है। मेरे लायक दोस्त को अब उदास होने की जरूरत नही है। जब यह हथिनी कुंड बैराज मुकम्मल हो जाएगा तो रैगुलेटर्ज को लिंक करने के लिये लिंक चौनल भी बनेगी। उस लिंक चौनल से एक नहर निकाले जाने की भी प्रोपोजल है। वह जो नहर है वह किन–किन एरियाज में पानी पहुंचायेगी, यह जानकर शायद इनकी तबीयत खुश हो जाएगी। उसमें छछरौली, बिलासपुर, जगाधरी, बराड़ा, सढौरा, नारायणगढ़, अम्बाला और बरवाला बलौक्स को भी पानी मिलेगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि हथनीकुंड बैराज अक्तूबर, 1989 में शुरू करने का इरादा है क्या यह बतायेंगे कि 1988 में शुरू करने में क्या दिक्कत हैं? क्या यह

भी बताएंगे कि यू० पी० सरकार ने जो हथनीकुंड बैराज के साथ जू० पी० में एक नहर बना ली थी, उससे हरियाणा के हितों को नुकसान नहीं हुआ है अगर हुआ है तो उस के लिये क्या ऐक्शन लिया गया. है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, हम 1989 में इसलिये शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि इस साल जो पैसे का प्रोवीजन है, वह केवल एक करोड़ रुपये का है। एक करोड रुपये का जो प्रोवीजन है, इसमें से जो जमीन ऐक्वायर करनी है और उसके लिये यू० पी० सरकार को जो पैसा देना है वह दिया जाएगा और कुछ इन्फास्ट्रैक्चर खड़ा कर रहे हैं। एक करोड़ रुपये तो इसी में खर्च हो जायेंगे। 1989 में बरसात के मौसम के बाद इस काम को शुरू करेंगे। इसलिये मैंने अक्तूबर, 1989 का समय दिया है। जहां तक इनके सवाल के दूसरे भाग का ताल्लुक है, किसी प्रकार का कोई नुक्सान हरियाणा प्रान्त को अब तक नहीं हुआ है।

श्री जगपाल सिंह चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मै मती जी का बहुत ही धन्यवादी हूं कि उन्हेंने 12– 13 साल ही नहीं बल्कि 20 साल का पुराना जो मसला था, उसको जागृत किया और वह अब ठीक हो गया है और सिंचाई के लिये हमारा इलाका भी उसमें शामिल होगा। मेरे सवाल के दूसरे भाग का जवाब नही आया कि जब तक हमें नहरी पानी नहीं मिलता, तब तक टयूबवैल इरीगेशन के रेटस जो आगरा कैनाल से भी ज्यादा हैं और दूसरे कैनाल इरीगेशन के रेटस से तकरीबन दूगने हैं, उनको कैनाल इरीगेशन के कम से कम एट पार कर दिया जाये ताकि अम्बाला जिले के साथ कोई डिस्क्रिएमिनेशन न हो।

इसके अलावा टयूबवैल्ज चलाने के लिये बिजली पूरी नहीं मिलती और जो मिलती भी है, उससे वह पूरे चलते नही हैं। क्या इस तरफ भी सरकार ध्यान देगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मेन सवाल में तो इन्होंने रेट्स वगैरा की बात पूछी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं इन्हे बता दू कि रेटस तो उतने ही ठीक हैं, जितने पहले से हैं।

श्री मोहम्मद असलम खांः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त यह हथनी कुंड बैराज बनाने के लिये प्रोपोजल बनी थी, उस वक्त इसकी कितनी लागत थी और अब यह कितनी लागत पर पहुंच गया है साल–सवा साल तक इसको ये और लेट करने जा रहे थैं। उस वक्त तक क्या ये बतायेंगे कि इसकी कितनी लागत हो जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः चौधरी असलम खां कौ मैं जवाब देना चाहूंगा कि जब एस०वाई०एल० का प्रोजैक्ट बना था, जो पंजाब टैरीटरी में तैयार होना था, उस वक्त कुल 45 करोड़ रुपया उस पर खर्च होना था। चौधरी असलम खा की पार्टी ने उस प्रोजैक्ट को डिले कर–कर के 366 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है। इसी प्रकार से हथनी कुंड बैराज का मसला भी बहुत सालों से अटका हुआ था और अटकाने वाले कौन लोग हैं, वह लोग जानते हैं। मेरे पास ऐग्जैक्ट फिगर तो नहीं हैं कि शुरू में कितने का प्रौजैक्ट था लेकिन जिस गति से एस० वाई० एल० का खर्चा बढ़ा है उसी प्रकार से इसकी लागत भी बढ़ी है जो दस गुणा

होगी। आज के दिन यह प्रौजैक्ट साढ़े सैंतालीस करोड का है, उस वक्त शायद तीन चार करोड़ का होगा।

200 Bedded Hospital at Sonipat

***27. Shri Maha Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state—whether any scheme for the construction of a 200 Bedded Hospital at Sonipat was approved in the year 1977; if so, the estimated cost thereof ;

(a) whether the said Hospital has been constructed, if not, the reasons therefor; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the said Hospital; if so, revised estimated cost thereof ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)सोनीपत मे 200 बिस्तर अस्पताल के निर्माण की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई थी।

(ख)क के दृष्टिगत, प्रश्न पैदा नहीं होतीं।

(ग)211.52 लाख रुपये की लागत से 100 बिस्तरों का अस्पताल सोनीपत मैं निर्माणाधीन है।

श्री महा सिंह: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया पार्ट (एर)और (बी)का जवाब बड़ी चतुराई से टाल गई। स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि चौधरी देबी लाल जब 1977 मैं मुख्य मन्डी थे उस वक्त सोनीपत के

लिए दो सौ बंड का अस्पताल मन्जूर किया लेकिन बीच में जब तैयब हुसैन की सरकार आबै तो दो नौ बैड को बदलकर सौ बैड कर दिया गया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि जिस दिन सौ बैड के अस्पताल की स्कीम मन्जूर हुई, उस दिन इस की क्या लागत थी और आज क्या लागत है और इतना लम्बा समय क्यों लगा?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, 1– 1–79 कों यह अस्पताल (सोनीपत का)पचास बैड से सौ बैड का अपग्रेड किया गया। एक बार वहां मीटिंग हुई तौ इन लोगों ने कहा कि यह अस्पताल 150 बैड का होना चाहिए लेकिन 10– 10– 979 को यह बात स्पष्ट हो गई कि यह अस्पताल 100 बैड का बनाया जाएगा। 1980 में हुड्डा से जमीन खरीदी नई। 15 एकड़ जमीन 502044 52 रुपए में हुड्डा से खरीदी गई। 211. 52 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए अनुमानित थी। उसके बाद कौस्ट औफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई और अस्पताल कुछ अधूरा रह गया। स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने भिवानी में 200 बैड से पांच सौ बैड का अस्पताल बनाने के लिए पांच–पांच स्टोरी के दो ब्लाक बनाने का आदेश दे दिया और 60 लाख रु० की धन राशि को जबरदस्ती वहां डाइवर्ट कर दिया। स्पीकर साहब, यह ठीक है एक ब्लॉक में दो स्टोरी बनने के बाद हमने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी है। पर वह पैसा यदि सोनीपत अस्पताल में. लगता तो आज अस्पताल का कार्य पूरा हो जाता। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाती हूं कि दिसम्बर, 1988 तक सोनीपत का अस्पताल चालू हो जाएगा।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, ऐलनाबाद मन्त्री महोदया गई थीं वहां पर इन्होंने देखा था कि डिस्पैसंरी का क्या हाल है। मौके पर अस्पताल की बिल्डिंग दिखाई थी। कितने बिस्तरों के अस्पताल की वहां पर जरूरत है और वहां पर कितने मरीज आते हैं। यह सब इन्होंने देखा है। क्या मन्त्री हरिया बताने की कृपा करेंगी कि इस बजट सैशन के बाद ऐलनाबाद के बारे मे भी कुछ विचार किया जाएगा?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए। यह सवाल सोनीपत के बारे में है।

श्री देवी दासः अभी मन्त्री महोदया ने कहा है कि 211.52 लाख रुपए की लागत से सोनीपत के अन्दर सौ बिस्तरों वाला अस्पताल निर्माणाधीन है। क्या मन्दी महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इसके अन्दर जमीन की कीमत और डाक्टर्ज तथा सी० एम० ओ० के क्वार्टज भी शामिल हैं?

श्रीमती कमला वर्माः जमीन की कीमत लगभग पांच लाख रुपए अलग है। यह राशि रिहायशी मकान जो 19 है, (जो अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं)और अस्पताल के भवन के लिए हैं।

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, अभी यहां कहा जा रहा था त्रिय कॉंग्रेस पार्टी की वजह से काम डिले हुआ था। स्पीकर साहब, छछरौली का अस्पताल पिछले साल मन्जूर हुआ लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि यहां पर कब तक काम शुरू कर दिया जाएगा?

श्रीमती कमला वर्मा: इसके लिए सैपरेटं नोटिस चाहिए।

Sowing of particular Crops in areas surrounding Delhi

***264. Shri Atma Ram Godara :** Will the Minister of State for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the Government has formulated any scheme for the sowing of particular type of crops in the area of. the State surrounding Delhi ;

(b) whether it is a fact that the affluent of big factories installed in areas surrounding Delhi affects the crops ; and

(c) if so, the steps taken to save the crops, referred to in part (a), above, from such affects ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह): (क)दिल्ली के आस पास के इलाके में किसी विशेष प्रकार की फसलों की बुवाई की सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है लेकिन एक बात जरूर है कि देहली के चारों और 40 किलोमीटर के एरिया में सब्जियां, बागवानी, मछली पालन व पशु पालन विकास के लिये सरकार के पास काफी स्कीमज विचाराधीन हैं।

(ख)इस मामले में कोई अध्ययन किया गया प्रतीत नहीं होता है और कृषि विभाग को इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग)ऊपर बतायी गयी स्थिति के दृष्टिगत कोई विशेष पग विभाग दारा नही उठाया गया है।

श्री आत्मा राम गोदाराः अध्यक्ष महोदय, भारत की यूरिया फैक्टरियों से जो गैस निकलती है उससे किसानों की फसलों को भारी नुक्सान होता है और पीछे इस गैस के कारण काफी नुक्सान हुआ भी था। क्या सरकार इस बारे में कोई स्कीम बनाने पर विचार कर रही है ताकि किसानों की फसलों को इस जहरीली गैस से किसी प्रकार का नुक्सान न हो और वातावरण भी दूषित न हो?

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित है लेकिन मैं फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में स्फुर बड़े कारखाने 360 है। दिल्ली के पास जो चार जिले है उनमें 186 कारखाने हैं जिनमें से 141 कारखाने फरीदाबाद जिले में हैं, 200 कारखाने सोनीपत जिले में, 12 कारखाने रोहतक जिले में ओर 11 गुड़गाव जिले में हैं। 141 कारखाने जो कि फरीदाबाद जिले में हैं, की जहरीली गैस व दूषित पानी से किसी भी फसल को नुकसान नही हो रहा हैं। सोनीपत में 22 कारखानों में से 5 का दूषित जल कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस की रोकथाम के लिये सरकार ने कई कारखानों में ट्रीटमैन्ट प्लांट्स लगवाने का प्रबन्ध किया है और जिन्होंने अभी तक ट्रीटमैन्ट प्लांट्स नहीं लगवाये है उनके खिलाफ सरकार ने कोर्ट में केस किये हुये हैं। रोहतक में केवल ऐसे 5 कारखाने है। जिनका दूषित जल भी कई जगहों पर फसलों को नुकसान करता हैं और इस बारे में भी सरकार ने आवश्यक कार्यवाही कर ट्रीटमैन्ट प्लांट्स लगवाये है। गुडगाव में केवल एक ही कारखाना है

जिसका दूषित पानी किसानों की फसलों में जाता है। उसके खिलाफ भी सरकार ने केस कर रखा है और सरकार उन के ऊपर दबाब डाल रही है कि वे जल्द से जल्द ट्रीटमैंट प्लांट लगवा लें ताकि किसानों की फसलों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर मैं ईटैग्रेटिड होटर्किल्चर स्कीम का जिक्र किया है और कैश क्रापस के बारे में भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि क्या ये स्कीमज एच० ए० यू० द्वारा या ऐग्रीक्लचर विभाग द्वारा चलायी जाएगी या फार्मर्ज को इसके लिये कोई इसैनटिव दिया जाएगा? इस बारे में जरा पोजीशन क्लीयर कर दें।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस तरह की स्कीमज को कामयाब करने के लिये कई तरह का सहयोग लेना पड़ता है। ऐग्रीक्लचर डिपार्टमैंट, मार्किटिंग बोर्ड, कोआपरेटिव सोसायटीज, फिशरीज डिपार्टमैंट पशु पालन विभाग और वन विभाग आदि सभी का यदि सहयोग होगा तभी सरकार की स्कीमज कामयाब हो सकेंगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार महानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी दिल्ली के इर्द–गिर्द तीन–चार जिलों का जिकर किया है जहां पर कि फैक्टरियों कें दूषित पानी से फसलों का नुकसान हो रहा है। इसी तरह से कैथल जोकि कुरुक्षेत्र जिले के अन्दर पड़ता है वहां पर देवीगढ़ के अन्दर एक नौशादर की फैक्टरी लगी हुई है और उसके इर्द–गिर्द की लगभग 5– 6 किल्ले जमीन बिल्कुल बरबाद हो

चुकी है और उस फैक्टरी का जो धुआ आता है उससे लोगों की आखें खराब हो रही हैं। उस धुएं के आगे कोई खडा नहीं हो सकता। इस के लिये डी०सी० और एस० डी० एम० साहब को हमने लिख कर भी दे रखा है और सरकार के पास भी इस बारे में पत्र द्वारा सूचना पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नही की जा सकी है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस के तिये क्या कार्यवाही की लैब?

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये क्योंकि इस सवाल का मेन सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है और यह दूसरे विभाग से सम्बन्धित है।

चौधरी शिव लालः अध्यक्ष महोदय, गेहूं का सीड पटौदी सें राजस्थान मैं भेज दिया गया और वहां पर बेचा गया तथा फौडर के लिए यौ और नई का सील दिल्ली की किसी फर्म से इनफैक्शियस खरीदा गया सौर उसके रेट मार्किट ते कई गुणा ज्यादा थे। उस सीड की दिल्ली मे, ही ओक्शन कर ही गई। मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या इस सारे धक्के के बारे मैं कोई इनक्वायरी करवाई गई है, अगर इनक्वायरी करवाई गई है तो उसके क्या परिणाम निकले?

श्री बलबीर सिहः स्पीकर साहब, मैं माननीय सद्स्य को और सारे रायस कौ यह बताना चाहता हूं कि चाहे किसी ने दवाईयों के बारे

में गड़बड़ी की हो और चाहे सीड के मामले में गड़बड़ी की हो, उसको कतई नही बखशा जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मली जी से जानना चाहता हू कि दिल्ली के साथ–साथ चारों ओर 40 किलोमीटर की परिधि में बागवानी, सब्जियों और पशु पालन विकास के लिए जो सामेकित प्रोजैक्ट तैयार किया गया है, क्या उस एरिया की परिधि और बढ़ाने की कृपा करेंगे क्योंकि यह सारा एरिया इंडस्ट्रियिल एरिया बन चुका है और इस एरिया में इन फसलों के लिए उतनी उपजाऊ भूमि नहीं मिल सकेगी? क्या इस 40 किलोमीटर की परिधि को बड़ा कर 60– 70 या 80 किलोमीटर करने पर विचार करेंगे?

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, इस 40 किलोमीटर की परिधि को बढ़ाने के बारे में बात सरकार के विचाराधीन है। इस प्रोजैक्ट पर 1988–89 के दौरान 25 लाख रुपए खर्च करने का प्रावाधन है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इसी तरह की एक स्कीम 1979– 80 में तैयार की गई थी और उस पर 53 करोड रुपए खर्च होने थे लेकिन उस समय चूंकि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने उसकी मन्जूरी नहीं दी इसलिए वह स्कीम फेल हो गई। अब यह स्कीम शुरू की जा रही है। वह 25 लाख रुपए से शुरू होगी। अगर केन्द्रीय सरकार या विश्व बैक इनके लिए पैसा देंगे, तो इस स्कीम का एरिया 40 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया जाएगा।

श्री महा सिंहः स्पीकर साहब, सोनीपत जिले में कुण्डली इंडस्ट्रीयल कम्पलैक्स बहुत बड़ा कम्पलैक्स है और वह जी० टी० रोड पर पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मंत्री जी ने यह बताया था कि सोनीपत जिले में 22 कारखाने हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे 22 कारखाने कौन–कौन से है और उनमें से कौन–कौन से कारखाने प्रदूषण कर रहे हैं।

श्री बलबीर सिंहः स्पीकर साहब, सोनीपत जिले में जो 22 कारखाने है उन सबके नाम मैं इस समय नहीं बता पाऊंगा लेकिन वहां पर जो 5 कारखाने अपने प्रदूषित पानी से किसानों की फसलों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं उनके नाम में बता देता हूं। 1. हरियाणा ऐग्रो फूड एंड फूट प्रोसैसिंग प्लांट मुरथल, 2. हरियाणा बनस्पति एंड जनरल मिल्ज कुण्डली, 3. हरियाणा कोआप्रेटिव शूगर मिल सोनीपत, 4. हिन्दुस्तान ऐवरैस्ट टूल्ज सोनीपत और 5–बी० एस० टी० लिमिटिड गन्नौर।

सरदार बूटा सिंहः स्पीकर साहब, किसानों को कीडेमार दवाईयां नहीं मिल रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आने वाली फसलों में किसानों को कीड़ेमार दवाईयां पूरी मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी?

श्री बलवीर सिंहः स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि किसानों कों कीड़ेमार दवाईयों की कोई कमी नही आने देंगे।

Mr. Speaker Hon. Members, Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing of Doctors in Hospitals in Rural Areas

***337. Shri Tek Chand :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there are any Hospitals in the Rural Areas of the State which are without doctors at present ;

(b) if so, the number thereof ; and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to provide doctors in the said Hospitals ?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क)हां। इस समय राज्य के कुछ एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पैंसरियां बिना डाक्टर के हैं।

(ख)30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3 डिस्पैसरियां।

(ग)जुलाई 1986 के बाद 461 डाक्टर तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए जिनमें से 309 ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किए गए। इसी प्रकार वर्ष 1987 में 85 डाक्टर नियमित तौर पर भर्ती किए गए जिनमें से 52 ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किए गए। एच० सी० एम० एस०–11 के डाक्टरों के रिक्त पदों को रोजगार विभाग के माध्यम से तदर्थ आधार पर भरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग, हरियाणा से भी

नियमित नियुक्तियों के उम्मीदवारों की सिफारिश करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Construction of Chaupals for Harijans and Backward Classes

***398. Shri Jai Narain Khundia** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the district wise number of Chaupals for Harijans and Backward Classes at present in the State ;

(b) the number of Chaupals, out of those referred to in part (a) above, lying incomplete ; and

(c) the number of such Chaupals, if any, of Kalanaur constitutency lying incomplete and the time by which the construction of these Chaupals is likely to be completed?

उद्योग मंत्री (डा० किरपा राम पुनिया):

(क)सरकारी सहयता से हरिजनों व– पिछडे वर्गो के लिये बनाई गई चौपालों की संख्या से सम्बन्धित जिलावार सूचना अनुसूची क सभा पटल पर रखी जाती है।

(ख)अनुसूची ख सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग)26 हरिजन चौपालें और 10 पिछड़े वर्गो की चौपालें अपूर्ण पड़ी हैं। धनराशि की उपलब्धि अनुसार इन्हें शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा।

अनुसूची क

जिलावार अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की चौपालों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	हरिजन चौपालों की कुल संख्या	पिछड़े वर्ग चौपालों की कुल संख्या
1.	अम्बाला	824	28
2.	भिवानी	464	80
3.	फरीदाबाद	334	20
4.	गुड़गांव	501	24
5.	हिसार	774	43
6	जींद	740	22
7.	करनाल	606	45
8.	कुरुक्षेत्र	876	50
9.	नारनौल	475	22
10.	रोहतक	866	57
11.	सोनीपत	572	5

12.	सिरसा	375	23

अनुसूची ख

जिलावार अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग की अधूरी चौपालों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	हरिजनों की अधूरी चौपालों की संख्या	पिछड़े वर्ग की अधूरी चौपालों की संख्या
1.	अम्बाला	80	28
2.	भिवानी	126	51
3.	फरीदाबाद	58	18
4.	गुड़गांव	49	16
5.	हिसार	222	23
6	जींद	13	-
7.	करनाल	22	15
8.	कुरुक्षेत्र	230	21
9.	नारनौल	64	15
10.	रोहतक	158	23

11.	सोनीपत	60	5
12.	सिरसा	57	17

Opening of JBT Institute for Girls at Mandi Dabwali

***310 Shri Mani Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to open JBT Institute for Girls at Mandi Dabwali; and

(b) if so; the time by which the said institute is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क)जी नहीं।

(ख)क के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

J.B.T. Institution in Jind Constituency

***324. Shri Parma Nand :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open J. B.T. Institution in Jind Constituency ; and

(b) if so, the time by which the afore-said Institution is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री खुरशीद अहमद):

(क)ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(ख)प्रश्न ही नहीं उठता।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में 16 मार्च को एक काल अटैन्शन मोशन सी० आर० पी० एफ० में नई भरती के संबंध में दिया था। नई भरती के तहत सी० आर० पी० एफ० की 11 नई बटालियने खड़ी की जा रही हैं। इस नई भरती में काफी लड़के लिए जाने हैं जिसमें हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। I have disallowed it. It relates to Govt. of India.

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः स्पीकर साहब, मैने भी एक काल अटैन्शन मोशन आपकी सेवा में दिया हुआ है।

श्री अध्यक्षः आपके काल अटैन्शन मोशन पर गवर्नमैंट के कुमैन्टस मांगे हुए हैं, वे अभी नही आये हैं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, यह जीरो आवर है। मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। यह हरियाणा के नव–युवकों का मसला है। मैं अपनी बात सिर्फ एक मिनट में खत्म कर दूंगा।

Mr. Speaker : Please have your seat.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने भी आपकी सेवा में एक काल अटैन्शन मोशन, करनाल में जो जूते बनाने की लिबर्टी इन्डस्ट्री है, उसके कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे जाने के संबंध में दिया शै। इस इन्डस्ट्री के कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं जिससे उन कर्मचारियों की जानको खतरा हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सरकार ब्यान दे कि वे आमरण अनशन पर बैठने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं।

श्री अध्यक्षः आपका काल अटैन्शन मोशन मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं है।

श्री मंगल सैनः सर, मैंने तो दिया है।

श्री अध्यक्षः कब दिया हे?

श्री मंगल सैनः आज सुबह ही दिया है।

Mr. Speaker : I will consider it.

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन दिया था, उसका क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 मार्च को पुलिस दारा नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है

Mr. Speaker : I have sent that to the Government for comments.

कामरेड हरपाल सिंहः जो लोग पहले नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, वे आज अपनी ही सरकार द्वारा थानों में पिट रहे हैं. .....,

Mr. Speaker : Please have your seat.

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, हमारी टेबलों पर क्वैश्चंज की एक–एक कापी रखी जाती है जबकि हम यहां पर दो–दो मैम्बर बैठते हैं। में चाहता हूं कि हर टेबल पर दो–दो कापियां रखी जायें।

Mr. Speaker : You better talk to me about it in my Chamber.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

भिवानी शहर में पीलिया फैलने सम्बन्धी

Mr. Speaker : I have received a notice of Call Attention Motion No. 9 from Shri Vasudev Sharma* and Shri Hira Nand Arya, M.L.As. regarding spread of jaundice in Bhiwani City. I admit it. अब श्री वासुदेव शर्मा, एम० एल० ए०, अपना नोटिस पढ़ दें और उसके बाद मंत्री महोदया यदि स्टेटमैंट देना चाहें, तो स्टेटमेंट दें।

श्री वासुदेव शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि इन दिनों भिवानी शहर में पीलिये की महामारी फैली हुई है तथा विशेषतया इसने लगभग प्रत्येक घर के बच्चों को प्रभावित किया है

जिससे लोगों में भारी चिन्ता व्यापत है। इसलिए सरकार को उक्त महामारी को रोकने के लिये तत्काल पग उठाने चाहिएं, उक्त बीमारी के कारणों की जांच करनी चाहिए तथा लोगों को राहत देनी चाहिए। सरकार इस सम्बन्ध में सदन को भी सूचित करे।

वक्तव्य–

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, पीलिया की महामारी एक छूत की बीमारी है और राज्य के निभिन्न भागों में इस बीमारी की इक्का– दुक्का घटनाएं होती रहती है। यह बीमारी एक वायरस द्वारा गन्दे पानी तथा कभी– 2 दूषित भोजन से लग जाती है। सभी जिलों की अनुपातिक तालिका– 1 देखने से पता चलता है कि राज्य में कलैन्डर वर्ष 1986 में पीलिया के 685 केस हुए और कलैन्डर वर्ष 1987 में 768 केस हुए। भिवानी शहर में एक जनवरी, 1988 से लेकर 21 मार्च, 1988 तक निम्न विवरण अनुसार इस बीमारी के केस हुए जिनमें दो केस चांग गांव के भी शामिल हैं –

जनवरी, 1988	शून्य
फरवरी, 1988	10
मार्च, 1988	13
दिनांक 21– 3– 88	

तक	

STATEMENT-1

Monthwise detail of cases of Infective Hepatitis during the year 1986-87 in the Haryana State

Month	Ambala		Bhiwani		Faridabad		Gurgaon		Hisar		Jind		Karnal		K. K shetra		M. garh		Rohtak		Sirsa		Sonepat	
	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87	86	87
January	7	2	20	—	7	—	14	31			3	—	—	7	1	.1	1	—	5	—	—	—	—	4
February	8	7	10	—	9	—	1	6	2	1	7	—	— 105		7	3	2	3	—	3	--		—	3
March	4	1	2	2	1	60	49	1	4	7	2	—	— 136		10	3	2	—	1	1	—	—	1	2
April	—	2	1	1	3	2	—	2	3	4	9	—	8	47	—	11	7	3	1	—				
May	5	5	10	1	—	—	17	1	5	—	—	—	11	41	5	'4	—	2	2	—				
June	11	2	13	—	4	—	10	1	6	5	8	—	11	43	8	—	4	4	1	1	2	—	5	1

July	19	10	—	—	29	—	13	—	16		5	—	8	41	35			3	1	1	—	—	1	3
August	15	6							3	1	7	—	17	15	12	1								
September	—	3		—		—	6	—	3	—	2	—	—	5	16	2		—	—	2				
October	3	8	2	—	—	3	14	4	3	—	2	—	3	12	16	1			1	—	—	1		
November	5	6	2	—	—	—	5	4			—	—	2	12	9									
December	6	6	1			7	7	2		1	8	—	3	14	5	5		1	1	—			3	
Total :	83	58	64	10	53	72	136	55	53	23	53		63	478	124	31	16	16	14	7	2	1	24	17

Total cases in the State in the following years :—

1986 — 685

1987 — 768

STATEMENT—II

Monthwise detail of eases of Infective Hepatitis during the year 1988 in the Haryana State

Month	Ambala	Bhiwani	Faridabad	Gurgaon	Hisar	Jind	Karnal	Kurukshetra	M. garh	Rohtak	Sirsa	Sonepat	Total
January	7	—	2	I	3	—	10	5	—		—	—	28
February	6	10	—	—	—	—	6	6				1	29
1st March to *21-3-88		13											

*Note : Total No. of cases in Bhiwani town including 2 of Village Chang from 1-1-88 to 21-3-88 are 23 as compared to 2 eases in the entire Bhiwani District from January, 87 to March 87. However, the No. of cases in Bhiwani District from January 86 to March, 87 were 32.

कलैण्डर वर्ष 1986 में भिवानी जिले में 44 केस हुए हैं, जबकि वर्ष 1987 में बहुत कम यानि केवल 10 केस हुए।

विभिन्न जिलों के अनुपात से पता चलता है कि वर्ष के दौरान इक्का–दुक्का केस आम तौर पर होते रहते हैं। इसी प्रकार की घटनाएं मास जनवरी और फरवरी, 1988 के महीने में भी देखी गई हैं, जिनका विवरण तालिका –11 में दिया गया है।

फरवरी, 1988 के महीने के दौरान कुछ पीलिया के केस ई० एस० आई० डिस्पैसरियो, भिवानी में पाये गये। इस स्थिति को देखते हुए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य)तथा चिकित्सा विशेषज्ञ, जनरल हस्पताल भिवानी ने घर–घर जाकर पीलिया की महामारी से ग्रस्त रोगियों को देखा। शहर के रोगग्रस्त स्थानों पर जाकर इस बारे तुरन्त सर्वेक्षण किया गया तथा जिन स्थानों का उप मु ख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), चिकित्सा विशेषज्ञ, जनरल हस्पताल, भिवानी द्वारा निरीक्षण किया गया, धुन स्थानों पर कोई नया केस नहीं पाया गया। लोक निर्माण विभाग, (जन–स्वास्थ्य)अधिकारियो से सम्पर्क किया गया तथा उनसे इस विषय में उठाये जाने वाले पगों मारे विचार विमर्श किया गया ताकि हैपीटैटीस (पीलिया)की बीमारी को रोकने के लिए आपश्यक कदम उठाये जाए। पीने के पानी के नमूने लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया। पानी पीने के योग्य पाया गया। जन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भिवानी के निवासियो को अधिक कलोरीनेट किए हुए पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था की गई।

इस बीमारी की उपस्थिति का पूरा जायजा लेने के लिए तथा इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए भिवानी शहर के प्राईवेट मैडीकल प्रैक्टीशनरों से सम्पर्क किया गया और उनसे कहा गया कि उनके कलीनिको में जो भी हैपीटैटीस (पीलिया)के केस आयें, उनकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दें। इस बारे में प्राईवेट मैडीकल प्रैक्टीशनरों से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नही हुंई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी ने स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों तथा जन स्वास्थ्य अधिकारियो को यह भी परामर्श दिया कि वे सुनिश्चित करें कि पानी सप्लाई करने की जी० आई० पाईपों तथा निकासी पाईपों का फासला काफी मात्रा में हौ। नगरपालिका अधिकारियों को नह भी कहा गया कि उनके ने क्षेत्रों में जो कुएं आते हैं, उन कुओं का पानी भी कलोरीनेट किया जाए।

उपायुक्त, भिवानी को भी सारी स्थिति बताएं गई और दिनांक 21– 3– 88 को उनकी अध्यक्षता में हुई एक बैठक में स्थिति का जायजा लिया गया। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी, अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य, कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य)ने भाग लिया।

इस बीमारी के फैलने का मूल कारण जानने के लिए एपीडैमोलोजीकल अध्ययन के अतिरिक्त पी० जी० आई०, चण्डीगढ़

तथा मैडीकल कालेज, रोहतक के सम्बन्धित विभागों से दिनांक 21–3–88 को यह प्रार्थना की गई कि वे विशेषज्ञों की एक टीम लेकर इस बीमारी से ग्रस्त लोगों के रक्त के नमूने लें ताकि यह देखा जा सके कि किस वायरस की वजह से यह बीमारी फैली हुई थीं।

चिकित्सा अमले कों सुदृढ़ करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को कुरुक्षेत्र जिले से भिवानी जिले में प्रतिनियुक्त किया है। पानी के नमूने नैशनल इंस्टीच्यूट आफ कोमनीकेबल डिजीजिज, नई दिल्ली तथा मैडीकल कालेज, रोहतक को बैक्टरोलोजीकल टैस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। यहां यह भी सूचित किया जाना है कि यद्यपि केसों की माता में थोड़ी बढौत्तरी हुई है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है तथा हस्पताल के अपने को रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुदृढ किया गया है।

शहर मैं इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित पग उठाए गए हैं –

1)लोक निर्माण विभाग, (जन स्वास्थ्य)द्वारा पीने के पानी को कलोरीनेट किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह देखने के लिए कि अन्तिम बिन्दु पर जहां पानी पीने के लिए प्रयोग होता है, वहां पानी में कलोरीन की पर्याप्त मात्रा है, इस बारे नियमित टैस्ट किए जा रहे हैं।

2)भिवानी शहर में कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं तथा उनके पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उन्हे निर्देश दिए गए थे कि वे घर–घर जाकर सर्वेक्षण करें और प्रत्येक रोगी का पता लगायें और उसकी सूचना दिन–प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दें। उन्हें यह भी हिदायतें दी गई कि वे पानी सप्लाई की जाने वाली पाईपों में यदि कोई लीकेज है, तो उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे।

3)जन साधारण को उबला हुआ पानी पीने तथा जिन खाने की वस्तुओं पर धूल और मक्खियां बैठी हों, नहीं खाने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

4)सभी ढाबों तथा खाद्य पदार्थों की दुकानों के उचित सफाई रखने की परामर्श दी गई है तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों को इस बारे में कडी निगरानी करने के लिए हिदायतें दे दी गई है।

5)सभी चिकित्सा अधिकारियों को पीलिया के केस की सूचना तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के आदेश दे दिये गए हैं।

6)सभी प्राईवेट मैडीकल प्रैक्टीशनरज को रोगियों की अधिसूचना के लिए अनुरोध कर दिया है।

7)नगर पालिका अधिकारियों को पानी सप्लाई करने वाली पाईपों में यदि कोई लीकेज पाई जाए तो उसे तुरन्त ठीक करने और पुरानी और गली पाईप यदि पाई जाये तो उन्हें तुरन्त

बदलने और लीकेज करने वाले जोड़ों को भी ठीक करने बारे कहा गया है। उन्हे यह भी कह दिया गया है कि मक्खियां मारने का प्रबन्ध भी करवायें।

मैं विधान सभा को आश्वासन दिलाती हूं कि सरकार इस समस्या से अच्छी तरह से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदया को यह जानकारी है कि पीलिया रोग के ज्यादा केसिज की शुरूआत इसलिए हुई क्योंकि कोई गन्दे पानी की लाईन वाटर सप्लाई लाईन से कुनैक्ट हो गई थी जिसके कारण लोगों को गन्दा पानी मिला? अगर यह बात सही है तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती कमला वर्मा: ज्यों ही इस बात का पता चला तो अधीक्षक अभियन्ता क्या कार्यकारी अभियन्ता जन–स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग की गई कि कहीं पर कोई लीकेज है तो उस पर विशेष ध्यान दें और उन्होंने शीघ्र सर्वेक्षण करवा कर उसे ठीक कर दिया।

श्री हीरा नन्द आर्य: इस बात का पता नही लगाया गया कि क्या कोई दोषी था? अगर इसमें कोई दोषी था तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और अगर जांच नहीं की तो क्यों नहीं की?

श्रीमती कमला वर्मा: अभी डी० सी० भिवानी से रिपोर्ट आनी है।

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान, अब में वैरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किये गये टाईम टेबल की रिपोर्ट पेश करना हूं।

"The Committee met at 9-00 A.M. on Tuesday, the 22nd March, 1988, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly. whilst in session, shall meet on Monday, at 2-00 P.M., and adjourn at 6-30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday at 9-30 A.M. and adjourn at 1-30 P.M. without question being put.

The Committee further recommends that on Friday, the 1st April, 1988, there will be no sitting of the Sabha.

The Committee also recommends that on Friday, the 8th April, 1988 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered on the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the business from 23rd to 25th March, 1988, 28th to 30th March 1988 and 4th to 8th April, 1988, be transacted by the Sabha as follows :—

Wednesday, the 23rd March, 1988 (9-30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation and adoption of Second Report of Business Advisory Committee.
Monday, the 4th April, 1988	1	Questions Hour.
(2-00 P.M.)	2	Papers to be laid on the Table of the House.
	3.	Legislative Business.
Tuesday, the 5th April, 1988	1	Questions Hour.
(9-30 A.M.)	2	LegislativeBusiness,
Wednesday, the 6th April, 1988	1	Questions Hour.
(9-30 A.M)	2	Legislative Business.
Thursday, the 7th April, 1988	1	Questions Hour.
(9-30 A.M.)	2	Non-Official Business.

Friday, the 8th April, 1988	1	Questions. Hour.
(9-30 P.M.)	2	Motion under Rule 15regar- ding Non-stop sitting.
	3	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
	4	Legislative Business.
	5	Any other Business."

अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर यह प्रस्ताव पेश करेगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकिण्ड रिपोर्ट मे की गई रिकोमंन्देशग्ज से सहमति प्रकट करता है।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ––

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की सैकिन्ड रिपोर्ट में की गई रिकमैन्डेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की सैकिन्ड रिपोर्ट में की गई रिकमैन्डेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त)पर चर्चा तथा मतदान

(1)राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

(2)अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः अब वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस (दूसरी किस्त)पर चर्चा शुरू होगी। पहली प्रैक्टिस के मुताबिक हाउस का टाईम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमान्डज पढ़ी तथा मूव की गई समझी जाएगी आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमान्ड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले वे उस डिमाण्ड का नम्बर बता दें जिसको वे डिस्कस करना चाहते हैं।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 28.02,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year. ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs.

1,10.37,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14.44,49,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,02.19,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 4—R even ue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,46,72,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to detray charges that will come in .the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 34;85,000 for revenue expend iture be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,57.000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 7-

Other Administrative Services.

That a sumplementary sum not exceeding Rs. 20,05,97,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 41,29;31,800 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,88,36.000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 85,50,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 80,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 12—Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs.

35,14,46,180 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the .year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 13—Social; Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,23,70,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 14—Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 91.65.41,000 for revene expenditure be granted to the Governor **to** defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 15– Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 16—Industries:

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,68,89,00 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in. the course of payment for the sear ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,35,77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of

Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a supplementary sum not exceeding Rs.-21,81,65,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 21—Community Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,62,75,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 23—Transport.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to rhe Governor to defray charges h it will come in the course of payment **for** the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government,

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, हम वर्ष 1987–88 के सप्लीमैटरी ऐस्टिमेट्स पर विचार कर रहे हैं मैं वित्त मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्हेंने जो अनुपूरक मांगे हमारे सामने रखी हैं उनमें बहुत सी राशि सरकारी कर्मचारियों की तनखाह की बढ़ौतरी के बारे में है। अगर मैं इसको शुरू से लेकर आखिर तक रैफर करूं तो हर डिपार्टमैंट में सैलरी बढ़ी है। शायद इसमें फोर्थ पे कमिशन का नाम तौ नहीं लिखा है लेकिन सैलरी को बढ़ाने के लिए जो खर्चा हुआ हे, उसकी हमारे से मंजूरी चाहते हैं। स्पीकर साहब, मैंने कल भी एक सप्लीमैंटरी

के माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछा था कि जो लोग 58 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृत हो गए हैं, उनको भी इस कमिशन की रिपोर्ट का लाभ होना चाहिए जैसे हिमाचल और पंजाब वालों ने दिया है। यहां पर जो बचे–खुचे कांग्रेसी मैम्बर बैठे हैं, ये एक दिन कह रहे थे कि देखो जी इस सरकार ने क्या सुविधा दी है? अगर कर्जे माफ किए हैं तो उसका बजट में जिक्र क्यों नही है? अगर मुझे समय मिला तो इस बात का मैं बजट पर बोलते हुए जवाब दूंगा। अभी मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स को ही देख लें कि सूखे के कारण किसानों को कितनी राहत दी गई है। चारा ढोने के लिए और चारा खरीदने के लिए भी राहत दी गई हुए। सब से बड़ी बात यह है कि अभी पीछे सोनीपत, महेन्द्रगढ़ तथा कुछ अन्य जिलों में प्राकृतिक प्रकोप हुआ यानी वहां ओलावृष्टि हुई। हमारे मुख्य मन्त्री जी वहां मौके पर गए तथा साथ मन्त्रियो को भी लेकर गए। उन्होंने किसानों के दु:ख–दर्द को देखा तथा उनको सांत्वना दी। इन अनुपूरक मांगों में भी हेल स्टौर्म के खर्चे का जिक्र है जिसको हमें सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से कांग्रेस बाले बड़ी मनोपली किया करते थे कि हम ही गरीबों के हमदर्द हैं। इस सरकार ने भी बैकवर्ड क्लास के बच्चों की फीस के लिए 1987– 88 के बजट में 45 लाख रुपए रखे थे और इस सरकार की उदारता के कारण इस काम के लिए दो लाख रुपए और मांगे जा रहे हैं ताकि गरीब, किसान तथा पिछड़े लोगों के बच्चों को अधिक लाभ हो। इसी प्रकार से हरिजनों के अपलिफ्ट

फंड के बारे में भी लिखा गया है। हमारे नवयुवक तथा लायक मन्त्री जी यहां बैठे हैं। इन्होने बड़ी भारी मार मारी है। ये एक मुख्य मन्त्री को मार कर आए हैं। वह ऐसा अड़ियल मुख्य मन्त्री था जो सारे हरियाणा में कहता था कि मैं मसल दूगा, कुचल दूंगा। पता नहीं इन्होंने उसको किसमें डाल कर मसल दिया। (विध्न)स्पीकर साहब, इसलिए मेरे प्रिय मन्त्री चौधरी धर्मवीर जी ने भी अपने महकमे के लिए जो रुपए मांगे हैं, वे जरूर दिए जाने चाहिए। मैने इनसे कल सप्लीमैंटरी में पूछा था कि रोहतक और सोनीपत से डीलकस बस क्यों नहीं चलाते? मैं चाला हू कि ऐसी बस हर जिले से शुरू करे ताकि उस बस का नाम ही धर्मवीर बस रख दिया जाए। स्पीकर साहब, एक मद मोटर ऐक्सीडैट के बारे में आई है। उस समय शायद चौधरी भजन लाल जी मुख्य मन्त्री थे। वे सिरसा जा रहे थे, रास्ते में हादसा हो गया और दो आदमी मौके पर मारे गए। (विघ्न)स्पीकर सर, वह कोई सरकारी फंक्शन कवर करने जा रहे थे कि ऐक्सीडैंट में दो आदमी मारे गये। उनको उदारता से कम्पनसेशन दे देते। पहले तो उनको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा। उसके बाद वह हाई–कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। स्पीकर सर, यह बड़ी ही अमानवीय बात है। जब कोई व्यक्ति किसी भी दुर्घटना में मर जाये उसके वारिसों को उसका डयू दे देना चाहिये और सरकार को यह हिमाकत नही करनी चाहिये कि वह विधवाओं के खिलाफ अदालत में पेश हो और कहे कि साहब, इतना कम्पनसेशन न दिया जाये। मेरा यह कहना है कि यह जो मद लायी गई है, यह बिल्कुल ठीक है। स्पीकर सर, एक योजना

के तहत जो केन्द्रीय सरकार की योजना है, छोटे शहरों को सुविधा देने के लिये अम्बाला और हिसार को छांटा गया है। स्पीकर सर, वह बात ठीक पै कि अम्बाला और हिसार में अम्बाला चण्डीगढ़ के नजदीक है। वैसे भी उपजाऊ क्षेत्र है। यमुना के नजदीक है। हम जो लोग दिल्ली के नजदीक रहते हैं, हमको इस बात की बड़ी असुविधा है कि सारा दिल्ली का बोझा हम पर पड़ता है। हजारों आदमी रोज दिल्ली से आते है और हजारों आदमी दिल्ली जाते है। लेकिन वहां का पूरी तरह से विकास नहीं हो रहा है। नगर पालिकाओं के चुनाव तो गुप्ता जी ने करवा दिये, लेकिन उनको कुछ पैसा भी दे दो वरना जो चीफ एग्जीक्यूटिव औफिसर्ज वहाँ पर बैठा रखे हैं, वे यह समझते हैं कि हमारे बाप–दादा की जागीर है। जो चाहेंगे, वह करेंगे। हो सकता है भिवानी में यह बात आपके अनुकूल बैठेगी लेकिन हमारे तो प्रतिकूल बैठेगी। (व्यवधान व शोर)मैं जवाहर चौक की सारी बात जानता हूं लेकिन मैं कहूंगा नही। वित्त मंत्री जी ने जो बात अम्बाला और हिसार के लिये शामिल की है वह ठीक शामिल की है लेकिन उस बारे में मैं यह कहूंगा कि अगर यह सुविधा दिल्ली के नजदीक लगते हुए जिलों को भी हो. जाये, तो अच्छा रहेगा। स्पीकर साहब, मैं इतनी बात कहते हुए इन सारी मांगों का अनुमोदन करना चाहूंगा और यह कहूंगा कि यह हाउस इन्हें जरूर पास कर दे।

11.00 बजे।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक मांगें सदन के सम्मुख रखी गयी हैं, इसमें जिला प्रशासन का जिक्र करते हुए जो खर्चा दिखाया गया है, उसमें पैट्रोल, टैलीफोन, मुरम्मत, बिजली के लम्बे बिलों की अदायगी आदि–आदि शामिल है। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

श्री रघु यादव: जो सामान्य प्रशासन की डिमांड है, मैं उस पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कौन सी है?

श्री रघु यादव: अध्यक्ष महोदय, पेज 5 पर आईटम न० 3 है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारी जो हैं, उनको वाहनों का आबंटन बिना किसी हिसाब किताब से किया गया है। एक अधिकारी जिसके पास दो–दो, तीन–तीन डिपार्टमैंट्स आ जाते है, वह दो– दो, तीन–तीन कारें स्टैड–बाई के रूप में रख लेता है। एक कार का वह खुद इस्तेमाल करता है दूसरी कार उसके परिवार के इस्तेमाल में आती है। यह बात आप हरियाणा के किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में जाकर देख सकते हैं। सिनेमा घरों में चले जाइये। सरकारी वाहन आपको वहां खडे मिलेंगे। आप सब्जी मंडी में चले जायें। वहां पर सरकारी वाहन खडे होते हैं। जब पब्लिक स्कूल या अंग्रेजी स्कूल शुरू होते हैं या उनकी छुट्टी होती है, उस समय सरकारी वाहन अफसरों के बच्चों को लाने–लें–जाने

के लिये वहां खड़े होते है। इतना दुरुपयोग सरकारी वाहनो का हो रहा है जो एक चिन्ता का विषय है। हिन्दुस्तान में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह साबित हुआ कि देश में जो पैट्रोल और डीजल की खपत है, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा सरकारी वाहनों पर खर्व होता है। सरकारी वाहनों पर यह उपयोग नहीं होता, बल्कि दुरुपयोग होता है।

Mr. Speaker : Including Army.

श्री रघु यादवः जी हां। सैंट्रल तथा स्टेट गवर्नमैटस के ऐडमिनिस्ट्रेशन गर जो देश की कुल खपत का 70 प्रतिशत पैट्रोल प्रयोग होता है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। केन्द्रीय सरकार जब पैट्रोल की कीमत बढ़ाती है तो यह कह कर बढाती हैं कि हम पैट्रोल की खपत को कम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की नीयत पैट्रोल की खपत कम करने की है, तो उसे सरकारी वाहनों में कमी करनी चाहिए और सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर चौक रखना चाहिए। आज हरियाणा में यह देखने को मिलता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की कोई चर्चा कें लिए चण्डीगढ में मीटिंग होती है तो तमाम सीग एम० ओज० की की कारे चण्डीगढ़ में जमा हो जाती हैं। इसी तरह से दूसरे विभागों का हात है। अगर पुलिस विभाग की मीटिंग चण्डीगढ में होती है तो सैकड़ों पुलिस की कारें चण्डीगढ़ में इक्ट्ठी हो जाती हैं और अगर उपायुक्तों की मीटिंग होती है या जिलों के दूसरे अफसरों की मीटिंग होती है तो भी सैकड़ों कारें चण्डीगढ में इक्ट्ठी हो

जाती हैं जबकि हर क्षेत्र से चण्डीगढ के लिए वसें रवाना होती हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या उपायुक्त या दूसरे अफसरों के लिए यह जरूरी है कि नारनौल और सिरसा से विभाग की कारों में ही सफर करें। वे हरियाणा परिवहन की बस में बड़ी आसानी से आ सकते हैं और जितना टी० ए० बनता है, उसे ले सकते हैं। स्पीकर साहब, सरकार मे अनावश्यक रूप से अधिकारियों को वाहन दे रखे है और अधिकारी मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करते हैं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि सरकारी अधिकारियों को जो वाहन दे रखे हैं उन वाहनों को तुरन्त वापिस ले त्रिया जाए और वाहन अधिकारियों को न दिए जाएं बल्कि विभाग को दिए जाएं। जब किसी उच्च अधिकारी को मुआयने के लिए किसी क्षेत्र में जाना हो तो वह पहले वहां के विभागीय कार्यालय को एक पत्र लिख कर सूचित करे और वहां वह विभाग की जीप से क्षेत्र का दौरा करे। अफसरों को गाड़ियां देने से पैट्रोल और वाहनीं का दुरुपयोग होता है। हमारी सरकार पैट्रोल की कीमत बढ़ाती है जिससे सरकारी वाहनों के दुरुपयोग की सजा निजी वाहन वालों को भुगतनी पडती है। जितना दुरुपयोग हमारे यहां सरकारी वाहनों और पैट्रोल का होता है उतना शायद कहो नही होता। स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ में ऐसे सरकार अधिकारी मौजूद है जिनके पास दो–दो, तीन–तीन सरकारी वाहन हैं क्योंकि उनके खास दो तीन विभाग हैं। विभाग का एक वाहन वे इस्तेमाल करते हैं और देसरे वाहन का उनके परिवार वाले इस्तेमाल करते है। स्पीकर साहब, इस समय हरियाणा में भंयकर सूखा पड़ा हुआ है। हम

केन्द्र से मदद माग रहे हैं, राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए सोच रहे है और साथ ही अपने खर्चों में कमी करने के बारे में सोच–विचार कर रहे हैं। ऐसे समय में भी वाहनों का और पैट्रोल का दुरुपयोग हो रहा है जोकि नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मासिक सौ रुपया जमा कराके एक अधिकारी पांच सौ किलोमीटर तक सरकारी गाड़ी का निजी कार्यों के लिए हर महीने प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बीस पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक अधिकारी सरकारी वाहन का मनमाने ढग से निजी काम के लिए उपयोग कर सकता है। स्पीकर साहब, यह अन्याय है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह से सरकारी वाहन आबंटित न करें। उनको वापिस लिया जाए। जहां पर इन वाहनों का देना जरूरी नहीं है, वहां न दिए जाए और इनका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको तत्काल रोका जाए। जो गाड़ी सिनेमा हाल पर खड़ी मिल जाए, सिनेमा हाल पर इन्तजार करती मिल जाए या सिनेमा हाल पर रुकी हुई मिल जाए उसे पकड़ा जाए।

श्री अध्यक्षः आप तीन बार सिनेमा हाल रिपीट कर चुके हैं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष्र महोदय, मैंने तो तीन–चार और पांच कर सिनेमा हाल रिपीट किया है लेकिन सरकारी वाहन तो दिन में कई–कई बार कभी सिनेमा हाल पर, कभी शराब के ठेके पर और कभी सब्जी मण्डी मे और कभी स्कूल में दिखाई देते है।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकारी वाहन शराब के ठेकों पर भी देखे गए हैं। मेरी वित्त मन्त्री महोदय से रिक्वैस्ट है कि वे फ्लाइंग सक्वैड बनाए। ये सक्वैड सभी जिला मुख्यालयों तथा सभी तहसील मुख्यालयों पर बनाई जाएं। ये सक्वैड यह देखें कि अगर कहीं पर किसी सरकारी वाहन का निजी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है तौ उसको बन्द किया जाए। अगर किसी अधिकारी की सरकारी कार या जीप निजी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे पकड़ा जाए, उस वाहन को रोक कर उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से ग्रस्त कार्यवाही की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ, मैं वित्त मन्त्री महोदय जी ने यह अनुरोध करूंगा कि सरकारी अधिकारियों को वाहन अपने निजी यूज के लिए न दिए जाएं और केवल निरीक्षणों के लिये ही कार्यक्षेत्रों में जीपे दी जाएं और इन सरकारी वाहनों का सैर सपाटे के लिये इस्तेमाल न होने दिया जाए। सरकार की ओर से फ्लाईग सक्वैड छोड़ कर जिन सरकारी वाहनों का सब्जी मंडियों और स्कूलों में आने–जाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, उस को रोका जार। ऐसे अधिकारियों को पकड़ा जाए जिन के द्वारा वाहनों का दुरुपयोग किया जाता है। इसके साथ–साथ सामान्य प्रशासन पर एक–दों बातें और कहूगा। जब भी कोई अफसर नौकरी पर लगता है या प्रमोट होता है तो उसे अच्छे वेतनमान दिये जाते हैं और साथ में एक सरकारी वाहन भी उसकी सुविधा के लिये सरकारी डियूटी के लिये दिया जाता है। इसके साथ– साथ जैसे हिन्दुस्तान में दहेज कीं कुप्रथा है, प्रथा के

मुताबिक उन अफसरो को साथ में नौकर भी दिये जाते है जिनको वे अधिकरी सरकारी डियूटी लेने की बजाये अपने घरों में खाना पकाने के लिये और सफाई वगैरह करवाने के लिये उययोग करते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिये उन नौकरों को ये आगे साथ रखने है। इस बारे में एक–दो उदाहरण यहां हाउस मैं देना चाहता है। सरकार चाहे तो उसकी जांच करवा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के एक अधिकारी हैं, ... वे काफी दिन रिवाडी में रहे। अब शायद राव साहब के वन मंत्रालय सम्भालने के बाद रिवाडी से वे .तबदील हो गये हैं। (व्यावधान व शोर)

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि किसी अधिकारी का यह पर नाम न लिया जाए तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है किसी अधिकारी का नाम यहां न लिया जाए। उसका नाम रिकार्ड न किया जाए।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेता। एक अधिकारी वन विभाग में है, दूसरा सिंचाई विभाग का है। मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं लूगा पर उनके साथ जो सरकारी नौकर है, उनका नाम तो लूगा ही। जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ एक नौकर है बेचारा, जिसका नाम है भगवत। जब भी

वे अधिकारी इधर–उधर होते हैं तो वे उसे भी पीछे–पीछे ही रखते है जैसे कि दहेज में कार या अलमारी मिली हो। इसी तरह से एक नहर विभाग का अधिकारी है उसको ऐक्सीयन बने काफी अर्सा हो गया है और उसके पास दो नौकर रामसुख और ज्ञान बहादुर नाम के हैं, बिनको वे अपने निजी कामों के लिये इस्तेमाल करते हैं।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, अभी उप मुख्य मन्त्री महोदय ने भी कहा कि यहां पर किसी अधिकारी का नाम न लिया जाए। जो इस हाउस का सदस्य नहीं है उसका यहां पर नाम न लेकर जनरल बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाए, तो बेहतर है। क्योंकि जो हमारा रूल्ज औफ प्रोसीजर है उसमें भी इस तरह का संकेत है कि जो अपने आप को यहां पर डिफैड न कर सके, उसका नाम न लिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः मन्त्री महोदय ने जो फरमाया है वह बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा रुल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 201 में लिखा है कि–

"The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy under lying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion."

इसलिये रघु यादव जी, आप कृपया इस रूल का भी ध्यान रखें। आप जिस डिमांड पर वोल रहे हैं उसका नम्बर और अमाऊट बताए।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, इस जनरल प्रशासन की डिमांड में पूरी डिमांड आ जाती है। कोई डिमांड इससे बची नही रह जाती है।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिए। मिस्टर यादव आप डिमांड का नम्बर बता कर बोलें।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक चरित्र हो ही जाता है कि सरकार में आने के बाद और मंत्री बनने के बाद, चाहे जैसा भी दूषित प्रशासन हो, जिसका सरकार से कोई मतलव नहीं है, प्रशासन में जो भी कोई कमी हो उसको भी दबाने या छुपाने की कोशिश की जाती है। ..... (शोर)

श्री उपाध्यक्षः यह बात जो इन्होंने काली भेड़ों के बारे में कही है, रिकार्ड पर न लाई जाए।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम नही लूंगा। वह सिंचाई विभाग में ऐक्सीयन शै और उसके दो लडके सेवा कर रहे हैं। उन लड़कों को दो हजार रुपए महीना के हिसाव से जनता की कमाई से सरकारी खजाने से मिलता है लेकिन वे लड़के सिंचाई विभाग की सेवा नही कर रहे। वे उस अधिकारी की सेवा करते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं सामान्य प्रशासन की

मांग पर बोलते हुए आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन अधिकारियों के घरों पर फलाइंग सकम्वैड से छापे मरवाएं और यह देखें कि उन दोनों लड़कों को, जो पिछले 6 महीने के दौरान तनख्वाह मिली हे, वह कहां से मिली हैं? अगर उनको वेतन उन अधिकारियों की निजी पौकेट से नहीं मिला है, सरकारी कोष से मिला है तो उन अधिकारियों को सस्पैड करके, वह सारा पैसा उनसे वसूल किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में एक मांग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित आई है। इस विभाग का चार्ज श्रीमती सुषमा स्वराज ने सम्भाला हुआ है जिसके कारण इस विभाग में एक नया जोश देखने में आया है। सुषमा जी, इस विभाग को सुधारना चाहती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह महकमा सिविल सप्लाई नही है बल्कि यह करप्ट सप्लाई है। इस महकमे में भ्रष्ट वितरण है। उपाध्यक्ष महोदय जगह– जगह पर राशन के डिपू हे और उनके लिए ए० एफ० एस० ओ० और डी० एफ० एस० ओ० नियुक्त हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो डिपू–होल्डर्ज हैं, जिनको जनता में अनाज, चीनी, तेल बांटना है, जब वे एर० एफ० एस० ओ० के पास गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, पाम आयल, मिट्टी का तेल या चीनी लेने जाते हैं, तो उनसे 6 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से ए० एफ० एस० ओ सेवा कर ले लेता है और अपनी जेब में रख लेता है, उसका कहीं भी हिसाब नही दिखाता है। सारे ही हरियाणा में ऐसा होता है। आप किसी भी डिपू होल्डर से बात कररू लें। आप को वह सारी बात बता देगा। डिपू होल्डर्ज से ए० एफ० एस० ओ०

गेहूं आबटित करते समय 6 रुपए प्रति बोरी के हिसाब मे सेवा कर ले लेते हैं और वे कहते हैं कि हम तुम्हरी मात्र 6 रुपए में सेवा कर रहे हैं। जब कोई डिपू होल्डर एफ० सी० आई० के गोदाम में गेहूं की बोरी लेने कैं लिए जाता है तो वहा पर उससे 2 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से सेवा कर लिया जाता है और तीन किलो गेहूं कम दी जाती है। 100 किलो गेहूं की बोरी देनी चाहिए लेकिन दी जाती है 97 किलो गेहूं की बोरी। इस तरह से डिपू होल्डर को तीन किलो गेहूं कम मिला और उससे 6 रुपए प्रति बोरी एक जगह ते लिए और दो रुपए दूसरी जगह पर ले लिए। इस तरह से डिपू होल्डर को अपनी जेब से 15 या 16 रुपए देने के बाद बोरी मिलती है। इसी तरह से चावल की बोरी की बात है। एक ए० एफ० एस० ओ० द्वारा डिपू होल्डर से प्रति बोरी 5 रुपए सेवा कर ले लिया जाता है.। इसी तरह से कनफैड जो चावल देता है वह 2 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से सेवा कर ले लेता है और दो किलो चावल ले लेता है। इसी तरह से जो पाम आयल का टीन मिलता है उसका 10 रुपए प्रति टीन के हिसाब से सेवा कर ले लिया जाता णै और यह 10 रुपए, जैसे–जैसे बाजार में पाम आयत की ब्लैक बढ़ती है, वैसे–वैसे 12, 15, 16 रुपए होते चले जाते हैं।

Mr. Deputy Speaker : You are again speaking on policy matter. You should confine yourself to the Demand.

Shri Raghu Yadav : It is not a policy matter. It is corruption.यह सरकार चुकि इसी मंच पर भी कह चुकी है कि

इसने भ्रष्टाचार बन्द और बिजली पानी का प्रबंध करना है इमलिए मैं यह कह रहा हूं।

Mr. Deputy Speaker : Mr. Yadav, kindly speak on Demands for grants.

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य डिमान्डज फार ग्रान्टस पर ही बोरा रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने पर भी खर्ची हुआ है

श्री रधु यादवः उपाध्यश महोदय, यह गलत प्रथा पड़ी हुई है और काफी समय से, कांग्रेस के जमाने से, यह सिलसिला चला आ रहा है और यह अब भी जारी है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक ए० एफ० एस० ओं० पैसे खाता है, कनफैड और एफ० सी० आई० वाले पैसा खाते है तो उस तरफ इशारा करने में क्या हर्ज है? क्योंकि जो पैसा खर्च हो गया उसके बारे में ये अनुपूरक मांगे आई हैं। हम उस खर्चे को स्वीकार कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। मैं उसका समर्थन ही कर रहा हूं क्योंकि मैं सतारूढ़ लोकदल का सदस्य होने के नाते इसको अपोज भी नहीं कर सकता। मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय मिट्टी के तेल पर डिपू वालों से महकमे वाले 15 पैसे प्रति लीटर पैसे लेते हैं और मिट्टी का तेल सीधा पैट्रोल पम्प वालों को टे– देते हैं। इस प्रकार से पैट्रोल पम्पों पर जो डीजल बेचा जाता है उसमें भी पैट्रोल पम्प वाले मिट्टी का तेल मिला कर बेचते हैं। इसी प्रकार से चीनी की बोरी

पर भी 10 रुपये प्रति बोरी लिए जाते हैं। देहात में तो चीनी पहुंचती ही नहीं है। पाम आयल पर भी 10 रुपये प्रति टीन लिए जाते हैं। इनी प्रकार से आटे और चावल की जो बोरी होती है उस पर भी 15 से 18 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से डिपू वालों से पैसे लिए जाते हैं। मेरे कहने का मतला यह है कि जब वितरण प्रणाली ही भ्रष्ट होगी तो डिपू वाले लोगों को कैसे पूरा सामान उचित मूल्य पर, सुची मूल्य में दिए गए रेट पर दे पायेंगे? (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं?

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नं०14 पर बोल रहा हूं। मैं एक बात और नोटिस में लाना चाहता हूं। विभाग वाले जो ईटें खरीदते हैं, वे सी क्लास की सरकारी कार्य के लिए खरीदते है और उन्हें दिखाते ए क्लास की है। इसी वजह से बिल्डिगें और यूरल बगैरह गिर जाते है। Sir, this Civil Supply Department has become a corrupt supply department and it must be ensured that corruption is curbed from this department. चौधरी देवी लाल जी ने योग्यता के आधार पर मंत्रिमण्डल क्य दुबारा गठन किया है और अब उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसी हमें आशा है। उपाध्यध महोदय, डी०एफ०एस०ओ० या ए०एफ०एस०ओ० डिपू वालों से मिले रहते हैं। इन्होंने मिलीभगत से ही जनता को लूटने का एक सिस्टम बनाया हुआ है। रिवाड़ी में एक सज्जन हैं। वे हमारी पार्टी के नेता होने का दावा भी करते हैं। उनके पास फर्जी नाम से कई डिपू

हैं। यदि किसी एक आदमी के नाम से उसके पास डिपू हैं और वह मर जाता है तो उस डिपू पर आने वाली सप्लाई को अपने ही दूसरे डिपू पर डाइवर्ट करवा लेता है। यदि दूसरे के साथ भी कोई घटना घट जाये तो उसकी भी सप्लाई जो उसके दूसरे डिपू है उन पर करवा लेता है। मैं उस का नाम तो यहां पर लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम लेने से मना किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके डिपुओं पर चण्डीगढ़ से रेड हुआ था। जब यहां से छापा डाला गया तो उसके एक डिपू में गेहूं का एक दाना भी नही पाया गया। जब दूसरे डिपू पर छापा डाला गया तो उसका भी हिसाब–किताब ठीक नही पाया गया। अब उसके तीनों डिपुओं की सप्ताई एक डिपू पर आ रही है। इसलिए उस पर कोई असर पड़ा नही। यह हो इसलिए रहा है क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी में प्रभाव रखता है। मैं जानना चाहता हुं कि जब पहले की तीनों डिपू की सप्लाई उसे अब एक डिपू पर मिल रही है तो उसे क्या फर्क पड़ा और छापे मारने से सरकार को क्या फायदा हुआ? यह बात मेरी समझ में नही आती। मैं चाहता हूं कि सिविल सप्लाई महकमे. की जो वितरण प्रणाली है, इसको बदला जाये। जो अधिकारी गलत काम करते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। (घन्टी)उपाध्यक्ष महोदय, आप चू कि घन्टी बजा रहे हैं, इसलिए मैं अब ज्यादा न कहते हुए बैठ जाता हूं और बजट पर बोलते हुए मैं अपनी सारी बातें कहने की कोशिश करूंगा, धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक मांगें सदन में पेश की गई हैं, उनपर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं मांग संख्या 8 जो भवन तथा सड्कों के संबंध में हैं, पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इस सरकार को अभी बने हुए 9 महीने ही हुए हैं। अब तक जो कमियां रही हैं उनके बारे में सारा दोष पिछली सरकार पर जाता है। परन्तु जो कमियां रह गई हैं, उनकी जानकारी मैं आपके जरिए सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। सड्कों के बारे में पिछली सरकार ने यह बताया था कि हरियाणा में आज ऐसा कोई गांव नहीं जिसको सड़क से जोड़ा नहीं गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनको सड्कों से जोड़ा नहीं गया है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि ये ढाणिया है। इनका नाम तो ढाणियां दे दिया गया है लेकिन असल में ये बहुत बडे गांव हैं। यहां पर ढाणिया इतनी बड़ी हैं कि एक–एक ढानी में पांच–पांच सौ घर हैं और 1000–1200 वोटस हैं परन्तु उन ढाणियों को सड़क से नहीं जोड़ा गया है। विशेषकर मैं अपने हल्के के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। नारनौल जिले में दताल गांव है। वहां पर एक ढानी जजबा है जिसमें 300 परिवार रहते है। वहां पर बरसात में जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर पांच सात ऊंगल बारिश हो जाए तो रास्ते का पता नही चलता। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे सूचना देनी पड़ती है कि फलां आदमी आया हुआ है तब जाकर उसे रास्ता बताया जाता है। इस

प्रकार से जहां– जहां पर प्रोब्लम गांव है, जहां आने–जाने का कोई साधन नहीं है उनके लिए तो सड़क बनाई जानी चाहिए। इस सड़क के लिए कई बार ऐंस्टिमेट बना और कई बार मली वहां गए लेकिन वह सड़क नहीं बनी। आश्वासन तो देकर आए हैं लेकिन आज तुक सड़क नहीं बनी। इसी प्रकार राव साहब का हल्का है। वहां पर दरसू गांव से बास गांव पड़ता है। वहां पर भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहां पर जाने के लिए कच्चा रास्ता भी ठीक नही है। इस प्रकार अनेक छोटी–छोटी ढाणियां हैं जो नांगल चौधरी के आस–पास बसी हुई हैं। वहां पर सड्कों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बायल गांव का बौर्डर तक आधा किलोमीटर का टुकड़ा बनना है, लेकिन उसके बनाने का कभी विचार नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर नौ के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। यह डिमान्ड शिक्षा के बारे में है। आप जानते हैं कि वास्तव में शिक्षा का फितना महत्व है। आप भली प्रकार जानते है कि प्राईमरी ऐजुकेशन ही शिक्षा का आधार है। वहीं से सारी शिक्षा का निर्माण होता है। शिक्षा का आधार मजबूत बनाने के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा का आधार ठीक न होने के कारण ही नकल का प्रभाव पड़ने लगा है। हर विद्यार्थी नकल करने की सोचने लगा है। प्राईमरी ऐजुकेशन ही मुख्य आधार हें। प्रारम्भिक ज्ञान होना बहुत जरुरी है। पहले स्वर और व्यंजन ही नहीं सिखाए जाते हैं तो आगे कैसे सही ज्ञान

होगा। प्राईमरी क्लासों में इन सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। आपके जरिए एक और बात भी कहना चाहता हूं कि शहरों में प्राईमरी –स्कूलों के ऐसे कमरे मिलेगे जिसमें बच्चे ठीक प्रकार से बैठ भी नहीं सकते। कमरा एक मिलेगा तो पांच अव्यापक मिलेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उल्ट है,। अध्यापक एक मिलेगा तो कक्षाएं पांच मिलेंगी। मेरे जिले में आज भी अनेक ऐसे स्कूल हें जहां पर केवल एक अध्यापक है। अगर किसी अध्यापक को थोडा सा काम हो जाए या उसे ब्याह शादी में जाना पड़े तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जिन स्कूलों में केवल एक अध्यापक है, वहां पर कम से कम दो अध्यापक होने चाहिएं। आज अनेक प्राइमरी स्कूल नारनोल नगर में ऐसे हैं, जहां पर एक–एक कमरा है बाकी बच्चे किसी पेड के नीचे बैठते हैं। थोड़ी सी बरसात हो जाए या धूप ज्यादा हो जाए तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। सरकार पैसा जरुर खर्च कर रही है परन्तु ऐजुकेशन पर विशेष ध्यान नही दिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राईमरी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राईवेट स्कूल इसलिए ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टाट नही हैं और ब्लैक बोर्ड, चाक आदि की भी व्यवस्था नही है। इसलिए इन बातों की ओर विशेष ध्यान होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमान्ड नं. 15 जो सिंचाई विभाग से सम्बन्ध रखती है, के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। सिंचाई मन्त्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। मैंने अपने भाषण में

उनका धन्यवाद किया था। मैंने कहा था कि हमने पहली बार यानि जिला महेन्द्रगढ़ के लोगों ने यह अनुभव किया है कि हम भी हरियाणा का हिस्सा हैं। महेन्द्रगढ़ के लोगों को पहली बार पानी मिला है। जिस–जिस क्षेत्र में पानी चला गया या जिस–जिस किसान की जमीन में पानी मिल गया है, उसकी फसल अच्छी होनी स्वाभाविक है। वे किसान बड़े खुश हैं लेकिन जो पड़ौस का किसान है, जिस की जमीन में नहर का पानी नहीं गया, वह बड़ा दुःखी है। पड़ौसी किसान के खेत में तो गेहूं और सरसों पैदा हो गई है लेकिन मेरे खेत में पानी न आने से कुछ भी पैदा नहीं हुआ। मैं आपके जरिए आदरणीय मन्त्री श्री वीरेन्द्र सिंह जी से कहूंगा कि मेरे जिले महेन्द्रगढ़ में नारनौल तक सारी नहर बनी हुई है और पम्प हाउस भी बने हुए हैं लेकिन उन पम्प हाउसिज को बिजली का कनैक्शन नहीं मिला है। पानी लिफ्ट हो कर बिल्कुल बौर्डर तक नहीं जाता है। इसलिए नारनौल हल्के के और नांगल चौधरी के बुआल आदि गांवों का सारा क्षेत्र पानी से वंचित रह जाता है। अगर उन लोगों को भी पानी मिल जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। जहां बाकी किसानों ने सुखे का सामना किया है तो वे किसान भी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। वह भी अपने दों–चार किल्लो में गेहूं या अनाज पैदा कर सकते है

उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नं० 16 के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जिला महेन्द्रगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज तक वहां कोई बड़ा उद्योग

नहीं लगा। दो चार उद्योग यदि लगाए भी गए हैं तो वे पिछड़े क्षेत्र होने का लाभ उठा कर जी० टी० रोड पर केवल धारुहेड़ा क्षेत्र में लगाए गए हैं। लेकिन वास्तव में ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र में जैसे कि नारनौल, महेन्द्रगढ़ शहर और अटेली के आस–पास का जो पिछले हुआ क्षेत्र हैं, वहा पर आज तक कोई ऐसा कारखाना नहीं लगा जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये के लगभग हो। परन्तु इसके बावजूद भी पिछले दिनों हमें पता चला कि पहले इण्डस्ट्रियल लोन पर सबसिडी का रेट जो 15 प्रतिशत होता था अब उसको कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया और इस तरह इस एरिया को बी श्रेणी से ए श्रेणी में ले आए। वास्तव में आज भी नारनौल में ऐसा कोई बड़ा उद्योग नही है जिसकी लागत 50 लाख रुपये हो। इसके बावजूद सबसिडी का जो रेट पहले था, वह भी कम कर दिया गया है। इस कारण बावल के आस–पास जी० टी० रोड के पास जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर लोग उद्योग लगाने के लिए पहुंचते हैं। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को लाईसैन्स दे ने से पहले पिछडा हुआ विशेष एरिया बताया जाना चाहिए जहां वास्तव में रोजगार के साधन उपलब्ध नही हैं। जहां आज तक कोई उद्योग नही लगा, वही पर उद्योग लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी पिछड़ापन दूर हो सकेगा। किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के पीछे यही मन्शा होती है कि उस क्षेत्र का विकास किया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन हो उल्टा रहा है। पिछड़े क्षेत्र की जो सबसिडी मिलती है, लोग उसका लाभ उठा लेते है लेकिन उस पिछड़े क्षेत्र

को जो लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इसी तरह मेरे इलाके में कुछ अच्छी खाने हैं परन्तु आज तक उन खानों का उपयोग नहीं हुआ। लाईम स्टोन, संगमरमर का पत्थर और स्लेट का पत्थर मेरे जिले में वहुत मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह एरिया हरियाणा मिनरल्स कार्पोरेशन ने ऐक्वायर किया हुआ है। जितना भण्डार यहाँ पर उपलब्ध है, उसको निकालने का अनुपात बहुत ही कम है और जिस अनुपात में आज निकाला जा रहा है उस अनुपात के हिसाब से आने वाले 300 साल तक भी हम इस माता का उपयोग नही कर सकेंगे। हरियाणा मिनरल्ज कार्पोरेशन यदि इस भन्डार का उपयोग नहीं कर सकती तो मेरा सुझाव है कि छोटे–छोटे लाट बना कर लोगों को दे दिए जाएं ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके। इस तरह सरकार को पैसा भी अधिक मिलेगा और लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिल सकता है। इसलिए उसका दोबारा सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि यह सही–सही पता लग सके कि इस एरिया में कितने मिनरल्ज हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है। आज तक हम कितना उपयोग कर पाए हैं और इस काम को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। लाईम स्टोन बहुत बड़ी माता में हमारे एरिया में मिलता है लेकिन उसका उपयोग बहुत कम हो रहा है और उसको निकालने की माला बहुत लिमिटिड है। इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक स्कीम हमारे यहा चल रही है जो बेरोजगार

नौजवानों को सैल्फ एम्पलायमैंन्ट देने के बारे मे हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत नौजवानों को उद्योग लगाने का अवसर दिया जाता है उपाध्यक्ष महोदय यह अव्यवहारिक योजना है। पहली बात यह है कि इस योजना के अन्तर्गत जो राशि रखी गई है, वह बहुत ही कम है। इस राशि से न तो कोई फैक्टरी ढंग से लग सकती है और यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से फैक्टरी सैट–अप कर भी लेता है तो उसके पास रा–मैटिरियल के लिए पैसा नहीं। अगर कही से रा–मैटिरियल की व्यवस्था करके थोड़ा–बहुत सामान बनाने की कोशिश करता भी है तो उसके लिए मार्किट नही होती। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाए ताकि यह स्कीम लाभदायक सिद्ध हो सके। अगर बेरोजगार नौजवान पहली बार ही अपने प्रयत्न में हताश और निराश हो जाएंगे तो वे जीवन में सफलता प्राप्त नही कर सकेगे। इसलिए यह जो राशि सैल्फ ऐम्पलायमैंट के लिए रखी है, वह बढ़ाई जानी चाहिए यद्यपि यह योजना केन्द्र सरकार की है तथापि इसमें कुछ सहायता अपनी प्रदेश सरकार की तरफ से भी हो जाए तो ठीक रहेगा। इस तरह एक अच्छी राशि दी जा सकती है, भले ही बैनिफिशरीज की मात्रा कुछ कम कर दें और 100 लोगो को सैट करने की बजाए 50 लोगों को सैट किया जाए। जिन लोगों के लिए योजना बनाई जाती है उन्हें उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। कन्क्रीट योजना बनाकर उनके दैयार शुदा माल के लिए मार्किटिंग की व्यवस्था की जाए। यदि हम सारी व्यवस्था कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से नौजवानों का भला हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद आपके माध्यम से मैं समाज–कल्याण विभाग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी सरकार ने हरियाणा में वृद्धावस्था पैशन देने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। 65 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, जब उनके पास पैंशन पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें यह महसूस होने लगता है कि हरियाणा के खजाने मे उनका भी कोई हिस्सा है। लेकिन एक और समस्या पैंशन के मामले में देखने में आई है और वह विधवा पैंशन के बारे में है। वे बिधवाएं जिन्हें विधवा पैंशन मिल रही है, पिछले कुछ समय से न जाने उन्हें वक्त पर पैशन क्यों नही मिल रही। दूसरे, इस प्रकार की पैशन के लिए जो ऐप्लिकेशन्ज आती हैं, उन पर भी ठीक प्रकार से विचार नहीं होता और बहुत लम्बे समय तक तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही रखा जाता है,। काफी समय के बाद चण्डीगढ़ भेजी जाती हैं और दो–दो साल तक प्रार्थी को जवाब नहीं मिल पाता। मेरा सुझाव है कि जब हम इतनी कल्याणकारी योजना पर खर्च कर रहे हैं तो इसको सुधारना चाहिए। कई बार सुझाव आए हैं कि मनीआर्डर की बड़ी प्रौबल्म है। आज किसी भी पोस्ट मास्टर से आप बात करें। वह कहता है कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम है। अगर हम अतिरिक्त स्टाफ मांगते हैं तो उसकी अनुमति नहीं मिलती इसलिए सरकार को इस काम के लिए अपनी मशीनरी का इन्तजाम करना चाहिए। ओल्ड एज पैन्शन के साथ–साथ विकलांग तथा विधवा पैन्शन भी समय पर जानी चाहिए। उनको राशि भी अभी 50– 60 रुपए मिलती है जबकि ओल्ड एज पैन्शन सौ रुपया

महीना है इसलिये इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि उनको भी सौ रुपए महीना दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 14 पर मेरे साथी ने बडे विस्तार से बात कही है। इसमें तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हू कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। यद्यपि आम साधारण व्यक्ति का इस विभाग से रोजाना वास्ता पड़ता है लेकिन कुछ लोगों को पिछली आदतें पड़ी हुई हैं जिनको सुधारने में समय लगेगा। हमारे नौ महीनों के प्रयत्न के बावजूद भी कुछ ऐसी रिवायतें पड़ी हुई है जो भ्रष्टाचार का रूप ले रही हैं। कई बार हमारी कीमतें ऊंची नीची हो जाती है। अगर कोई चीज एक दुकानदार पांच रुपए किल्लो देता है तो उसे समझा कर उसका रेट हम चार रुपए किल्लो करवा सकते हैं। परन्तु ये जो फूड इन्सपैक्टर हैं, ये डिपो होल्डर से 4–5 रुपये एक बोरी गेहूं के पीछे लेते हैं। गांव में पूरी गेहूं नहीं पहुंचती। इसका कारण यह है कि जो डिपो होल्डर बोरी के पीछे 4– 5 रुपए कमीशन देकर आएगा वह ईमादारी से गेहुं का वितरण नहीं कर सकता। या तो वह ब्लैक में बेचेगा या उस को बेच कर घटिया गेहूं गांव में लेकर आएगा। इसलिए इस बात को भी चौक करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त गावों में जो चीनी जाती है वह किसी भी महीने 25 तारीख से पहले नहीं जाती। डिपो होल्डर इस महीने की चीनी अगले महीने में बांटते हैं। इस प्रकार से साल में एक महीने की चीनी की वे ईमानदारी से हेराफेरी कर जाते है। शहरों में डिपोज

के अन्दर 2– 3 तारीख को चीनी आ जाती है। क्योंकि इस विभाग का आम जनता से सम्पर्क पड़ता है इसलिए इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं० 9 शिक्षा के बारे में हैं। मैं इस पर पहले बोल चुका हूं लेकिन इस बारे में एक बात रह गई थी। नारनौल में एक पौलिटैकनिक कालेज की नींव रखी गई थी। किसी टाईम कोई राजनैतिक ड्रामा किया गया था। ठीक है, उस समय यह–चुनावी वायदा था। परन्तु क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और अब तक महेन्द्रगढ जिले में कोई ऐसी संस्था नहीं है इसलिए इस पर गौर करने का कष्ट करें। जहां इस संस्था की नींव रखी गई थी, उस पर सरकार ने कुछ पैसा भी खर्च किया है। इसलिए पुरानी धारणा को छोड़ कर, इसको बनाने की कोशिश की जाए। अब तक उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहां पर न कोई ला–कालेज है और न ही पौलिटैकनिक है। इसके साथ–साथ हमारी एक गर्ल्ज कालेज की भी बहुत देर से मांग चली आ रही हे। नारनौल में एक कालेज है जहां विद्यार्थियों की संख्या 600 है वहां पर लड़कियों के लिए अलग भवन बना हुआ है। परन्तु स्टाफ अलग नही भेजा गया है। प्रिंसिपल की. वहां अलग से व्यवस्था नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि गर्ल्ज कालेज के लिए अलग से स्टाफ भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्षः आप अपनी बात न कहे, बल्कि डिमांड के बारे में बात कहें।

श्री कैलाश चन्द शर्माः मैं शिक्षा की मांग पर बोल रहा हूं और शिक्षा के बारे में ही बात कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था उतना नहीं हुआ।

श्री बनारसी दास गुप्ताः एक बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों को यह विदित ही है कि अभी जनरल बजट पर बहस होनी है। उसमें हर विधायक को अपनी बात कहने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। उस समय ये हर विभाग के बारे में, हर बात के बारे में बता सकते हुं। आज तो अनुपूरक मागें सदन के समक्ष हैं। जिस बात के लिये हमारा खर्चा बढ़ा है और हमने माँगा है, उसी खर्चे के बारे में यदि माननीय सदस्य बोलें कि जो खर्चा है, वह ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, यह उचित मांगा है या नहीं है तो अच्छा रहेगा। जनरल बजट पर जब बहस होगी, उस वक्त ये बड़े विस्तार से अपने हल्के की या अपने क्षेत्र की सभी बातें कह सकते हैं। उस समय वे विभाग की आलोचना भी कर सकते हैं और सारी बात कह सकते हैं। उस समय बड़ा खुला मौका मिलेगा। माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे अपने आपको इन मांगों तक ही सीमित रखें और हमने बजट से बढ़कर जो खर्चा मांगा है,

उसकी नुक्ताचीनी करें और यह बताएं कि यह सही मांग है या नहीं।

श्री उपाध्यक्षः जैसे गुप्ता जी ने कहा है, सही मायने में इसी बात पर और इसी तरह डिस्कशन होनी चाहिए। यदि कहीं. पर पैसा खर्च हुआ है तो आप बताएं कि वह मिस–यूटेलाईज हुआ है या उसमें फिजूलखर्ची हुई है। कृपया इस ढंग से आप बोलें।

श्री कैलाश चन्द शर्माः उपाध्यक्ष, महोदय मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वास्तव में प्राथमिकता क्या पहले होनी चाहिये। जो सरकार को पैसा खर्च करना है, वह पहले किस चीज पर खर्च करना चाहिये। पहले मौज–मस्ती पर खर्च करना चाहिये या शिक्षा के किस क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। (व्यवधान व शोर)

श्री उपाध्यक्षः आप इसका जिक्र करें कि इसमें पैसा कैसे मौज–मस्ती पर खर्च हुआ है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, बात ऐसे है कि डिमांड नं० 9 ऐजुकेशन से सम्बन्धित जरूर है लेकिन किस बात के लिये पैसा मांगा गया है, अपनी बात को उस तक ही सीमित रखता चाहिये।

श्री कैलाश चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि अगर गर्ल्ज कालेज के लिये मांग करनी पड़ती है, तो वह की जाये और शिक्षा के लिये वैसे ही पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। मैं यह बात आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में

लाना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं और चूंकि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदय ने लगभग 271.36 करोड़ रुपये की कुल अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं। उन मांगों मे अधिकतर, जैसे कि पहले चर्चा हुई है, जो रूटीन का खर्चा है, वह शामिल है। ऐम्पलाईज को, जो नया वेतन आयोग था, उसकी सिफारिशों को स्वीकार करके नये वेतन दिये गये हैं। उनका ज्यादातर खर्चा है। इसके अलावा कुछ दूसरे खर्चे भी हैं। इन खर्चों के बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। शिक्षा के वारे में 41.29 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यह मांग नम्बर 9 है। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुसार हमारे देश हिन्दुस्तान में आजादी के बाद कुछ डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज दिये गये हैं। उनमें यह दिया हुआ है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये अवश्य सुविधा दी जायेगी। यह बड़े ही अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आजादी से पहले जो निरक्षरता थी, वह कम नही हुई। जो शिक्षितों का प्रतिशत था, उसमें कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है। इससे यह जाहिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें अब तक असफल रही हैं। उन असफलताओं को किस प्रकार से सफल बनाया जाये, इसके लिये इस नयी सरकार ने इन अनुपूरक मांगों

में ब्लैक बोर्ड आपरेशन स्कीम के तहत भारत सरकार से कुछ रकम लेनी थी। गांव के प्राईमरी स्कूलों के लिये विशेष रूप से क्योंकि ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता होती है इसलिये हरियाणा सरकार ने उसमें और सहायता लेने के लिये और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिये और अनुपूरक मांगें पेश की हैं। मैं यह समझता हूं कि देर आयद दरुस्त आयद। यह जो पैसा खर्च किया गया है इसके लिये जो अनुपूरक मांगें पेश की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि यह बहुत ही उचित और ठीक बात के लिये प्रोविजन किया गया है। अगर ठीक प्रकार से शुरू से ही ऐसी शिक्षा नीति का पालन किया जाता और जो बच्चे स्कूलों में नही जा सके हैं, उसके कारणों में जाकर उन लोगों के लिये कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाता जिससे कि वह अपने बच्चों को स्कूलों मे भेज पाते, तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसी के कारण आज चालीस सारन आजाद होने के बाद भी प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जारी रखा जा रहा है। इसको मैं दुर्भाग्य ही, मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रौढ़ शिक्षा को फौड शिक्षा कहा जाता है। अगर स्कूल शिक्षा की तरफ पूरी तरह ध्यान दिया जाता तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं रहती और अब भी अगर पूरी तरह से स्कूली शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए तो भविष्य में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगा। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि प्राईमरी शिक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल शिक्षा पर जहां बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है

वहां कालेज और यूनिवर्सिटी शिक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 1966 से लेकर 1977– 78 तक कालेज और यूनिवर्सिटी में ऐडहौइज्म बहुत चलता रहा। उस वक्त कोई भी टीचर रैगूलर ऐम्पलायमैंट में नही था। चौधरी देवी लाल ने 1977 में आकर इसमें सुधार किया। उस वक्त अध्यापक ऐडहौक बेलिज पर थे। उनको इंक्रीमैंट नहीं मिलती थी। 340 दिन पर उनको रखा जाता था। 240 दिन पूरे होने के बाद उनको फिर ऐक्सटैशन दी जाती थी। ऐसे सभी अध्यापकों को रैगुलर किया था जिनकी संख्या 12 हजार से अधिक थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी बहुत सी शिक्षा संस्थाएं हैं, जहां ऐडहौक बेसिज पर अध्यापक रखे जाते है। उनको रैगुलर बेसिज पर रखा जाना चाहिए लेकिन उनको नहीं रखा जाता। सरकार ने अब एक अच्छा काम किया है कि एस० एस० एस० बोर्ड को कुछ अध्यापकों के चयन के लिए लिखा है। मेरा कहना है कि उनका जल्दी चयन किया जाए जिस्से कि रै–गुलर अध्यापक लगाए जा सकें। सरकार से मेरी एक और प्रार्थना भी है कि जिन अध्यापकों को 240 दिन हो गए हैं और वे ऐडहौक पर लगे हुए है उनको रैगुलर कर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल या कालेज के स्तर पर ही ऐडहौकइज्म नही थी बल्कि वाइस चांसलर तक ऐडहौक लगाए जाते रहे है। मेरा कहना यह है कि जिन तरह से एग्रीक्लचर यूनिवसिंटी, हिसार में एक योग्य वाइस चांसलर लगाया है, उसी तरह रोहतक यूनिवर्सिटी में भी लगाया जाना चाहिए और यह वाइस चांसलर रैगुलर बेसिज पर लगाया जाना चाहिए जिससे कि यूनिवर्सिटी का काम ठीक प्रकार

से चल सके। जिस तरह सै ऐजुकेशन डिपार्टमैंट ने नकल रोकने के लिए नियम बनाए हैं और ऐसा करने से हरियाणा के बच्चों का बहुत ही भला होगा उसी तरह से यूनिवर्सिटीज में भी रैगुलर वाइस चांसलर लगाने के लिए नियम बनाए जाए जिससे यूनिवर्सिटी स्टुडैंट्स का कुछ भला हो सके। यहां पर ऐसे–ऐसे वाइस चांसलर लगते रहे जो अपने चहेतों के गल्त नम्बर लगाते रहे और दूसरे गल्त काम करते रहे। इसी कारण से उनके खिलाफ मुकद्दमे दायर किए गए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यूनिवर्सिटी मैं रैगुलर बेसिन पर वाइस चांसलर लगाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी आया है कि सरकार प्राईवेट शिक्षा इंस्टीच्यूशंज के घाटे को पूरा करने के लिए 95 प्रतिशत ग्रांट देती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लाभ भी वही प्राईवेट ऐजुकेशन इस्टीच्यूशंज उठा पाते हैं जिनके पास अच्छे साधन है। जिनके पास पहले पेमैंट करने के लिए साधन नही है, वे इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। जो कमजोर संस्थाएं हैं, जिनके पास पहले पेमैंट करने के लिए पैसा नहीं है, वे इनका फायदा उठाने में असमर्थ हैं। वे बोगस बिल बनवाते हैं और बोगस पेमैंट करके ही इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि मोड औफ पेमैंट इस प्रकार का किया जाए कि जितना घाटा हो, वह पूरा किया जांए। जितना घाटा है वह अगले साल में शामिल कर लिया जाए। मोड औफ पेमैंट में सुधार किया जाए जिससे 95 परसैंट ग्रांट दी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्राईवेट स्कूलज और कालेजिज के टीचर्ज के बारे में कुछेक बातें यहां रखना चाहता हूं। उनकी हालात बहुत खस्ता है। उनके प्रमोशन के चासिज बड़े ही सीमित होते हैं और सैलरी वगैरह का भी कोई खास प्रबन्ध नही होता इसलिए उनको बड़ी–बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौधरी देवी लाल जी की पिछली सरकार ने काफी कुछ किया शायद यह 30 मई या जून 1979 की बात है। उस समय इसमें सुधार लाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में उस वक्त मैं शिक्षा मन्त्री के तौर पर, फाइनैन्स मिनिस्टर, फाइनैन्स सेक्रेटरी और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के इलावा प्राइवेट स्कूल्ज और कालेजिज के प्रतिनिधि शामिल किये गये थे। उस वक्त हरियाणा सरकार ने स्कूल टीचर्ज की दशा सुधारने के लिये काफी ठोस कदम उठाये थे। उस वक्त इस समस्या के हल के लिये कई पैमाने तय किये गये थे लेकिन पता नहीं उसके बाद वे बातें सिरे नहीं चढ़ सकीं। इसलिए मेरा इसरू सरकार से निवेदन है कि प्राईवेट स्कूल्ज व कालेज टीचर्ज की बहबूदी के लिये कोई ठोस कदम उठाए जाएं। जो–जो बातें उस समिति द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिये तय की गई थीं अगर उनको लागू कर दिया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है।

अब सरकार ने जो टीचर्ज के वेतनमान बढ़ा दिये है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो पहले टीचर्ज को ग्रामीण भत्ता दिया जाता

था, उसको अब सरकार ने सभी ऐम्पलाईज के लिए हाउस रैन्ट में कंवर्ट कर दिया है। यह ठीक नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और दोनों भत्ते ऐम्पलाईज को मिलने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कांग्रेसी सरकार थी, यह स्टेट का दिवालिया निकाल कर चली गई थी लेकिन चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने अपनी योग्यता के आधार पर जो गाड़ी पहले डिरेल्ड हो गई थी उसको अब लाईन पर लाने की पूरी कोशिश की है और ठीक लाईन पर ले आये है। पहले हरियाणा राज्य का बुरा हाल था। सरकार अपने ऐम्पलाईज का तनख्वाह भी नही दे सकती थी। अब स्थिति काफी सुधरी है। इसके लिए देवी ताल जी की सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए, थोड़ी है। इसलिए मेरी इस योग्य सरकार से प्रार्थना है कि शिक्षा की ओर खास तवज्जह दी जाए ताकि हरियाणा की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ सके। टीचर्ज को पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके इलावा मोती लाल नेहरू और कमला नेहरू स्कूल्ज जो राई के अन्दर हैं, के लिए भी अलग से कुछ पैसे की मांग गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन संस्थाओं ने प्रदेश के लोगों की बड़ी सेवा की है। लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इन स्कूल्ज और दूसरे आम स्कूलों की ओर देखें तो आपको आसमान

और पाताल का अन्तर भी कम दिखाई देगा। इन पब्लिक स्कूलों में एक बच्चे के ऊपर सालाना लगभग 7000 रुपया खर्च आता है जबकि दूसरे स्कूलों में एक बच्चे के ऊपर लगभग 125 रुपये मुश्किल से वेतन समेत साल का खर्चा आता है। जो कौमन सरकारी स्कूल हैं, उनमें शायद अध्यापकों की तनख्वाह के अलावा 2 या 3 प्रतिशत से अधिक पैसा नहीं लग पाता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रावधान किया जाए कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टाट खरीदने पर, ब्लैक बोर्ड या दूसरी चीजें मुहैया करवाने पर यह पैसा खर्च किया जाए ऐसी चीजें सभी स्कूलों में बच्चों को नही मिल पाई हैं। बच्चों के लिए बैठने के लिए स्कूलों की पूरी बिल्डिग नही है। जब तक सरकार स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए अच्छी तरह से बिल्डिग का सबन्ध नहीं करेगी और उनको बैठने के लिए टाट वगैरह मुहैया नही करेगी या दूसरी चीजें नहीं देगी तब तक हमारे प्रदेश में शिक्षा का मूल रूप से सुधार नहीं हो सकता। जिस देश या प्रदेश में बच्चों की शिक्षा का सुधार नहीं होगा उस प्रदेश या देश या समाज का भला नहीं हो सकता है। इसके बाद मैं मांग सं० 13 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो सोशल वैल्फेयर एण्ड रीहैब्लीटेशन के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा था। उस पर जो खर्च किया गया है उस बारे में यह अनुपूरक मांग हे। वैसे तो यह पैसा धार्मिक स्थान पर खर्च किया गया है लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें लोगों को गुमराह करने की भी बात है। लोगों को गलत रास्ते पर डालने की बात है और

लोगों को अंधेरे में डालने की बात है क्योंकि इस मेले में अधिकारियों पर अनाप–शनाप खर्च किया गया है। इस मेले में 66. 73 लाख रुपये खर्च किए गए हैं जोकि मैं समझता हूं कि उचित नही है। यह पैसा प्लांड तरीके से खर्च नहीं किया गया यह सारा पैसा हैंफेजर्डली तरीके से खर्च किया गया यह ठीक बात है कि कुरूक्षेत्र केवल हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि सारी दुनियां के लिए एक ऐतिहासिक स्थान है इसलिए उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए पैसा खर्च किया जाना चाहिए लेकिन इसके साथ–साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से वहां पर गलत तरीके से पैसा खर्च किया गया, वह नहीं होना चाहिए था। वह पैसा जिस काम के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, उस काम पर खर्च नहीं किया गया। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 17 के बारे में भी अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जोकि एग्रीकल्चर से सम्बन्धित है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को 4 करोड़ रुपये ऐग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदने के लिए पहले दिए थे और 87.56 लाख रुपयें लघु तथा सीमांत किसानों को सूखा राहत स्कीम के तहत चारा बोने के लिए सहायता दी थी। हरियाणा सरकार ने यह ठीक समझा कि यह पैसा उन लधु और सीमांत किसानों को उनके पशुओं के लिए चारा खरीदने के लिए दे दिया जाए क्योंकि चारा बोने के लिए उन किसानों के पास या तो पानी की उपलब्धि नहीं हो पायेगी या दूसरे साधन नही हो पाएंगे।

इसलिए हरियाणा सरकार ने यह पैसा सभी किसानों पर खर्च कर दिया। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार नही किया। इसलिए हरियाणा सरकार ने जो पैसा खर्च कर दिया था या उस पैसे को खर्च करने की प्रपोजल बना दी थी उसके लिए हरियाणा सरकार के पास बजट का प्रावधान करने के अलावा दूसरा कोई चारा नही रह गया था। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और यह पैसा स्वीकार किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हिन्दुस्तान के अन्दर हरियाणा प्रदेश ने कृषि के जरिये काफी तरक्की की है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, अभी भी हरियाणा प्रदेश प्रति एकड़ पैदावार के लिहाज से पंजाब से 25 प्रतिशत कम है। पैदावार को किस प्रकार से अधिक किया जाए उसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को अनेक साधन जुटाए है। किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार ने बीज निगम की स्थापना की हुई है और किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए हैफेड की स्थपना की हुई है।

12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, देखने वाली बात यह है कि किसानों को बीज देने के लिए, खाद देने के लिए या भूमि सुधार के लिए जो सबसिडी केन्द्रीय सरकार की तरफ से दी जानी थी या राज्य सरकार की तरफ से दी जानी थी, वह किसान तक ठीक पहुंची है या नही। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बीज निगम का संबंध हैं,

उसके बारे में भी मैं, आपके ध्यान मे कुछ बातें लाना चाहूंगा। यह बात समझ में नहीं आती कि बीज निगम हर बीज पर मुनाफा कमाने के बावजूद भी घाटे में जा रही है। कितना मुनाफा बीज निगम एक बीज पर ले रही है, वह भी मैं बताना चाहूंगा। गेहूं की ऐक्चूअल प्राईस 166 रुपये पर क्विंटल है लेकिन बीज निगम जिस से भी गेहूं का बीज खरीदता है उसे 50 रुपये अधिक देकर 216 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ले लेता है। लेकिन किसान को वही बीज बाद में 385 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बीज निगम बेचता है। इसमें 25 परसैंट सबसिडी जरूर दी जा रही है। यह बीज भी उन्हीं लोगों से लिया जाता है जिनका प्रशासन में या राजनीति में दबाव है। ऐसे व्यक्ति ही अपना गेहू बीज निगम को बेचते रहे हैं और किसानों के साथ धोखा होता रहा है। मुझे भरोसा है कि हमारी इस सरकार के आने के पश्चात् अब किसानों के साथ धोखा नहीं होगा। दूसरे मायनों में गेहूं के बीज के बारे में यह कहा जा सकता है कि 385 रुपये के भाव पर ये बीज किसानों को देते हैं और 169 रुपये किवंटल के हिसाब से बीज निगम गेहूं के बीज पर मुनाफा कमा रहा है। इसके बावजूद भी वह निगम घाटे मैं जा रहा है यह बात समझ में नहीं आती। इसी प्रकार से सरसों का बीज पहले 400– 450 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेचा गया। बाद में 1600 रुपये का भाव हो गया तो 1600 रुपये के हिसाब से बीज बेचा गया। इसके अलावा डी० आर० डी० ए० के तहत जो गिनी–किट दो–दो किलो के छोटे किसानों के लिए फ्री बाटे गये थे उसकी कीमत 1775 रुपये लगाई

गई। चने का बीज भी 810 रुपये 55 पैसे पर क्विंटल के हिसाब से बेचा गया। यह बात समझ नही आती कि हर बीज पर मुनाफा कमाने के बावजूद भी बीज निगम घाटे में जा रहा है। इतना प्रौफिट तो पिछले जमाने में जो सूदखोर मुनाफा लेते थे वे भी नही कमा पाते थे। अब मैं चाहता हू कि हमारी यह सरकार जो किसानों की भलाई के लिए है, कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करे जिससे किसानों को भी फायदा पहुंचे और जो इस निगम में घाटा हो रहा है उसमें भी सुधार किया जाये ताकि किसानों को अच्छा बीज मिल सके। इसके साथ–साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद के बारे में कहना चाहूंगा। बाद के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार की गलत नीति शुरु से ही रही हए। इस बारे में मुझे यह कहते हुए भी कोई खेद नही है कि केन्द्रीय सरकार पूंजीपतियो की पोषक सरकार है। केन्द्रीय सरकार ने जो प्राईवेट कम्पनियाँ खाद बनाती हैं, उनको खाद के लिए इस साल 2200 करोड़ रुपये सबसिडी के तौर पर दिए हैं। पिछले वर्ष इनको 1900 करोड़ रुपये सबसिडी के रूप में दिए गए ये। कारखानेदार को एक कट्टे पर 227 रुपये 50 पैसे मिलते है। 117 रुपये 50 पैसे में तो बह अपने खाद के कट्टे को मार्किट में बेचता है और 110 रुपये पर कट्टें के हिसाब से सबसिडी केन्द्रीय सरकार खाद बनाने वाले कारखाने को देती है। खाद के एक कट्टे की कौस्ट औफ प्रोडक्शन मुश्किल से 70– 80 रुपये बैठती है। पिछले दिनों एजेंसीज के पास काफी मात्रा में खाद इकट्ठा हो गया। गवर्नमैंट ने उस खाद को 25 परसैट सबसिडी देकर मार्किट में बेचा। हैफड ने पहले सितम्बर, 1987

तक यूरिया खाद को 92 रुपये कट्टे के हिसाब से बेचा। वही एरिया बाद में नवम्बर में 88 रुपये 25 पैसे 25 प्रतिशत सबसिडी दे कर बेचा। ऐसा करने से किसान को केवल 3 रुपये 75 पैसे का लाभ मिला। जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जिनके खाद के कारखाने हैं उन्हे 227 रुपये 50 पैसे कीमत मिली। किसान के पल्ले कुछ नही पडा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को हरियाणा सरकार ऐप्रोच करे कि किसान के लाभ को जो पूंजीपति और निगम वाले खा जाते हैं वह खत्म हो और आगे के लिए सरकार इस तरफ छगन रखे ताकि यह सारा लाभ किसान को मिले।

इसके साथ ही मैं माग नम्बर 21 पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मांग की गई है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत सारे का सारा पैसा हरियाणा सरकार को जुटाना पड़ा। इसमें खास तौर पर आगन वाड़ी का कार्यक्रम था। आप जानते हैं कि किस प्रकार से उन छोटे बच्चों को जो खाने का सामान दिया जाता है, वह सामान उन स्कूलों तक नहीं पहुंचता है। वह सामान दूर–दूर से ही गायब हो जाता है। उन केन्द्रों तक नहीं पहुंचता है। थोड़ा बहुत सामान पहुंचता है। जिनके जिम्मे सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी है वे अब तक सोते रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अब कोई ऐसा कार्यक्रम या उपाय किया जाये कि वह सामान उन बच्चों और पेरैन्ट्स तक पहुंच जाये ताकि आने वाले समय में हिन्दुस्तान के होनहार बच्चे अच्छे नागरिक बन कर निकले। इसके

साथ–साथ विकास निर्माण कार्यक्रम के लिए भी मांग पेश की गई है जिसके तहत विद्यालय भवनों के लिए और दूसरे कार्यक्रम के लिए पैसा मांगा गया है। यह बिल्कुल उचित है और इसके लिए जो हरियाणा सरकार ने फैसला किया है यह बहुत अच्छा किया है। जिस प्रकार से चुनाव मैं जनता का सहयोग लिया था उसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने निर्माण कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लिया है। हरियाणा सरकार मैचिंग ग्रान्ट दे कर विकास के कार्यक्रम चला रही है। ऐसा करने से हरियाणा का जो बजट बहुत घाटे में चला गया था, उस को काफी फर्क पडेगा। सरकार के कामकाज को ठीक प्रकार से चलाने के लिए यह कारगर उपाय किया गया है। इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से चुकि रुपया आया है इसलिए हरियाणा सरकार को भी पैसे का प्रावधान करना पड़ा। पतले हरियाणा सरकार की तरफ से 337 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी लेकिन अब वह चू कि 515 लाख रुपया हो गया इसलिए हरियाणा सरकार को डेढ करोड़ रुपये का अनुपूरक मांगों में प्रबन्ध करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, एकीक्रत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या डी० आर० डी० ए० स्कीम के तहत गरीब और छोटे लोगों को ऊंट, रेहडा आदि खरीदने के लिए जो रकम दी जाती है, उसमें सबसिडी वगैरा भी दो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें पेमैंट थर्ड पार्टी को दी जाती है। गरीब आदमी को पांच हजार, सात हजार या दस हजार रुपये की

राशि ही मिलती है जिस में उसे सबसिडी दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत जो सबसिडी मिलती है, वह तीसरा आदमी ले जाता है क्योंकि खरीद दिखानी पड़ती है। खरीदने वाले के साथ महकमे का डाक्टर तथा अधिकारियों की एक टीम जाती है। गरीब आदमी को लोन लेने के लिए इन सबके चक्कर काटने पड़ते हैं। यह सिस्टम कांग्रेस राज मे कई साल से चलता आ रहा है और इस सिस्टम से कम–से–कम सबसिडी का पैसा तो खत्म हो ही जाता है क्योंकि खरीद मैं से डाक्टर, बैंक मैनेजर आदि अधिकारियों को पैसा देना पड़ता हैं। जो सबसिडी मिलती है, इस का पैसा तो इन्हीं लोगों में बंट जाता है, बेचारे गरीब किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए जोर डाला जाए कि जो पैसा ऊंट खरीदने के लिए या रैहडा खरीदने के लिए मिले, पम्प सैट खरीदने के लिए मिले और चाहे सप्रिकलर सैट खरीदने के लिए मिले, हर प्रकार का कर्जा सीधा सम्बन्धित व्यक्ति को ही मिले। जिसने कर्जा लेना है, पेमैंट उसी को मिलनी चाहिए। डिपार्टमैंट के अधिकारी यह चौक कर लें कि उसने वास्तव में सामान खरीद लिया है या नही। बिचौलियों के कारण गरीब आदमी को चक्कर काटने पड़ते हैं और जो लोग स्प्रिंकलर सैट लेते हैं, उनकी सबसिडी का सारा पैसा जाया ही चला जाता है परिणामस्वरूप किसान को सबसिडी का कोई लाभ नहीं पहुंच पाता।

श्री उपाध्यक्षः आर्य साहब अब आप बैठें, आप बहुत बोल चुके हैं। बाकी बातें जब बजट पर आपको समय मिलेगा, उस समय कह लेना।

श्री हीरा नन्द आर्यः बहुत अच्छा जी, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद असलम खां (छछरौली): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो अहम बात मैं कहना चाहता हूं, वह सूखे की है। इस साल सारे हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे देश में बड़ा जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है। सरकार ने इस भीषण सूखे को देखते हुए जितनी मदद किसानों की की है, वह बहुत कम है। इसके साथ ही साथ मैं इस बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहूंगा कि हमारा इलाका छछरौली है जो कि पहाड़ी इलाका है, जिसमे सिंचाई का कोई साधन नहीं है लेकिन इस इलाके को सूखा राहत योजना से बाहर रखा गया है जो कि निहायत बेइन्साफी की बात है। वहां लोगों के पास घास नहीं है, अनाज नहीं है। इसके इलावा उन्हें जो परेशानी उठानी पड़ती है, उसकी तरफ हरियाणा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कहीं कोई सुनवाई है। सारे हरियाणा के अन्दर यही एक मात ऐसी तहसील है जो सूखाग्रस्त घोषित नहीं की गई। इसके साथ ही साथ मैं सरकार की तवज्जह इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस इलाके को खुशहाल बनाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करे अन्यथा छछरौली तहसील अनाज से खाली रह जाएगी। बारिश इस बार

उतनी नही हुई जितनी होनी चाहिए थी। मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नम्बर– 4 के बारे मैं भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि वह ऐजुकेशन से सम्बन्धित है। आज पूरा देश और खासतौर पर हरियाणा राज्य ऐजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करने होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछडे इलाके हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें बहुत दूर–दूर तक स्कूल नहीं हैं। इस बजट में रखी राशि को बढ़ाया जाए ताकि उन गांवों में भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सके जहां आज तक स्कूल नहीं हैं। पहाडी इलाकों में हाई स्कूल भी बड़ी दूर–दूर पड़ते है। इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए यानी दस जमा दो प्रणाली लागू करने के लिए और राशि निर्धारित करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नम्बर– 10 पर बोलते हुए मैं कहूंगा कि इन्सान के लिए सेहत बहुत जरूरी है। एक कहावत है जान है तो जहान है। हमारे इलाके में अस्पतालों और डिम्पैसरियों की बहुत कमी है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बहुत कमी है। पहाड़ी इलाके में बाढ़ आ जाने की वजह से कई–कई दिन तक लोग अपने घरों से बाहर नही निकल सकते। ऐसे इलाकों में खासतौर पर ज्यादा डिस्पैसरियां बनाई जाएं। छछरौली के अस्पताल के लिए जो पैसा मन्जूर हुआ है, मैं चाहता हूं कि इससे सरकार इस अस्पताल का काम जल्दी–सें–जल्दी शुरू करवाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं 13 पर बोलते हुए मैं कहूंगा यह अच्छी बात है कि बूढे आदमियों को पैन्शन दी जाए। इस बारे में सरकार ने जो किया है, वह बहुत अच्छा कदम उठाया है। मगर उसमें एक खामी जरूर है। जो आदमी लखपति या करोड़पति है और जो 65 साल के हो गए हैं, उनको भी पैन्शन दी जा रही है। जहां किसी आदमी के पास सौ या पचास एकड जमीन है, उसे भी पैन्शन दी जा रही है। ऐसा कूरके पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इस पैसे को किसी और डिवैल्पमैंट के काम पर खर्च किया जा सकता था। बड़ी अजीव बात है कि अमीर आदमियों को भी पैन्शन दी जा रही है। इसकी स्पिरिट तो बहुत अच्छी है मेरा कहना है कि यह पैन्शन केवल गरीब आदमियों को ही दी जाए। मगर हम स्टेट का लाखों–करोड़ों रुपया अमीर आदमियों में बांट दें तो यह अच्छी स्पिरिट नहीं हो सकती। (विघ्न)इस बारे में कोई न कोई क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए (विघन)

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहव, मेरी एक अर्ज है कि आनरेबल मैम्बर अपनी मेडन स्पीच करु रहे हैं इसलिए दूसरे मैम्बर साहेबान इनको मत टोके। हमने तो उनको भी बोलने की इजाजत दी, जो लोग लिखा हुआ पढ़ रहे थे। इसलिए इन लोगों को इतनी बेचौनी नही होनी चाहिए।

जन स्वास्थ्य मत्री (श्री राम विलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट औफ आर्डर है। असलम खां जी ने शुरू में जो कहा, वह ठीक कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया

है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी करोड़पति को पैन्शन नहीं दी। इसमें शर्त है कि जो इन्कम टैक्स पेई है, वह इस पैन्शन के लिए ऐनटाइटल्ड नहीं है।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई मैम्बर इस सदन में मिस लीडिंग स्टेटमैंट भी दे सकता है। ओल्ड एज पैन्शन का जिक्र सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स की किताव में पेज 44 पर है। इन्होंने उसका केवल हैडिंग पढ़ लिया। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इंकम टैक्स पेई है, उसको यह प्रिविलिज नही होगा। तो इसमें करोड़पति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी तैयब हुसैनः मान लीजिए किसी के पास पांच सौ एकड जमीन है। वह इंकम टैक्स नही देता, वह तो इसमें आ ही जाएगा।

श्री मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त कल बड़ी मुश्किल से अपनी पार्टी के नये–नये नेता चुने गए हैं, इनको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अन्दर कोई पांच सौ एकड़ का जमीदार नहीं है, यहां पर लैड सीलिंग है।

श्री मोहम्मद असलम खांः डिप्टी स्पीकर साहब अब मैं डिमांड नं 15 के ऊपर बोलना चाहता हूं। हरियाणा के सिचाई के लिए पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। नहरें कम होने के कारण आज तक किसानों को सिंचाई की व्यवस्था पूरी नहीं मिली। जहां

तक एस० वाई०एल० का ताल्लुक है, आज से पहले कांग्रेस सरकार ने भी इस बारे में सैटर से बराबर मांग की है कि इस काम को जल्दी पूरा किया जाए। आज भी हम आपके साथ हैं कि यह काम जल्दी होना चाहिए। हम इस मामले में कभी भी आपसे पीछे नहीं रहेंगे। इे बारे मे हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है।

डिमांड नं 17 पर बोलते हुए में कहना चाहूंगा कि जमीदारों को ओला बरसने से जो चार सौ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया यह बहुत कम है। चार सौ रुपए तो कांग्रेस सरकार पहले से ही दे रही थी। क्योंकि चीजों के रेट बढ़ गए हैं इसलिए मुआवजा बढ़ाया जाए। जब आपके पास पैसे पड़े हैं तो क्यों नहीं बांट रहे? (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः औन ए प्वायंट औफ आर्डर, सर उपाध्यक्ष जी असलम खां जी जो 400 रुपये के मुआवजे की बात कह रहे है इसके बारे में निवेदन है कि आप भी पिछले सदन में थे और मैं भी था। बजट के समय में उन्हेने कुछ प्रोविजन किया था। मुआवजा देने के लिये 3 करोड़ रुपये की राशि थी, जो वह नहीं दे सके थे जबकि वह राशि उन्होंने बजट में रखी थी। (व्यवधान व शोर) Sir he is making a wrong statement (व्यवधान व शोर).

श्री तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात अर्ज करूंगा। यह जो राम बिलास जी ने कहा है, उस बारे में पोजीशन

यह है कि 12 करोड़ पिछले साल का और 3 करोड़ रुपया उससे पिछले साल का रह रहा है। 15 करोड़ स्मये की राशि थी। बदकिस्मती से ओले पड गये थे। उसके लिये मदद की गयी थी। पता नही क्या बात है और इनको क्या परेशानी है? (व्यवधान व शोर)

श्री राम बिलास शर्माः ओले 1979–80 में पड़े थे और मुआवजा 5 साल के बाद बंटा है। (व्यवधान व शोर)

श्री मोहम्मद असलम खांः मैं आपकी बुराई नही कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा है कि जो 4000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया है, यह वहुत थोड़ा है। आज की मंहगाई को देखते हुए, अनाज के भाव बढ़ गये हैं, सूखे की वजह से जमींदार वहुत परेशान हैं। बड़ी मुश्किल से किसान फसल को अपने घर तक लेकर पहुंचा सका है। अगर उसको ज्यादा मुआवजा देते तो अच्छा होता। .... (व्यवधान व शोर)

श्री महा सिंहः औन ए प्वायंट औफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, असलम खां जी ने यह कहा है कि 400 रुपये का मुआवजा कम है। मैं अपने काबिल दोस्त से यह कहूगा कि वे प्रधान मंत्री को कहकर सूखे का और रुपया दिलवा दें हम और दे देंगे। 400 रुपया तो चौधरी देवी लाल ने अपने फंडज में से दिया है लेकिन वह और दिलवा दें तो शायद हम 400 रुपया और दे सकें।.. (व्यवधान व शोर)

श्री मोहम्मद असलम खांः यह बात ठीक है कि जितना सैंटर देगा, उतना ही फायदा है। हम तो कह देंगे। हमारी जबान पर ताला नहीं है। (व्यवधान व शोर)यह बहुत अच्छी बात है। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से सम्बन्धित मैं एक बात कहना चाहता हूं। स्टेट ऐग्रीकल्चर मार्किटींग बोर्ड के तहत बहुत सारी सहूलियतें दी जा रही हैं। हम भी और आप भी देख रहे होंगे कि जहां तक अनाज मंडियों का ताल्लुक है, इस बारे में बहुत विस्तार सारे हरियाणा में हो रहा है। मगर बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि छछरौली का प्रिंसीपल यार्ड ही अभी तक नहीं बना है। दूसरे सब–सैटंर्ज और परचेज सैटंर्ज बने हुए हैं लेकिन आज तक प्रिंसीपल यार्ड नहीं बन सका है। (विघन)हम उस वक्त सरकार में नहीं थे। हम सरकार से काफी दूर थे। मैं आशा करता हूं कि ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब, हरियाणा में एक ही ऐसा प्रिंसीपल यार्ड है जो अभी तक नहीं बना है, हमारी सरकार ने मंजूर कर दिया था, उसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें।

डिप्टी स्पीकर महोदय, इस बारे मैं डिमांड नं० 25 पर बोलना चाहूंगा। सुबह जब इन मांगों पर चर्चा शुरू हुई तो डाक्टर मंगल सैन जी ने यह कहा कि कांग्रेस वालों ने एतराज किया था कि कर्जे माफ नहीं हो सकते। मगर इसमें तो कर्जे माफ करने वाली बात नहीं है। मैंने जो पढ़ा है उस के अनुसार 10 करोड़ रुपया जो इसमें पेज 66 पर रखा गया है, वह कोआप्रेटिव बैंक्स को दिया जा रहा है ताकि वह आगे जमींदारों को लोन दे सकें।

कर्जे माफी वाली बात मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आयी। गुप्ता जी ने भी और मंगल सैन जी ने भी यह बात कही है। लेकिन जो कुछ मेंने पढ़ा है, वह यही है कि जमींदारों को कर्जा देने के लिये सहूलियतें दी जा रही हें ताकि ट्यूबवैल के लिये या दूसरे डिवैल्पमैट के कामों के लिये कर्जा दिया जा सके। कर्जे माफी का कम से कम इन सप्लीमैंट्रीज के अन्दर तो जिक्र नहीं है। इतनी बात कहते हुए मैं समाप्त करता हूं और आपका मैं बहत मशकूर हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 13 पर जो सोशल वैल्फेयर एण्ड रिहैब्लीटेशन के बारे में है, कुछ कहना चाहता हूं। इसमें दो चीजें हैं। एक तो बेसहारा और विधवाओं की फाइनेंशियल असिस्टैंस तथा पैन्शन और नम्बर दो जनरल ओल्ड एज पैन्शन। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि वर्ष 1987– 88 में 6 लाख 30 हजार लोगों को ओल्ड एज पैन्शन देनी है। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक तो 31 अक्तूबर 1987 तक पैन्शन दी गई है। सौ रुपए के हिसाब से साढ़े नौ महीने के लिए 59 करोड़ 85 लाख रुपया पैन्शन का बनता है लेकिन डिमाण्ड 30 करोड़ 85 लाख 37 हजार की रखी है। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के जो पांच महीने हैं, उनकी पैन्शन नहीं दी जाएगो। जो यह फैसला किया गया है कि तीन महीने बाद पैन्शन दी जाएगी उसके मुताबिक अक्तूबर तक की पैन्शन अब दी जा रही है। अक्तूबर के बाद पांच महीने बाकी बचते हैं उनकी

पैन्शन कैसे देनी है यह नहीं पता। इससे तो ऐसा लगता है कि उनकी पैन्शन नहीं मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विडोज और बेसहारा स्त्रियों को इमदाद देने का सवाल है, 1986–87 तक 13438 को कवर करना है और एक हजार 1987–88 में और हो जाएंगे लेकिन इनके लिए इन्होंने 56,85,000.00 रुपया रखा है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी तक इनको पैन्शन नहीं दी गई है।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं कुरूक्षेत्र फेयर जो कुरूक्षेत्र में सूरज ग्रहण के मौके पर हुआ, के बारे में कहना चाहता हूं। पहला मेला 23– 9– 1987 को हुआ और दूसरा मेला अब उसी रैवेन्यू ईयर में हुआ। जो पहला मेला था, उसमें छः लाख 73 हजार रुपया खर्च हुआ और इस मेले में साठ लाख रुपय. खर्च हुआ। यह नो–दस गुणा खर्चा कैसे हो गया जबकि मेला पहले से कम लगा। इसलिए खर्चा कर्म आना चाहिए था।

तीसरी बात मैं कम्युनिटी डिवैल्पमैट के बारे में कहना चाहता हूं। यह 21 नम्बर डिमाण्ड है और इसके लिए एक साल में 5.8 करोड रुपया खर्च करना है। यह बहुत अच्छी बात है कि इस रुपए से गांव की गलियां बनेंगी, स्कूल की बिल्डिंग्ज बनेंगी, सड़कें बनेंगी, पंचायत घर बनेंगे और लोगों को ऐम्पलाएमैट मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर यह रुपया खर्च होता है और यह सारे का सारा रुपया सोशल वैलफेयर आफिसर और बी०डी०ओज० के हाथ में दे दिया जाता है। उन्हीं का इस पैसे पर कन्ट्रोल होता

है। चाहे काम के बदले में अनाज की स्कीम है, चाहे गलियां पक्की करने का काम है और चाहे? और कोई दूसरा डिवैलपमैंट का काम है, इन कामों में बहुत करप्शन होता है। मुके वह बात याद है कि रघु यादव ने एक मीटिंग में पूछा कि कितने जोहड़ों में पानी दिया गया है। यह एक एम० एल०ए० का पूछने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि हर ब्लौक के अन्दर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैसा ठीक इस्तेमाल हो।

श्री रघु यादवः मुझे जवाब ही नहीं दिया गया और जो दावा किया गया था वह भी गलत था।

श्री हरनाम सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता का पैसा होता है और सदन इस पैसे को पास करता है। औफिसर्ज ऐक्सिक्युटिग मशीन हैं, न कि मालिक हैं। असल में उनको मालिक बनाया हुआ है। मैं कहता हूं कि वे मालिक नहीं हैं। मालिक सदन है। औफिसर्ज को मालिक नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा की जनता मालिक है। जनता के कंट्रोल में पैसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर उस पैसे पर जनता का कंट्रोल रहे, तो डिवैल्पमैंट के कामों में हो रहे, करप्शन पर काफी कंट्रोल किया जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं० 3 पर बोलना चाहता हूं। यह डिमांड होम की है और इसमें 2055 हैड हैं जो पुलिस के बारे में है। इसमें 11 करोड रुपए की मांग की गई है। यह ठीक बात है कि मंहगाई के साथ उनकी तनखाह भी बढनी

चाहिए, उनको लेटैस्ट ट्रेनिंग भी देनी चाहिए लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस में सुधार बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने करप्शन और भ्रष्टाचार बन्द करने का नारा दिया है। दूसरे डिपाटंमैंट्स में जो इंस्पैक्टर्ज हैं, वे तो लोगों से गल्त काम कराकर या गल्त फार्म भरवाकर पैसा लेते हैं लेकिन पुलिस के जो इंस्पैक्टर्ज हैं, वे लोगों को पीटते भी हैं और गाली भी देते है और पैसा भी लेते हैं। इसलिए पुलिस वालों की खास तौर पर स्क्रिनिग होनी चाहिए। जो लोग करप्ट हैं और जो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, वे हमारी फोर्स में नही रहने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 6 मार्च को जगमलेरा हल्का रानियां जिला सिरसा में सामूहिक रूप से एक बलात्कार का केस हुआ और वहां के थानेदार ने दो दिन तक उस बहन का मैडीकल एग्जामिनेशन नही होने दिया और उल्टा उन लोगों के ऊपर 354 का केस बना दिया गया। ऐसे लोगों को, जो मुजरिमों के साथ, उनके संगीन जुर्मों के बावजूद भी, मिले हुए हैं, सर्विस में नहीं रहने देना चाहिए। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी स्क्रीर्निंग करके नौकरी से निकाल देना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। ऐसे कुरप्ट लोग लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां भी देते हैं और उनसे पैसा भी ऐंठते हैं। ज्यादा इसलिए मारते हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। ऐसे भ्रष्ट लोग समाज के नाम पर एक प्रकार का धब्बा हैं। मेरा कहने का मतलब यह है

कि पुलिस का विभाग लोगों के साथ इस तरह का गन्दा व्यवहार करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो फोर्थ –पे कमिशन की सिफारशो को मानते हुए सेवा निवृत कर्मचारियों की पैंशन 1– 1– 1988 से रिवाइज की है, वह ठीक नहीं किया। इनकी पैशन भी 1– 1– 1986 से रिवाइज होनी चाहिए थी जैसा कि सरकार ने दूसरे कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया है। सरकार ने तनख्वाह तो बढ़े हुए ग्रेडज के मुताबिक 1– 1–86 से दे दी है लेकिन पैंशन अब 1– 1–88 से नए बड़े हुए वेतनमानों के अनुसार देना चाहती है। यह उनके साथ बडी ज्याद तो है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पैन्शन भी पिछली डेट से ही मिलनी चाहिए जिस डेट से ग्रेड रिवाइज हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं एक बात और कह कर अपना स्थान लूंगा। मेरे आदरणीय भाई हीरानन्द आर्य जी ने बोलते हुए एडहाक ऐम्पलाईज के बारे में जो कहा, उनके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जितने भी एम्पलाइज एडहाक काम कर रहै है, उनको रैगुलर किया जाना चाहिए। ऐसा न करके उन बेचारों के साथ ऐक्सपलायटेशन करना है। काम तो हम उनसे पूरा लेते है जैसाकि दूसरे परमानैट एम्पलाईज से लिया जाता है और सुविधाएं और तनख्वाह उन जैसी हम नही देना चाहते। इस सरमायेदार सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए।

डन अलफाज के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हू।

श्री सरदूल सिंह (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी इन मांगों पर बोलते हुए कुछेक बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो मांगें हाउस के सामने रखी गई है वे जायज हैं। लेकिन जो काम हो रहे हैं, उनकी तरफ भी हैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर ऐसे ही खर्चा किया जाता रहा और उधर काम की तरफ कोई ध्यान न दिया गया तो यह रुपया बिल्कुल जाया हो जाएगा। मैं सबसे पहले मांग नम्बर 9 पर अपने विचार रखूंगा। मेरे सफीदों हल्के में माननीय शिक्षा मन्त्री जी किसी शादी में गये थे तो मैंने उन्हें वहां एक हायर सेकेन्डरी स्कूल की बिल्डिग दिखायी थी। उस इमारत को बने पांच–छः साल ही हुये है और आज उसकी हालत ऐसी ही है कि किसी समय भी वह गिर सकती है और अगर इस तरह से भारी रकम खर्चने के बावजूद भी इस तरह की इमारतों का निर्माण होगा तो इससे प्रदेश का नुकसान होगा। प्रदेश के पैसे का भी बड़ा भारी नुकसान होगा। सरकार को इस ओर खास तवज्जोह देनी चाहिये। इससे आगे एक और बात की तरफ सरकार का ग्यान दिलाऊगा कि जहां पर स्कूल की बिल्डिग है, रहा पर स्टाफ की कमी है। स्कूलों में स्टाफ की . कमी की वजह से बच्चों का काफी नुक्सान हो रहा है। और जब हम इसकी वजह पूछते हैं तो यह जवाब मिलता शै कि अभी तक पोस्ट ही नहीं आई है। स्कूल बन चुके

हैं, बच्चे दाखिल हैं लेकिन अध्यापक नही हैं। इस लिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे ताकि शिक्षा का प्रसार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 10 पर भी अपनी कुछ बाते रखना चाहता हूं। अगर किसी गांव में अस्पताल धै तो वहां पर बैडज नहीं हैं और न ही किसी किस्म की दवाइयों का ही इन्तजाम है, जिससे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के पास पूरा साजो–सामान रही है। इसलिये मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार इस ओर खास तवज्जोह दे। क्योंकि लोगों की भलाई. के लिये युत बड़ा जरूरी है कि हस्पतालों में हर तरह की सहूलियतें लोगों को मुहैया की जाए। गांव की बहबूदी के लिये सरकार का इस ओर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। हस्पतालों और डिस्पैंसरियों की तरफ पिछली सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। लोगों को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मांग संख्या 16 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। पिछली सरकार के समय में छोटी–छोटी फैक्ट्रियों के बारे में बहुत डिढोरा पीटा गया कि हम उनके लिए यह कर रहे हैं हम वह कर रहे हैं। लेकिन उस सरकार ने कुछ नही किया। उन फैक्ट्रियो को पूरी मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है। गांवों में छोटी–छोटी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए कोई लाइनमैन नहीं है तो मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर जो छोटी–छोटी फैक्ट्रियां है, वे बहुत अच्छी हैं।

यदि वे इस तरह से खत्म होंगी तो कैसे काम चल सकेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो गांवों के अन्दर छोटी–छोटी फैक्ट्रियां हैं उनकी तरफ ध्यान दें ताकि वे ठीक ढंग से चल सकें।

इसके बाद मैं मांग संख्या 17 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस बारे मे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सिंचाई तथा बिजली मंडी बधाई के पाल हैं जिन्होंने नहर की टेल पर पानी पहुंचा दिया है, जिससे किसान बहुत खुश है। लेकिन इसके साथ–साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नहरों पर जो बेलदार बगैरह होते हैं, उन्होंने किसानों को बहुत परेशान कर रखा है। यही नही नहरी महकमें का कोई भी कर्मचारी जो किसान के साथ लगता है, वह जाकर ओवरसियर को कह देता है कि फलां आदमी ने नहर में कट कर लिया। लेकिन वास्तव में किसी ने कट नहीं। किया हुआ होता है। फिर भी किसान के नाम पर टेलीग्राम दे दी जाती है। चाहे वह बेगुनाह है, उसको थाने में ते जाया जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि किसानों के खिलाफ जो इस तरह के टेलीग्राम दिए जाते हैं, उनके बारे में पहले पूरी तरह से विचार होना चाहिए। जो आदमी नहर में कट लगाता हो और सही आदमी हो, उसके खिलाफ बेशक कार्यवाही करें, लेकिन बेगुनाह किसानों के साथ इस तरह से नही किया जाना चाहिए। उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री शिव प्रसाद (अम्बाला शहर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मांग संख्या 5 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस डिमांड पर बोलते हुए मैं सरकार के ध्यान में कुछ बातें ताना चाहूंगा कि सरकार टैक्स कम करने के बारे में या टैक्स लगाने के बारे में जो घोषणाएं करती है, वह ठीक समय पर नही होती हैं। इस बारे में मैं एक सुझाव. देना चाहूंगा कि टैक्स कम करने के बारे में या टैक्स लगाने के बारे में जो घोषणाएं होती हैं, वे क्वार्टरली होनी चाहिए ताकि उससे व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके। जैसे अभी कुछ दिन पहले सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि बर्तनों या दूसरी चीजों पर टैक्स कम कर दिया गया है लेकिन उसकी नोटिफिकेशन 18 मार्च को की गई और यह कहा गया कि बिक्री कर जनवरी से कम होगा। मैं कहना चाहूंगा कि जो 1 जनवरी से लेकर 18 मार्च तक के बीच का पीरियड था, उसमें व्यापारियों को थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना तै कि इस बारे में नोटिफिकेशन क्वार्टरली होनी चाहिए ताकि व्यापारियों को सहूलियत रहे। इसके अलावा मै एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन व्यापारियों पर पांच हजार से ऊपर टैक्स लगता है, उनको अपील करने का अधिकार है और वे उसकी अपील ट्रिब्यूनल में करते हैं। लेकिन सारे हरियाणा में एक ही ट्रिब्यूनल है और उसमें एक आई०ए०एस० आफिसर नियुक्त शै। इस बारे में मेरा सुझाव है कि हरियाणा के अन्दर दो ट्रिब्यूनलज एक फरीदाबाद में और एक अम्बाला में नियुक्त किए

जाने चाहिएं ओर उनमें हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सेशन जज लगाया जाए, तो ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड न 15 पर बोलना चाहता हूं। अम्बाला जिले की कई तहसीलें ऐसी हैं जिनको बारिश होने से भी लाभ नहीं पहुंच पाता जैसे नारायणगढ़, छछरौली और कालका। जब बारिश होती है तो सारा पानी नीचे बह जाता है। वह इस लिए बह जाता है क्योंकि यह एरिया पहाड़ी एरिया है। इन तहसीलों का एरिया पथरीला और पहाड़ी होने की वजह से वहां पर टयूबवैल्ज भी कामयाब नहीं हो सकते। यदि कहीं लगाए भी जाते हैं तो वे काफी गहरे लगाए जाते हैं, जिन पर कौस्ट भी अधिक आती है। इस बारे में मेरा सरकार को एक सुझाव है और जो सुझाव मैं देने जा रहा हूं शायद गर्वनमेंट के विचाराधीन भी हो। जो नाले वहां से निकलते हैं, यदि वहां पर बांध बना दिया जाएं तो पानी के बहाब को रोका जा सकेगा और किसान उस पानी को बाद में इस्तेमाल भी कर सकेगा। दूसरे नालों के किनारों पर जो लोग बसे हुए हैं, वे भी उजड़ने से बच सकेंगे क्योंकि बाढ़ के दिनों में उन्हें भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चण्डीगढ से जाते समय अम्बाला जिला ही सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश होने के लिए पड़ता है। इसलिए मैं सिंचाई और बिजली मंत्री जी से अनुरोध करता खैर कि वे मेरी इस बात की तरफ अवश्य ध्यान दें। सूखे का असर अम्बाला जिला में भी कम नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 8 पर बोलना चाहता हूं। यहां पर कई बार जिकर हुआ है कि सभी गांवों को सडकों के साथ जोड़ दिया गया है। यहां पर भी जिकर हो चुका है कि मोरनी जैसे इलाकों में पड़ने वाले गांवों को कैसे सड़क से जोडा जाएगा, यह एक अच्छी बात है। लेकिन मैं यहा पर यह बात कहना चाहता हूं कि कुछ गांव सड्कों से तो जुड़े हुए हैं लेकिन यदि उन गांवों को दूसरे गांवों की सड्कों के साथ जोड़ दिया जाए तो उन गांवों के लोगों को जी० टी० रोड या दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के लिए 5 से 8 किलोमीटर तक का रास्ता कम हो सकता है। ऐसी दिक्कत दूसरे जिलों में भी होगी, यह मैं– मानता हू। मेरी कांस्टिचुऐंसी में गरनाला एक ऐसा गांव है। यदि वहां पर आधा या पौना किलोमीटर सड़क का टुकड़ा बना दिया जाए तो इस गांव के लोगों को अम्बाला कैन्ट जाने के लिए 6– 7 किलोमीटर के फासले से छुटकारा मिल सकता है। इसी प्रकार से मानकपुर और डडयानिया गांव हैं। मानक– पुर गांव की कुछ जमीन नाले के दूसरी तरफ पड़ती है। यदि उस नाले पर पुल बना दिया जाए तो उन लोगों को बरसात के दिनों में अपने खेतों में आने–जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और इस प्रकार से इनका 8– 9 किलोमीटर का रास्ता जी० टी० रोड तक कम हो सकता है। इसी प्रकार से देवी नगर से घेलरोड भी पौने किलोमीटर के करीब बना दी जाए तो उससे उन लोगों को जी० टी० रोड पर आने के लिए 7–8 किलोमीटर के फासले से छुटकारा मिल सकता है।

श्री उपाध्यक्षः मास्टर जी, आप तो काफी सीनियर मैम्बर हैं। आप बाद में बजट पर बोल लेना। आप समय का ध्यान रखें। क्योंकि अभी बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है।

श्री शिव प्रसादः बहुत अच्छा जी, मैं जल्दी ही खत्म कर दंगूा। मैं चाहूंगा कि जिन गांवों का जिकर मैंने किया है, वहां पर सड़कें अवश्य बनायी जायें ताकि लोगों को आने–जाने के फासले में काफी सुविधा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिए जाने के बारे में काफी ध्यान दिया है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। में पहले भी कह चुका हूं कि प्राईवेट स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को सरकार की तरफ से जो स्कूलों के लिए सहायता दी जाती है, वह उनको नही मिल पाती। इस संबंध में मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि जहां हम प्राईवेट स्कूलों को 75 प्रतिशत ग्रान्ट देते हैं, यदि वहां उनको 95 प्रतिशत ग्रान्ट दे दी जाये तो सरकार को अपनी ओर से कुछ अधिक नहीं देना पड़ेगा। अगर उनको खजाने से वेतन मिल जाये तो जो अध्यापक मैनेजमैंट की करप्शन की जद में आते हैं, वह भी बन्द हो जायेगी और उन्हें वेतन भी पूरा मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार इधर ध्यान दे। अगर सलाह मशविरे के लिए मेरी आवश्यकता हो तो मैं हर समय हाजिर हूं।

इसी तरह से चिकित्सा और पब्लिक हैल्थ के बारे में भी मैं कहूंगा। वैसे तो पब्लिक हैल्थ विभाग काफी ध्यान दे रहा है कि गांव–गांव में पानी पहुंचाया जाये लेकिन मैं आपके जरिए सरकार के नोटिस, में लाना चाहना हूं कि अम्बाला शहर में पानी की बड़ी भारी किल्लत है जिसकी वजह से यह इलाका पिछड़ा हुआ है। अगर अम्बाला में पानी की दिक्कत न होती तो पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ की बजाए अम्बाला होती। जिस भवन में आज हम बैठे हुए हें, ग्रह अम्बाला में बना होता। पानी की किल्लत की वजह से ही वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगती है और न ही वहां पर डिवैल्पमैंट होती है। पिछले दिनों वहां के लिए नहर के पानी की स्कीम स्वीकार की गई थी। काम चालू था लेकिन उस स्कीम को अब तक एक फेज पूरा हुआ है। अब गर्मी का मौसम मुंह उठाये चला आ रहा है और वहां पर अभी से पानी की दिक्क्त हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब सैकिण्ड फेज को गुरू करायें। कभी–कभी आशा के ऊपर ही शाम व्यतीत हो जाती है। कि फेज पूरा हो गया हो तो दूसरे फेज का काम चालू कर दिया जाये तब हम लोगों को कह सकते हैं कि एक फेज पूरा हो गया है दूसरे का काम चालू है। इसलिए अगली गर्मियों तक पानी आने की आशा है और यह कठिनाई द्र हो जायेगी। हम कह सकते हैं कि आपको आराम से पूरा पानी मिलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब अम्बाला शहर के हस्पताल के बारे मे भी जिक्र करना चाहता हूं। यह हस्पताल बहुत पुराना है। उस हस्पताल का शिलान्यास हुए आजं आठ साल हो गये हैं। लेकिन

बड़े दु:ख की बात है कि अभी तक वह बना नहीं है। अम्बाला शहर के हस्पताल के लिए बजट में पहले ही पैसा दे दिया जाता तो ठीक रहता। अगर इन संलोमैटरी डिमान्डज में वहां के लिए पैसा रख दिया जाता तो भी हाउस इसे पास कर देता लेकिन वहां के हस्पताल के लिए पैसा नही दिया गया। इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तक बात कह कर बैठ जाऊंगा। उद्योगों की दृष्टि से डिमान्ड नम्बर 16 पर भी चर्चा चल रही है। अम्बाला तहसील को पिछड़ी हुई तहसील घोषित किया था। अगर उसे पिछड़ी तहसील घोषित कर दिया गया था तो सरकार को उद्योग लगाने की तरफ पग उठाना चाहिए मैं आशा करूंगा कि आने वाले वर्ष में सरकार के यह जेरेगौर होगा। वहां पर कोई बडी इन्डस्ट्री तभी लगे गी, जब वहाँ पर सहूलियतें मिलेंगी।

इसी तरह से परिवहन की बात है। मैं परिवहन मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि अम्बाला जिला में ज्यादा कृपा दुष्टि करे और आने वाली बसों में कोई कोटा निश्चित किया हो, तो उसे बढायें। अम्बाला को जाने वाली अम्बाला– चन्डीगढ़ और यमुनानगर डिपो की बसें हैं। लेकिन अम्बाला डिपो की बसों की हालत बहुत खराब है। उनके शीशे टूटे हुए हैं। बसों के दरबाजे से चढें तो कमीज या धोती जरूर फट जाती है। इसलिए अम्बाला को बसें देते वक्त विशेष ध्यान रखें। वैसे यह तो सभी ने कहा है कि डीलक्स बस हर जिले से चन्डीगढ़ के लिए चलनी चाहिए। ले

किन अम्बाला शहर से गुजरने वाली बस अम्बाला शहर के साथ जोड़ दी जाती है। इसलिए अम्बाला शहर से भी डीलक्स बस जरूरी चलनी चाहिए।

अब मैं पुलिस की भर्ती के बारे में जो डिमान्ड नम्बर तीन है, उस पर भी अर्ज करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की भर्ती होने जा रही है। उसमें ईमान– दारी से भर्ती होनी चाहिए। जिस प्रकार इस सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने का नारा लगाया है, इसी प्रकार से पुलिस की भर्ती मे भी किसी प्रकार को पोलिटिकल करप्शन नही होनो चाहिए। उसकी हाईट और शरीर ठीक होना चाहिए। सब चीजें मापदण्ड के मूताबिक होनी चाहिए। वरना आप देखेंगे कि शाम को पुलिस चौकी में सिपाही से लेकर इन्चार्ज तक आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो शराब में उन न हो। सट्टा खेलने वालों, अफीम बेचने वालों या दूसरे गुन्ड़े बदमाशों को उनसे आश्रय मिलता है। जिसके कारण हमें हरियाणा के अन्दर ला–एण्ड–आर्डर खराब हुआ दिखाई देता है। अगर पुलिस की यह भर्ता सही हो गई तो मैं विश्वास के हाय कह सकता हू कि जो थोड़ा–बहुत भ्रष्टाचार पुलिस में दिखाई देता है, इस में अवश्य ही सुधार होगा। इतना कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सरदार बूटा सिंह (अनुसूचित जाति–गुहला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिला कुरुक्षेत्र के हल्के गुहला की

ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गुहला क्षेत्र हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है। डिमाण्ड नं० 8 पी० डब्ल्यू० डी० विभाग से सम्बन्धित है। इस बारे में मैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर महोदय का ध्यान दिलाऊगा। मन्त्री महोदय ने अभी पुलों के वारे में कहा है। मेरे इलाके में घग्गर नदी बहती हे जो कि मेरे हल्के को दो भागों में बांटती है। अगर इस नदी पर पुल बना दिया जाए तो हमारे इलाके के लोगो को बदन सुविधा हो जाएगी और उनका बड़ा भला होगा। इस पुल का नींव पत्थर चौधरी भजन लाल जी ने 1982 में रखा था। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पुत्र को शीघ्र पूरा करने की कृपा करें। दूसरी मांग गांव सीवन में अनाज मण्डी की है। (विघ्न)मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो काम मन्जूरशुदा है, उनमें तो काम पूरे होने चाहिएं। गांव सीवन की आबादी चालीस हजार है। अनाज मण्डी केवल कागजों में दिखाई गई है लेकिन वास्तव मैं वहां कोई अनाज मण्डी नही है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस गुहला इलाके की तरफ भी देखें। इस गांव में जो अनाज मण्डी 1977 में मन्जूरशूदा थी उसके लिये सैक्शन–4 के तहत पच्चीस एकड़ जमीन की ऐक्वीजीशन होनी थी। सैक्शन– 6 में भी यह 25 एकड थी लेकिन सैक्शन– 9 में यह 18 एकड ऐक्वायर की गई। मैं मन्त्री महोदय से यह अर्ज करूगा कि इस मण्डी को जल्दी ही पूरा किया जाए और इस गुहला हल्के को जो कि वैसे भी रिजर्व हल्का है, उसे रिजर्व न रखा जाए और कुछ–न–कुछ उसकी प्रोग्रेस की तरफ भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री महा सिंह (राई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पापुलर प्रोग्रेसिव सरकार की अनुपूरक मागों के अनुमोदन के। लिए खड़ा हुआ हू। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान सबसे पहले मांग नम्बर–4 पर पेयजल और चारे की सप्लाई की ओर दिलाना चाहता हूं। इस भंयकर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इस सरकार ने जो सराहनीय कदम उठाए हैं वे स्वागत योग्य हैं। उसके लिए पैसे का जो प्रावधान किया है, जों मांग की गई है, इस में कुछ बढ़ौतरी की जाए। ऐसे कठिन समय में चौधरी देवी लाल की सरकार ने हरियाणावासियों की मदद तो की है लेकिन अपने साथ लगते हुए प्रान्तों को भी हर सम्भव मदद देने की भरपूर कोशिश की है। चौधरी तैयब हुसैन जी, इस बारे में राजस्थान का ही उदाहरण ले तें। राजस्थान में भी वैसा ही सूखा पड़ा था जैसा कि हरियाणा राज्य में पड़ा। इस भीषण सूखे के कारण राजस्थान में हजारों पशु प्यासे और भूखे मर गए। मैं इस पापुलर सर्कार को मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इस बहादुर शेर चौधरी देवी लाल ने ऐसा प्रबन्ध किया कि कही कोई जोहड़ पानी से खाली नहीं रहा। कोई भी पशु चारे और पानी के बगैर नहीं रहा। राजस्थान के अन्दर इतने पशुओं की भूख और प्यास से मौत हुई कि हरियाणा सरकार को इस मामले में राजस्थान सरकार की मदद को आगे आना पड़ा। लेकिन मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को जो मदद दी जा रही है, उसमें पैसे की और बढ़ौतरी की जाए। इसके अतिरिक्त मैं ओलावृष्टि के बारे मे भी कुछ कहना चाहूंगा। एक भयंकर तूफान आया और फसलों को

बरबाद करके चला गया। इस तूफान में सब से ज्यादा प्रभावित मेरा राई हल्का हुआ फिर भी मुबारिकबाद के मुस्तैहक है हमारे आदरणीय चौधरी देवी लाल जी। ओलावृष्टि की बात सुनते ही, अखबार में पढ़ते ही मुझे हुक्म दिया और हमारे सब एम० एल० एज० साहेबान को हुक्म दिया कि मौके पर पहुंचे। उसी दिन एक अजीब घटना चौधरी देवी लाल जी ने की। गाड़ी जब सड़क पर से गुजरती थी और कहीं भी जब फसल को देखते थे तो दो–दो तीन–तीन किल्ले अन्दर घुस कर देखते थे जिससे उनकी धोती और जूते गारे से सन् जाते थे परन्तु उन्होंने परवाह नही की। चार एकड अन्दर एक बूढ़ा किसान अपने तबाह खेत की तरफ कातर नजरों से निहार रहा था। उसकी हालत यह नहीं थी कि वह उठकर मुख्य मन्त्री की ओर चल पड़ता। जब गाड़ी रोकी गई तो पुलिसवालों ने भाग कर कोशिश की कि उस किसान को चौधरी देवी लाल जी से मिलाए। लेकिन उस बहादुर सप्त ने पुलिस वालों को मना कर दिया और खुद चार एकड खेत के अन्दर चल कर गया। उस बूढ़े के बाजू पकड़ कर उसे उठाया और उसके आड़ पोंछे। चौधरी देवी लाल जी ने उस वृद्ध को कहा कि बाबा, जब तक मेरी सरकार है, तुम्हें घबराने की जरूरत नही। तुम्हारे कितनी एकड़ फसल पर ओलावृष्टि हुई है? उस वृद्ध ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि चौधरी साहब मेरी पांच एकड़ में फसल ओलों से तबाह हो गई है। चौधरी देवी लाल ने उसी वक्त तीन हजार रुपये अपनी जेव से निकाल कर उस बूढ़े किसान को दिए। आज वह बूढा एक–एक गांव में चौधरी देवी लाल के गीत गाता

फिर रहा है। इस के अतिरिक्त मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि ओलावृष्टि के कारण हुए नुक्सान की पूर्ति के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है, उस राशि को भी बढ़ाया जाए। इसके बाद मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं अपनी सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि गांवों की हालत को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने जो और बजट मांगा है, वह पूर्णतया ठीक है। हम तो चाहते हैं कि इसमें और बढ़ौत्तरी की जाए। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। निराश्रित महिलाओं को सहायता देना बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। वृद्ध अवस्था पैन्शन की आज सारी दुनियां में मिसाल है। बुढ़ापे में मां–बाप जब लाचार हो जाते हैं और कमाने लायक नहीं रहते उनके लिए सारे हिन्दुस्तान में चौधरी देवी लाल की सरकार ने ही पैंशन की व्यवस्था की है। मेरे साथी असलम खा कह रहे थे कि करोड़पतियों को भी पैन्शन दी जा रही है। वे इस बारे में दी गई क्लाज को नहीं पढ़ पाए। तैयब हुसैन साहब भी कह रहे थे कि सौ एकड़ वाले आदमी को भी पैन्शन दी जा रही है। हमारे यहां सवा 8 एकड़ से ज्यादा वाला कोई किसान नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, सिवाए बलबीर पाल शाह जिन्होंने झूठी सूचना देकर ज्यादा जमीन रख ली, बाकी सब के पास तीस एकड से ज्यादा जमीन नहीं है।

श्री महा सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आज महिलाओं में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात बनाना चाहता हूं कि हमारे गांवों की बूढ़ी औरतों के पास जब मनी आर्डर जाते है, तो उनकी जेब में पैसे आ जाते हैं। जब बेटी अपने मां–बाप के घर से ससुराल जाती है, तो उसे कोई कुछ भी दे दे, लेकिन मां जब तक अपनी जेब से बेटी को पैसे नहीं देती, तब तक उसकी आत्मा को शान्ति नही मिलती। अब चूकि डन बूढ़ी औरतों की जेब में पैसे होते हैं, इसलिए वे अपनी इच्छा के मुताविक अपनी बेटियो को पैसे देती है।

अब मैं मांग संख्या 15, जो सिंचाई के वारे मे है, पर बोलना चाहता हूं। मैं इरीगेशन तथा पावर मिनिस्टर साहब को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि भंयकर सूखे के अन्दर भी हरियाणा में पूरी बिजली मिली। मैं अपने इलाके की बात कह सकता हूं और हरियाणा की बात भी कह सकता हूं। धान की पैदावार इस साल पिछले सातों से भी ज्यादा हुई है। यह केवल बिजली और पानी की उपलब्धता शे कारण ही हुई है। पहले पानी टेल तक नही बनाता था लेकिन अब पानी भी टेल तक गया और विजली भी टेल तक गई। इस कारण से गन्ने और धान की पैदावार बढ़ी। हमारे इलाके के अन्दर पिछले साल से 8– 10 परसैंट गन्ने की पैदावार ज्यादा हुई है। अगर गुप्ता जी बिजली के लिए और रकम मागना चाहें तो और बढ़ा दी जाए। धन्यवाद।

13.00 बजे।

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में वर्ष 1987– 88 के अनुप्रक मांगों की दूसरी किश्त पर चर्चा चल रही णै। इन मांगों में मांग संख्या 14 मेरे विभाग से संबंध रखती है। इस मांग पर चर्चा करते समय कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत बड़े अनुभव का इजहार किया कुए। इसलिए विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होने के नाते मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इन भ्रष्ट रिवायतों के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूं। ये तमाम प्रथाएं पुराने कांग्रेस के शासन से इस महकमें की व्यवस्था बन चुकी हैं। मुझे इससे भी ज्यादा दुख यह बात कहते हुए होता है कि इन प्रथाओं को चलाने वाले –। को स्वयं उस समय के शासकों का आशीर्वाद प्राप्त था। (व्यवधान व शोर)महेन्द्र प्रताप जी, जरा सुनते जाइये। करप्शन बढ़ी है या घटी है या कैसे घटेगी, इन तमाम बातों का खुलासा करने के लिए ही मैं खड़ी हुई हूं। उपाध्यक्ष महोदय, डिपो–होल्डर्ज, प्रशासन और शासक, तीनों मिलकर जनता को लूट रहे थे। इसलिए कौन किसे जांचता, कौन किसे परखता? मुझे एक बात कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है। इस महकमें का निर्माण एक खास उद्देश्य से किया गया था कि जब कमी का समय हे तो आम गरीब जनता को चीजें सस्ती दर पर तथा सही समय पर, सही तोल में मिल सके लेकिन पूरे उद्देश्य को नजर अंदाज करके इस विभाग मे ऐसी लूट मचाई गई कि करप्शन को इंस्टीच्यूशनेलाइज कर दिया गया। रघु यादव जी जिन बा तों की तरफ इशारा कर रहे थे, वे सारी की सारी प्रथायें इस शासन

की देन नही हैं। वह उस शासन की देन हैं जहां एफ० सो० आई० का आदमी भी एक आटे की बोरी उठवाने के लिए पैसे मांगता था। जहां डिपो होल्डर कान्फैड के लोगों को पैसा देता था। और यह पूरी व्यवस्था इंस्टीच्यूशनेलाईज हो गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, दो महीने पहले इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे संभलवाई गई और मैं इसे संयोग ही कहूंगी कि एक कमी के समय मे संभलवाई गई। कमी का समय इस विभाग के प्रभावीपन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। परीक्षा की घड़ी होती है। मैंने जैसे ही विभाग की जिम्मेवारी संभाली तो सबसे पहले है यह तलाशना चाहती थी कि कहां– कहां छेद हैं। कहा–कहा मुझे भराव करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बडे दु:ख के साथ यह कहना पड रहा है कि छेद तलाशने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे का पूरा मह कमा छलनी हुआ पड़ा था। जहां देखते थे, वही पर छेद थे। (व्यवधान व शोर)

श्री परमानन्द: उपाध्यक्ष महादय, मैं एक क्लैरीफिकेशन लेना चाहता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: भाई परमानन्द जी, मैं आपकी और अपनी दोनों की ओर से सामूहिक जिम्मेवारी का वहन कर रही हूं (व्ययधान व शोर)

श्री उपाध्यक्ष: वह आपको नही कह रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सबसे पहले मैं अर्ज करूंगी कि मेरे भाई परमानन्द जी के आने के बाद उन्होंने कितना सराहनीय

प्रयास किया है। (व्यवधान व शोर)आप जरा सुनते जाईये। मैं उस समय का जिक्र कर रही हूं जिस समय तुम्हारे लौग शासन के अन्दर मौजूद थे। जिस समय आप लोग सत्ताधारी दल के अन्दर शामिल थे। पूरी तो बात सुन लो (व्यवधान व शोर)इतने बरसों तक व्यवस्था को बिगाड़ा है, उसको भाई परमानन्द जी अकेले चार महीने मे ठीक नही कर सकते या मैं अकेली दो महीने में ठीक नहीं कर सकती। कुछ सब्र तो करो।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सब्र तो बेचारों को कई सात तक रखना पड़ेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराजः पहली बात जो हमारे नोटिस में आई जिसका जिक्र श्री रघु यादव ने अभी किय कि बजाये जैनुईन लोगों को डिपो देने के हूर शहर में एक डिपो–किंग खडा कर दिया था। एक–एक व्यक्ति को 15– 15, 16– 16 डिपो, अपने नाम, भाई के नाम भतीजों के नाम, साले बहनोई के नाम, मामा भानजियो के नाम, यहां तक कि कुत्ते और बिल्लो के नाम पर भी डिपो दिए गए। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने कई अहम निर्णय किये। सबसे पहला निर्णय जो हमने किया,

वह यह कि जो व्यक्ति स्वयं डिपो चलाता है, केवल वही डिपो मालिक रहेगा। बाकी सारे बेनामी डिपो कैसिल किये जायेंगे। तभी इन डिपो–किंगज के हम लोग धराशायी कर सकेंगे। दूसरी बात एक और हमारी जानकारी में आई। डिपो– होल्डर्ज ने महकमें

की मिली–भगत से अपने पास बोगश राशन कार्ड बनवा रखे थे। जो जैनुईन राशन कार्ड होल्डर्ज थे उनको राशन नही दिया जाता था। बोगस राशन कार्ड में इन्दराज करके सारे का सारा मान ब्लैक में बेच दिया जाता था। हमने एक योजना बनाई है। स्वैच्छिक खुलासा योजना। तमाम डिपो–होल्डर्ज को हमने एक तारीख मुकर्रर करके यह बात कही है कि या तो सारे के सारे ऐसे राशन कार्ड अपने आप सरैडर कर दो वरना हम वह तारीख निकल जाने के बाद इतना सघन चौकिंग करवायेंगे कि अगर एक भी बोगस राशन कार्ड किसी डिपो होल्डर के पास मिल गया तो केवल हम डिपो कैंसिल ही नही करेगे बल्कि उस डिपो–होल्डर के खिलाफ फ्हौजदारी का मुकद्दमा भी दर्ज करवायेने। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात हमारी जानकारी में आई कि डिपो होल्डर्ज ने जो डिपो ले रखें है उनको महीने मे एक या दो दिन ही खोलते हैं। जैसा कि श्री कैलाश जी गे कहा कि ये डिपो होल्डर्ज महीने के आखिरी दिनों में माल उठाते हैं। उस वक्त खरीदने वालों की जेब में पैसा नहीं होता। वह सामान डिपो होल्डर के पास बच जाता है और फिर वह बोगस राशन कार्ड रजिस्टर में चढ़ा कर बलैक में सामान बेच देता है। इसलिए हमने यह तय किया कि अगर हम इन डिपो होल्डर्ज पर सख्ती करें, केवल इंस्पैक्टरों के द्वारा अगर चौकिंग करवाएगे तो इस्पैक्टरों के ही भाव बढ़ाने वाली बात हैं। हम लोगों ने तय किया कि यह एक ऐसा महकमा है जिसका सीधा सम्बन्ध जनता से है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जनता के लोगों को और चुने हुए जन प्रतिनिधियों को इसमें

इंवाल्व करना चाहिए। इस वारे में उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक ऐसी योजना बनाई जो हिन्दुस्तान में पहली योजना है और जो हरियाणा राज्य में लागू होगी। हर डिपो होल्डर पर हम पाच सदस्यो की एक समिति बना रहे हैं। पांच सदस्यों की वह समिति डिपो के ग्राहकों में से बनेगी राजनैतिक लोगों की नहीं। जो उस डिपो के राशन कार्ड होल्डर्ज है उनमें से हम पांच व्यक्तियों की एक समिति बनाएंगे जिसका नाम उपभोक्ता संगठन संरक्षण समिति होगा। यह समिति डिपो होल्डर पर निगरानी रखेगी और उपाध्यक्ष महोदय, इन पांच सदस्यों की समिति में से तीन महिलाएं होंगी। खासतौर पर करप्शन मिटाने के लिए (व्यवधान)। उपाध्यक्ष महोदय, चीनी फालतू नहीं मिल जाएगी बल्कि महिलाओ को इसलिए शामिल किया है कि गृहणी ही है जो जाकर चीजें खरीदती है। उपाध्यक्ष महोदय, इन कमेटीज का गठन करने के लिए ही हमने नगरपालिका अध्यक्षों को और सरपंचों को अपनी ओर से पत्र लिखा है कि आप इन कमेटीज का गठन हर डिपो पर करे। उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा अन्दाजा लगाइए कि 6,447 राशन की दुकानें हैं। पांच–पांच व्यक्तियों की अगर समिति बन जाएगी तो तीस हजार लोगों से ज्यादा लोगों का कितना प्रभावी उपभोक्ता आन्दोलन हरियाणा के अन्दर खड़ा हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, कितनी गलत प्रथाएं चल रही थी केवल इस वजह से कि हरियाणा के आदमी को और हिन्दुस्तान के उपभोक्ता को यह पता नहीं था कि उसका अधिकार क्या है। उपभोक्ता जागरूक नहीं था। आज से पहले इन कांग्रेसी मित्रों के शासन में आम आदमी यह समझता था

कि जो मिल जाए, जब मिल जाए, जैसा मिल जाए डिपो होल्डर से वही लेना, तेरी नियति है। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहती हूं कि इस सरकार के आने के बाद पिछले नौ महीनों में हम चाहे इस विभाग में भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पा पाए होंगे लेकिन एक बात का अहसास मैं और भाई परमानन्द नीचे के आदमी को करा पाने में कामयाब हो पाए हैं कि जो मिल जाए, जैसा मिल जाए और जब मिल जाए वही लेना तेरी नियति नहीं बल्कि सही समय पर सही तोल में, सही दर पर और सही चीज को लेना तेरा अधिकार है और इस बात को अहसास कराने में हमें कामयाबी हासिल हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें जितनी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उससे भी इसी बात का प्रमाण मिलता है कि यह अहसाम लोगों में जागा है। मैंने देखा है कि पहले गृहिणी जाकर लाईन में लगती थी। डिपो होल्डर उसे कहता था कि आज चीनी नहीं आई। वह दो दिन के बाद जाती थी तो वह कहता था कि चीनी आई थी लेकिन खत्म हो गई। जो कुछ उसे बचा खुचा मिलता था अपना थैला लेकर मुंह नीचे लटकाये वह वापिस चली जाती थी। आज गृहिणी जागृत है। आज उपभोक्ता लड़ता है और डिपो होल्डर से कहता है कि या तो सही चीज दे दे वरना मैं शिकायत कर दूंगा। यह जो अहसास है और यह जो विश्वास उसके अन्दर जागा है कि अगर वह उसकी शिकायत कर दगा तो ऊपर मुनी जाएगी। यह जो अधिकार की भावना उसके अन्दर जागी है कि गल्त चीज लेना उसकी नियति नही है बल्कि सही चीज लेना उसका अधिकार लेह, यह अहसास

हम लोगों में यह विश्वास दिलाता है कि हम यहां पर सार्वजिक वितरण प्रणाली को एक बहुत ही सुनिश्चित प्रणाली बनाकर रखेगे। मैं यहां पर सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि यह सही बात है कि जो व्यवस्था वर्षों तक बिगडी है वह कुछ ही महीनों में ठीक नही हो सकती लेकिन इसको सुधारने के लिए बहुत लम्बी अवधि की दरकार नहीं है। बहुत कम समय हम लोग चाह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमने डिपो होल्डर्ज पर समितियां बनाई हैं, उसी तरह से मेरे से पूर्व मन्त्री भाई परमानन्द जी ने डिविजनल लैवल पर, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर और सब डिविजनल लैवल पर दो तरह की कमेटीज प्रस्तावित की थीं। अब मैं उनका गठन कर रही हूं, जिनको भाई परमानन्द जी प्रस्तावित करके गए थे और मैं सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि हम यह बुनियादी बात जानते हैं कि प्रशासन से मिला हुआ फीड बैक इतना प्रामाणिक नहीं होता जितना जन प्रतिनिधियों से मिला हुआ फीड बैक होता है। इसलिए हमने तय किया है कि हर जिला स्तर पर जो कमेटी का गठन किया जाएगा उसमें उस जिले के तमाम एम०एल०एज० उसके सदस्य होंगे। सब–डिविजनल लैवल पर जिस कमेटी का गठन किया जाएगा, उसमें सब–डिविजन के तमाम एम० एल० एज० उसके सदस्य होंगे और प्रशासन की मदद से वह अपने–अपने हल्कों में वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करवाएगे। जहां तक शिकायतों का ताल्लुक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए चौधरी तैयब हुसैन ने एक शिकायत

रखा थी कि जिला गुडगांव में गेहूं नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आकडे मंगवाये। लेकिन आकड़ों से इनकी शिकायत को नाकारते हुए मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि बीच में तीन दिनों की छुट्टियां थीं। मैं उसके बाद अगले ही दिन स्वयं गुड़गाव गयी। वहां जाकर डी०सी०, डी०एफ० एस० सी० और डी० एफ० एस०ओ० को बुलाया और पूरे गुडगांव को हमने 9 सैक्टर्ज में बांट दिया। जितने भी मैजिस्ट्रेटस डी०सी० के नीचे थे, उन सब मैजिस्ट्रेटों को एक–एक सैक्टर का हर डिपो दे दिया और उन्हें यह कह दिया कि हफ्ते में दो बार खुद जाकर डिपोज का निरीक्षण किया करो कि जितनी सप्लाई मिलती है, आया वह डिपुओं पर पहुंच भी पाती है कि नहीं और वे डिपो होल्डर्ज उन्हें राशन कार्डो पर राशन वितरित करते है कि नही। इसलिये भाई तैयब हुसैन जी से कहूंगी कि वे जानकारी के लिये स्वयं गुड़गांव से पता करें और उसके बाद अगर कोई और शिकायत हो तो मेरे नोटिस में लाए, हम तुरन्त ही उस को दूर करेंगे।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, भाई सांगवान जी ने भी सदन में तो नहीं, बाहर मुझे कहा कि गोहाना में भी इस तरह की शिकायत है। गुडगांव से वापिस लौटते हुये मैं स्वयं सोनीपत गयी वहां जाकर मैने डी० सी०, डी०एफ० सी० से बात की और खुद सांगवान जी ने मुझे बताया कि अगले ही दिन डी०सी० ने उन्हें पूछा कि बताओ किस–किम डिपो की शिकायत है और स्वयं साथ चल कर खुद उस शिकायत को दूर करो। तो मैं यह कहना

चाहती हूं कि इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने के लिये, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये हमारी नीयत और क्षमता पर आप भरोसा करें। हमारी सरकार इस को खत्म करने के लिये वचनबद्ध है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प है और मैं खुले मन से यह बात कहना चाहूंगी कि हमें इस बात के लिये हमारे मुख्यमन्त्री जो का प्रा–पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि जब कभी भी मैं अपने विभाग से सम्बन्धित भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई भी योजना ले जाकर उनके सम्मुख रखती हूं तो उनका एक ही जवाब होता है बेटा इस भ्रष्टाचार को जैसे भी समाप्त कर सकती हो करो और यह बात कहते– कहते उनकी आख नम हो जाती हैं ओर वे भाव विहवल हो जाते हैं और उस समय उनकी आख की नमी मुझे इस चुनौती को और ज्यादा संकल्प से स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इसलिये मैं अपने उभी सम्माननीय साथियों को यह बताना चाहूंगी कि जितनी भी कुप्रथाएं यहां पर चल रही थीं और जितनों का यहां पर जिकर किया गया है, उससे कहीं ज्यादा कुप्रथाएं और भ्रष्टाचार मृग विभाग के अन्दर था लेकिन आप हमारी नीयत और क्षमता पर भरोसा करके थोड़ा सा समय हमें दो, थोडी सी अवधि, हमें दो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मुख्यमन्त्री महोदय के आशीर्वाद से इननी आदर्श प्रणाली बना देगे कि दूसरे प्रदेश भी हरियाणा प्रदेश का अनुसरण करने लगेंगे। धन्यवाद।

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने आज से कुछ दिन पूर्व, मैंने लगभग 271.36 करोड़ की अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त प्रस्तुत की थी और आज उन मांगों पर बड़े विस्तार के साथ बहस हुई है। माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये हैं, आलोचनाएं भी की हैं। साथ ही साथ कुछ अपने क्षेत्र की बातें भी रखी हें, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक मांगें होती हैं उन पर उन मांगों तक ही चर्चा सीमित रहनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जिस हैड, जिस काम के लिये हमने जितनी रकम मांगी है, उस पर अगर माननीय सदस्य ध्यान करते, देखते कि जिस काम के लिये यह रकम मांगी गई है, क्या वह उस काम के लिये ठीक मांगी गई है, क्या यह रकम उचित है तो. ठीक होता। परन्तु माननीय सदस्यों ने इस तरफ ध्यान न देकर जैसे जनरल बजट पर डिस्कशन होती है, उसी प्रकार इस पर बहस शुरू कर दी। खैर कोई बात नहीं। यह सदन माननीय सदस्यों का है और उनका कर्त्तव्य भी है कि वे अपने–2 क्षेत्र की बातें इस सदन के सम्मुख रखें और इस सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाये। और जब भी सदस्यों को इस प्रकार का अवसर मिलता है वह अपने इस कर्त्तव्य को पूरा करने की कोशिश करते है। उपाध्यक्ष महोदय, यह रकम जो मैंने अनुपूरक मांगों की शक्ल में यहां सदन के सम्मुख रखी हैं, इसकी सदन से मन्जूरी लेना चाहता हूं। इसमें जो अधिकांश खर्चा दिखाया गया है, वह चौथे पे–कमिशन की सिफारिशों को लागू करने की वजह से किया गया है। चौथे पे–कमिशन ने वेतनमानों

का संशोधन करने के लिए सिफारिशें की थी और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हिन्दुस्तान में हरियाणा स्टेट पहली स्टेट है, जिसने चौथे पे–कमिशन की सिफारिशें पूरी–पूरी इम्पलीमैंट की हैं जिसके कारण सरकारी खजाने पर काफी बोझ पडा है। उसका पूरा ब्यौरा मैंने कल अपने बजट भाषण में दे दिया था। इसमें अधिकांश रकम वेतनमानों का संशोधन करने से देनी पड़ी हैं। इसके अलावा कुछ रकम ऐसी है, जो मुआवजा देना पड़ा जो भूमि अधिग्रहण की गई थी उसके भूस्वामी कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने उसका मुआवजा बढ़ा दिया इसलिए वह पैसा देना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले बोलते हुए डा० मंगल सैन जी ने आपके सामने एक मिसाल दी थी कि चौधरी भजन लाल जी सिरसा जा रहे थें और उनकी कार का ऐक्सीडेंट हो गया और उस ऐक्सीडैंट मे एक व्यक्ति मर गया। उसको मुनासिब मुआवजा नहीं दिया गया। अगर उसको उसी वक्त मुनासिब मुआवजा दे दिया जाता तो सरकार पर इतरा भारी बोझ नही पड़ता। उसको मुनासिब मुआवजा न मिलते के कारण वह कोर्ट में गया और वहां पर उसका मुआवजा बढ़ गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने 6 लाख रुपए से अधिक राशि हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक दी है। मेरे माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं, उनमें से ज्यादातर बातें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित हैं। इस विभाग के बारे में अभी बहन सुषमा स्वराज ने आपको तफसील में बता दिया है और उन्होंने इस महकमे के बारे में इतने सुन्दर और सशक्त शब्दों में जवाब दिया है शायद उतना अच्छा

जवाब दूसरा नहीं दे पाता। उन्होंने बखूबी इस बात को बयान किया है कि यह चौधरी देवी लाल जी की सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तत्पर है और ईमानदारी के साथ खत्म करना चाहती है। अगर चौधरी देवी लाल जी की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहती तो क्या उनको सिविल सप्लाई विभाग की मिनिस्टर बहन सुषमा स्वराज ही मिल ती। यदि इस महकमे से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना था, तो वे चौधरी भजन लाल के मंत्रिमण्डल के किसी आदमी को मती बना देते। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह नारा है कि भ्रष्टाचार बंद, बिजली पानी का प्रबंध । इस नारे को पूरा करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत बिगड़ा हुआ है और बहुत पुराना बिगड़ा हुआ है इसलिए कुछ लोगों की आदत बन चुकी है उनमें अधिकारी वर्ग भी शामिल है। जैसे हमारे माननीय सदस्य रघु यादव ने अभी बताया था कि जब डिपो होल्डर राशन लेने के लिए जाता है तो उससे प्रति बोरी रिश्वत ली जाती है। मैं भी कहता हूं कि जरूर ली जाती होगी, इसमें कोई सन्देह नही है। में कहता हूं कि उन अधिकारियों की भी आदत बिगड़ी हुई है। अब हमारी बहन सुषमा जी ऐसा प्रबंध कर रही हैं जिससे यह गुंजाइश न रहे कि कोई अधिकारी किसी प्रकार की कोई रिश्वत ले सके। अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेगा, फिर भी हिमाकत करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जायेगी। श्री रघु यादव जी और दूसरे माननीय सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि सिविल सप्लाई विभाग में कोई भ्रष्टाचार

होगा। श्री रघु जी ने यह भी चर्चा की थी कि सरकारी जीपों या दूसरे वाहनों का दुरुपयोग होता है और इन सरकारी वाहनों को सरकारी अधिकारी अपने घरेलू कार्यों में प्रयोग करते हैं। यह बात ठीक हो सकती है कि सरकारी वाहनों का दुरुपयोग जरुर होता होगा। अधिकारियों को ऐसी आदत पहले से पड़ी हुई है। इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा कि भविष्य में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग न हो सके। कोशिश यही की जायेगी कि इनका सदुपयोग हो। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने यहां पर एक बात कही कि जहां सरकारी कर्मचारियों को वेतनमानों में संशोधन करके लाभ पहुंचाया गया है, वहां पैन्शन पाने वाले कर्मचारियों को भी नए वेतनमानों के हिसाव से लाभ पहुंचाया जाये। इस बारे मे मैंने कल अपने बजट भाषण में बतलाया था कि सेवा निवृत कर्मचारियों की पैशनों में संशोधन कर दिया गया है और उन्हें 1. 1.1988 से संशोधित वेतनमानो के हिसाब से पैशन दी जायेगी। यहां पर हमारे एक और माननीय सदस्य श्री कैलाश चन्द्र जी ने नारनौल के बारे में कुछ जिकर किया था। इन्होंने बताया था कि अभी भी बहुत से गांवों को पत्रको सड्कों के साथ जोड़ा नहीं गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह इरादा है कि सभी गांवों को पक्की सड्कों के साथ जोडा जाये, चाहे कोई छोटा गांव है, चाहे कोई ढाणी है या चाहे कोई बड़ा गांव है। बहुत सारे गांवों को पदकी सड्कों के साथ जोड़ा जा चुका है। यह बात ठीक है कि 100 के आस पास गांव अभी पक्की सड्कों से जोड़े

जाने हैं, जिन्हें अभी जोडा नहीं गया हुऐ। यह काम भी सरकार की ओर से चल रहा है। कुछ इन्होंने स्कूलों के संबंध में बातें कहीं हैं। इन्होंने बताया कि कई स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। यह ठीक हो सकता है कि कुछ स्कूलों में अध्यापक न हों। मैं यहां पर यह बात भी बताना चाहता हूं कि हमारे सामने आर्थिक संकट आ गया था, जिसकी वजह से हमें वित्तीय स्थिति का सामना करने में मुश्किल आई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जब चौधरी देवी लाल जी ने जनता का भारी समर्थन प्राप्त करने के बाद शासन की बागडोर सम्भाली तो मेरे को मंत्री परिषद में शामिल करके वित्त मूली बनाया गया और खजाने की चाबी मुझे दी गई। जब हमने खजाना खोल कर देखा तो पिछली सरकार सारे खजाने पर झाड़ू फेर गई थी। खजाने में एक पाई भी नहीं थी। उल्टे हमें 200 करोड़ रुपये का घाटा पिछली सरकार का मिला। ऐसी संकटपूर्ण वित्तीय स्यिति का हमने सूखा पडने के बावजूद भी डटकर मुकाबला किया और लोगों को राहत दी। मैं चाहता या कि असलम शेर खां बोलते। उनकी यह मेडन स्पीच थी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः गुप्ता जी, आप कितना समय और लेंगे?

उप मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अभी मैंने थोडा बोलना है इसलिए आप हाउस का समय 10 मिनट और बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्षः क्या हाउस की सहमति है कि सदन का समय 10 मिनट और बढा दिया जाये?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्षः हाउस का समय 10 मिनट बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1987– 88 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (दूसरी किस्त)पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

उप मख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, श्री असलम खां ने फरमाया था कि सूखा राहत के लिए वहां पर पैसा खर्च नहीं किया गया जहां पर सूखा पड़ा है और जहां पर खर्च किया गया है वहां पर उतना खर्च नहीं किया गया जितना खर्च किया जाना चाहिए था (विघ्न)

श्री मोहम्मद असलम खां: छछरौली में तो आपने कोई पैसा खर्च किया ही नही है जबकि सूखा वहां पर भी पड़ा है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः सूखे का निरीक्षण करने के लिए आपकी भारत सरकार की टीम ही आई थी। उसने ही देखा था कि कौन–कौन सा इलाका सूखाग्रस्त है। उस टीम ने यह

पाया कि आपका छछरौली का इलाका सूखाग्रस्त नहीं है (व्यवधान)तैयब हुसैन जी हमने तो कोशिश की कि छछरौली को भी सूखाग्रस्त करार दिया जाये लेकिन जो सैन्टर से टीम आयी थी, वह नहीं मानी। जितनी भारत सरकार ने सूखाग्रस्त इलाके के लिए राहत देनी थी, उतनी नहीं दी। भारत सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात की। जहां हमने भारत सरकार से 400 करोड़ रुपये की माग की थी वहां हमें 37 करोड़ रुपया दिया। यह हमारे साथ पक्षपात है। राजस्थान को 488 करोड़ रुपया राहत दी गई जब कि हमें 37 करोड़ रुपये और कुछ लाख दिया गया। यह हम मानते है राजस्थान में हमारे से ज्यादा कहत है, क्षेत्र भी उनका बड़ा है और आबादी भी ज्यादा है लेकिन 37 करोड और 488 करोड़ में तो बड़ा अन्तर है। यह सब पक्षपात और भेदभाव वाली बात हरियाणा सरकार के साथ की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख तो इस बात का होता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहा हमारी नुक्ताचीनी करते हैं लेकिन केन्द्र सरकार पर दबाव नहीं डालते कि हरियाणा को अधिक पैसा दिया जाये। वहाँ से पैसा देना तो इनकी पार्टी के हाथ मे है। इनकी पार्टी के प्रधान मंत्री हैं और वही इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या आप लोगों ने कभी एक दिन भी यह मांग की है कि हमारा प्रदेश बड़ा भारी सूखाग्रस्त है इसलिए ज्यादा सहायता दें।

श्री तैयब हुसैनः आप यह कैसे कह सकते हैं कि हमने यह बात नही कही?

श्री बनारसी दास गुप्ताः हमने यह बात न कभी पढ़ी और न ही सुनी। आपने कभी नही कहा और अगर आपने कहा है तो उस कहने का क्या असर हुआ? आपके कहने से उन्होंने 37 करोड़ से सौ करोड़ नहीं किया इसलिए आपके कहने का कोई असर नही हुआ।

श्री राम विलास शर्माः चौधरी भजन लाल ने तो कहा था कि हरियाणा को जो ग्रांट मिली है, वह काफी है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय श्री कैलाश चन्द शर्मा ने नारनौल के बारे में कहा कि वहां पर चूंकि लड़कियों की शिक्षा के बारे में बड़ी भारी दिक्कत है, इसलिए वहां पर लड़कियों का कालेज बनाया जाये। वहां पर लड़के और लड़कियों का अलग–अलग कालेज नहीं है, लेकिन वहां गर्ल्ज विंग अलग से है और स्टाफ का पूरी तरह से प्रबन्ध किया हुआ है। जहाँ तक प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिग का सम्बन्ध है, उनकी हालत भी चिन्ताजनक है। उनमें सुधार की जरूरत है। लेकिन इस अनुपूरक मांग के अन्दर जों पैसा मांगा है, वह भारत सरकार की स्कीम है। वह आप्रेशन ब्लैक बोर्ड की योजना है। इस योजना को लागू करने के लिए पहले हरियाणा सरकार को पैसा देना पड़ा। भारत सरकार तो बाद में री–इम्बर्स करेगी। वह पैसा तो वहां से मिलता है। वह

पैसा हमें पहले खर्च करना पड़ा इसलिए यह मांग प्रस्तुत करनी पड़ी है।

श्री हीरा नन्द आर्यः ने ऐडहौक टीचर्ज को रैगुलर करने के बारे में कहा कि जिनको लगे हुए 240 दिन हो गये हैं उन्हें रैगुलर किया जाये। राज्य सरकार ने उन अध्यापकों को जिन्होंने 1– 11– 86 तक दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें रैगुलर कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राइवेट कालेजिज को घाटा पूर्ति के लिए जो 95 प्रतिशत सहायता दी जाती है, वह बाद में दी जाती हैं। इस बारे में श्री आर्य साहब ने सुझाव दिया था कि ग्रान्ट लेट दी जाती है, वह समय पर दी जानी चाहिए। कई संस्थाएं खर्च नहीं कर सकतीं। सरकार ने अब बैंको के हारा 95 प्रतिशत सहायता देना प्रारम्भ कर दिया है। अब वह बात नहीं हो सकती जिस का श्री आर्य साहब को अन्देशा था। कुछ उद्योग धन्धों की बात की गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने बजट अभिभाषण में बताया था कि हम अपने प्रदेश का औद्योगीकरण करने का पूरा–पूरा प्रयास कर रहे है और इस औद्यौगिक विकास में प्रदेश के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, हाऊस में वृद्धावस्था पैंशन के बारे में भी जिक्र आया है। चौधरी अजमत खान ने कहा था कि जो व्यक्ति लखपति ओंर करोड़पति हैं, उनको पैशन नहीं दी जानी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमने पैशन देने के लिए केवल

दो शर्तें लगाई है। पहली शर्त यह है कि पैशन लेने वाला व्यक्ति आयकर दाता न हो और दूसरी यह है कि वह कोई अन्य सरकारी पैशन 100/– रुपये से ज्यादा न लेता हो। इन दो शर्तो के इलावा कोई शर्त नहीं है। जो व्यक्ति 65 साल से ज्यादा आयु का है, उसको पैशन दी जा रही है और लखपति ओर करोड़पति को पैशन देने का केस स्वतरू ही पहली शर्त के कारण रिजैक्ट हो जाएगा और वह पैशन लेने से वंचित हो जाएगा। अभी चौधरी तैयब हुसैन ने कहा कि पांच–पांच सौ एकड भूमि के जो मालिक है, उनको भी पैशन दी जा रही है। इस बारे में मै इन्हें बताना चाहूंगा कि हरियाणा में पहले ही सीलिंग लगी हुई है, इसलिए पांच सौ एकड़ भूमि के मालिक होने का प्रश्न ही नही उठता। दूसरी बात यह है कि हम वृद्धावस्था पैशन वृद्धों पर रहम करके दान नहीं दे रहे हैं और न ही इसलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस सरकार देती रही है। चौधरी साहब ने यह बात भी कही थी कि इसमें चौधरी देवी लाल की सरकार ने कौन सा तीर मारा हए? वृद्धों को पैशन हम भी दे रहे थे। ये कितनी–कितनी पैशन दे रहे थे और कितने वृद्धों को दे रहे थे चौधरी तैयब हुसैन जी ने यह आकड़े देखने का कभी कष्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल में टोटल राशि 40 करोड़ से ज्यादा नही बनती जिस में वृद्धों की पैशन, विकलांगों की पैंशन और विधवाओं की पैशन शामिल हें। इसके मुकाबले में मौजूदा सरकार 70 करोड़ रुपये दे रहीं है। हम जो पैशन दे रहे हैं, वह रहम करके या दया करके नहीं दे रहे हैं बल्कि अपना फर्ज समझ कर दे रहे हैं। पहले केवल उन्हीं वृद्धों

को पैशन दी जाती थी, जिनकी कोई औलाद न हो या जो बेसहारा हों। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी का इरादा है, जो भावना है, वह यह है कि हमारे ये बुजुर्ग सारी उम्र समाज की सेवा करते रहे हैं। किसी ने खेत में सेवा की, किसी ने दुकान पर बैठकर सेवा की और किसी ने सरकारी दफ्तर में बैठ कर सेवा की। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तो अपना गुजारा चलाने के लिए सरकार की तरफ से पैंशन मिलती है, लेकिन जो बुजुर्ग सारी उम्र खेत में घिस कर मरता रहा है, यदि सरकार की तरफ से उसको कुछ न दिया जाए, तो यह उनके साथ बहुत बड़ी बेइन्साफी है और समाज के लिए चिन्ताजनक बात है। इस असमानता को खत्म करने के लिए और बुजुर्गो का आत्म– सम्मान बहाल करने के लिए यह वृद्धावस्था पैंशन दी गई है। 100/– रुपये की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती लेकिन अभी हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि हम इससे ज्यादा पैशन दे सकने की स्थिति में नही हैं। अगर भगवान् कभी खुश हुआ और हमारी– सरकार की आर्थिक हालत अच्छी हुई तो शायद हम इस राशि को और भी बढ़ाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं और कहना चाहता हु। आपने भी देखा होगा और मुखे भी अनुभव है। कई परिवारों में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनके चार– चार बेटे हैं जो कमाऊ हैं, काम धन्धा भी अच्छा चलता है लेकिन वे अपने बाप को चाय का कप तक नही पूछते बल्कि उनका अपमान करते हैं, और यह दुआ करते हैं कि यह बुड्ढा किसी तरह से मरे और उनके सिर से बला टलें। अब पैंशन देने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, तमाम

परिवार भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि बुड्ढा पन्द्रह–बीस साल और बैठा रहे ताकि सौ रुपये महीना पैशन मिलती रहे। अब उन वृद्धों का सम्मान होने लगा – है। यह पैशन बुजुर्गों का सम्मान और आदर बढाने के लिए ही दी गई है, रहम करके या दया करके नहीं दी गई। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, आगनवाड़ी, स्कूलों, सड्कों और बहुत सारी चीजों का जिक्र आया। हर एक माननीय सदस्य ने अपने–अपने हल्के के कामों की चर्चा की। मैं अपने मित्रों से, सदस्यगणों से प्रार्थना करता हूं कि बजट पर जनरल बहस के मौके पर उनको अपनी बातों को कहने का मौका मिलेगा। वे उस मौके पर अपने–अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं और सारी कठिनाइयों को बता सकते हैं और उन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। अब भी जिन्होंने अपनी समस्याओं का जिक्र किया हैं, मैं उन समस्याओं को सरकार तक, सारे विभागों तक और संबंधित मन्त्रियों तक पहुचाऊंगा। हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं और कठिनाइयों को हल किया जाए। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन अनुपूरक मांगों पर स्वीकृति प्रदान की जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य: विकलांग और विधवा पेंशन के बारे मे भी कुछ कह दें।

श्री बनारसी दास गुप्ताः धुनको हेम पैंशन दे रहे है। अगर उसमें कोई संशोधन की बात होगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्षः अब मैं वेरियस डिमांडज को वोटिग के लिए पुट करता हूं।

आवाजें: इनको इकट्ठा ही पुट कर दें।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 28,02,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 1 —Vidhan Sabha.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,10,37,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,44,49,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,02,19,000 for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 4—Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,46,72,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 34,85,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 6—Finance

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,57,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 20,05,97,000 for revneue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs 41,29,31,800 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the Year ending 31st March, 1988 in respect - of Demand No. 9—Education.

That a supplementary sum net exceeding Rs 1,88,36,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 10 - Medical and Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 85 50,500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 80,60,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1938 in respect of Demand No. 12—Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 35,14,46,180 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,23,70,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will came in rhe course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 14—Food and Supplies.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 91,65,41,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, J988 in respect of Demand No . 15—Irrigation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 48,06,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 16—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,68,89,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment fof the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No.-1 7 Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,35,77,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No 1 8—Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 21,81,65,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 21—Community Development.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 16,62,75,000 for the revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 23 Transport.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1988 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9—30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

13.37 बजे

(तत्पश्चात् सदन वीरवार दिनांक 24— 3—1988 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)।